खण्ड-262, अंक-5
बुधवार, 13 माघ, शक संवत् 1887
(2 फरवरी, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 262 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २ फरवरी, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५३

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदसिंह, श्री

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलत लाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्र नारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंग लाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेम सुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री

बनवारीलाल विप्र, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजराजसिंह श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हुसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री

रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री

सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलालसिंह यादव, श्री
सूरजपाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतराम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--शिक्षा उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय तथा गृह उप मंत्री श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २ फरवरी, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गवर्नमेंट कालेज आफ आर्ट्स ऐण्ड क्राफ्ट्स, लखनऊ में छात्रवृत्ति वितरण में विलम्ब

**१--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गवर्नमेंट कालेज आफ आर्ट्स ऐंड क्राफ्ट्स, लखनऊ में सरकारी छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को जुलाई, १९६५ तक की छात्रवृत्ति ३० दिसम्बर, १९६५ तक नहीं दी गई ? इस विलम्ब का क्या कारण है और क्या छात्रवृत्ति के भुगतान में हर वर्ष इसी प्रकार बिलम्ब होता है ?

समाज कल्याण मंत्री(डाक्टर सीताराम)--

जी हां।

विद्यालय की सलाहकार समिति की बैठक में की गई संस्तुतियों पर शासन द्वारा विचार करने के पश्चात् छात्रवृत्ति के भुगतान के आदेश दिये जाते हैं। यह बैठक प्रायः सितम्बर-अक्टूबर में हो पाती है और शासन को उनकी संस्तुतियों पर विचार करने पर कुछ समय लगता है अतः भुगतान के पहले आदेश दिसम्बर-जनवरी तक हो पाते हैं।

**२--श्री राम किशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जुलाई, १९६५ से नवम्बर, १९६५ तक की छात्रवृत्ति का भुगतान छात्रों को किस तारीख तक कर दिया जायगा ?

डाक्टर सीताराम--

भुगतान किया जा चुका है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या यह बात सही है कि जब समर वोकेशन में छात्र स्कूल में नहीं होते हैं या क्लास से अनुपस्थित रहते हैं या छुट्टी पर रहते हैं तब भी उनकी छुट्टी के दिनों का पैसा काट लिया जाता है ? यदि हां, तो किस आदेश से काट लिया जाता है ?

डाक्टर सीताराम--

छात्रवृत्ति सिर्फ दस महीने की मिलती है, मई, जून की नहीं ली जाती है । अतः काटने और देने लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम किशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि वहां पर बहुत से छात्रों की छात्रवृत्ति इसलिये काट ली गयी है कि वह छुट्टी पर रहे या अवकाश पर रहे ?

श्री अध्यक्ष—

किसी कारणवश अगर पाठशाला से अनुपस्थित रहे तो उन दिनों की छात्रवृत्ति काट ली जाती है । यह मतलब है ?

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

यही मतलब है ।

डाक्टर सीताराम—

इसके बारे में कोई इत्तला नहीं है, लेकिन मैं जांच करा लूंगा ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कालेज ने कब अपनी रेकमेंडेशन भेजी और कब सरकार ने निर्णय लिया ?

डाक्टर सीताराम—

कमेटी ने अपनी संस्तुति शासन को १९-१०-६५ को भेजी और शासन ने ५-११-६५ को आज्ञा भेज दी ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की भी जांच करवायेंगे कि १९६५ में जो भुगतान किया गया है उसमें जो रकम काटी गयी है वह पेंसिल से लिखी गयी है बाकी स्याही से लिखा गया है और छात्रों से पूरे पर दस्तखत करवाये गये हैं, क्या इस प्रकार की शिकायतें सरकार के पास आयी हैं ?

डाक्टर सीताराम—

यह प्रश्न जनरल है । अगर कोई खास शिकायत किसी छात्र के बारे में माननीय सदस्य लिख कर दें तो जांच करा ली जायगी । इस सरकार के पास कोई कम्प्लेंट नहीं आयी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि सरकार के स्तर पर इसमें तीन महीने लग गये इस बात के आदेश प्रसारित करेंगे कि एक साल के अन्दर हर मामले का निपटारा हो जाया करे ?

डाक्टर सीताराम—

अध्यक्ष महोदय, ऐडवाइजरी कमेटी जो विद्यालय के स्तर पर बनायी गयी है इसके चेयरमैन इस प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और उसमें मेम्बर इस विभाग के सेक्रेटरी, डाइरेक्टर, कैफ्टस और बड़े-बड़े अधिकारी हैं । उनकी संस्तुति के बाद शासन के पास इसलिये आने की आवश्यकता पड़ती है कि उनकी संस्तुति में भी कुछ कमियां रह जाती हैं, जैसे इस साल के केस में १०४ बजीफे देने हैं । इन १०४ में ३ केसेज आए, जिनको सरकार को रेजेक्ट करना पड़ा, इसलिये हर एक केस को अच्छी तरह से छान बीन करने के पश्चात् ही आज्ञा प्रदान की जाती है । लेकिन ऐसा प्रयत्न किया गया है कि इसमें देर न हो जल्दी हो जाय । इस कारण से भविष्य में यानी अगली जुलाई में या अगस्त से सरकार के पास ऐसे केसेज को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, जो वहां पर एडवाइजरी कमेटी है, वही फैसला करेगी और उसका फैसला अन्तिम होगा ।

तारांकित प्रश्न

सैदपुर ब्लाक से सीमेंट वितरण

*१—श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित) —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जिलेवार प्रत्येक ब्लाक में सीमेंट वितरण के सम्बन्ध में घोर असन्तोष है तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में प्रत्येक ब्लाक में कोई कमेटी बनाने के लिये ब्लाक कमेटीज को बाध्य करेगी ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

जी हां, क्षेत्र समिति को कार्यकारिणी समिति को सीमेंट वितरण का कार्य सौंपा जा चुका है ।

*२—श्री कमला सिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २२ मई, १९६५ को अम्बिका सिंह व बसावन सिंह, सा० गनीपुर उमरहा, जिला आजमगढ़ को सैदपुर ब्लाक से किसके आदेश से कितनी बोरी सीमेंट किस काम के लिये दिया गया और कितना काम पूरा हुआ ?

श्री राममूर्ति—

श्री अम्बिकासिंह व बसावन सिंह, साकिन गनीपुर उमरहा, जिला आजमगढ़ को सिचाई कूप निर्माण हेतु क्षेत्रीय विकास अधिकारी सैदपुर, जिला गाजीपुर के आदेश से क्रमशः ६ बोरी एवं ५ बोरी सीमेंट का परमिट दिनांक २१-५-६५ को दिया गया तथा कूप निर्माण का कार्य जून, १९६५ में पूर्ण हो गया ।

गाजियाबाद में हींग के गोदामों पर छापा

*३—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) तथा श्री जगन्नाथ राय (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि मई अथवा जून, १९६५ में गाजियाबाद में नकली हींग के गोदामों पर छापा मार कर सैकड़ों बोरा नकली हींग बरामद की गई जो कि तस्करी द्वारा बेची जाती थी तथा स्वास्थ्य के लिये अति हानिकारक थी ? यदि हां, तो किस-किस की गोदाम में कितनी-कितनी हींग पकड़ी गई तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

मई तथा जून, १९६५ में गाजियाबाद में आठ गोदामों पर छापा मारकर हींग के कुल ३७ नमूने लिये गये जिनमें से अशुद्ध पाये गये २० नमूनों पर अदालती कार्यवाई की जा रही है । शेष नमूने शुद्ध पाये गये । निम्न तालिका से वांछित ब्योरा मिल जायगा :

गोदाम	बरामदगी की तारीख	बरामद हींग की मात्रा
(१) लच्छू राम ..	.. १७ मई, ६५	२६ पैकिंग
(२) पेड़ाराम चेतनदास ..	.. ८ जून, ६५	३०८ बोरी
(३) मूलचन्द अविनाशकुमार ..	.. ९ जून, ६५	१७ बोरी
(४) पिशोरीलाल चिरंजी लाल ..	.. २९ मई, १९६५	खाली
(५) हयातुल्ला खां ..	.. ११ जून, ६५	६८ बोरी
(६) किशनचन्द बाधवा ..	.. ११ जून, ६५	६४ बोरी
(७) सुजानसिंह सुन्दर सिंह ..	.. १५ जून, ६५	३० बोरी
(८) कृष्णकुमार शिवशरन ..	.. १८ जून, ६५	खाली

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इसमें आपने जवाब दिया है कि २० नमूनों पर अदालती कार्यवाही की जा रही है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अदालती कार्यवाही इस समय किस स्टेज पर पहुंची है और जो ३७ नमूने लिये गये और उसमें से २० नमूने खराब पाये गये, क्या वे सारे के सारे डिस्ट्राय किये गये, या उन्हीं को वापस कर दिये गये या सरकार के कब्जे में हैं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

इनकी स्थिति यह है कि मुकदमें दायर कर दिये गये हैं, किन्तु अभी अदालत से तारीख नहीं मिली है, जो नमूने खराब पाये गये हैं, वे दफा ४–५ के अन्तर्गत सिक्योरिटी लेकर कस्टडी में उनके पास जमा हैं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या यह सही है कि जो अदालत कार्यवाही शुरू हुई है, वह प्रश्न करने के बाद शुरू हुयी है ? और पहले दोषी व्यापारियों की रक्षा का प्रयास सरकार द्वारा किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

श्रीमन्, रक्षा की कोई बात नहीं है, उन पर तो मुकदमा चलाया जा रहा है । मई में तलाशी हुई, फिर केसेट टेस्ट के लिये भेजे गये और अब दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नकली हींग बेचे जाने की सूचना अधिकारियों को कैसे, किस माध्यम से मिली ? यह नकली व्यापार कब से चल रहा था ? और इसके पहले इस विषय पर यहां अधिकारियों ने ध्यान क्यों नहीं दिया ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

इसकी सूचना दिल्ली से गाजियाबाद के अधिकारियों को टेलीफून पर मिली, यह सूचना गाजियाबाद के एवजीक्यूटिव आफिसर को मिली और उन्होंने उस पर कार्यवाही की । यह सूचना हेल्थ मंत्रालय से मिली थी । इस पर उन्होंने तलाशी ली और एक फर्म को पकड़ा ।

उसके बाद फिर एक टेलीफोन दिल्ली से मिला कि केवल वह फर्म ही नहीं है और फर्म भी कुछ फिक्टीशस नाम देकर काम कर रही हैं और मुहल्लों में उनके गोदाम हैं । उसके बाद सारे गोदामों का पता लग गया और उन सारे गोदामों पर छापा मारकर उनकी चेकिंग की गई ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हींग के सम्बन्ध में केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट कब आई और मुकदमा कब अदालत में भेजा गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सन् १९६५ के आखिर में उसकी रिपोर्ट आई और १० जनवरी को मुकदमा दायर किया गया ।

महिला चिकित्सालय, कोसी कलां

*४—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या स्वास्थ्य मंन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले के कोसी कलां जच्चा महिला चिकित्सालय के लिये सालाना कितने रुपये की औषधियों का खर्चा है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

कोसी कलां महिला चिकित्सालय में औषधियों के लिये २,५०० रु० की सालाना व्यवस्था रहती है

*५—श्री लखीसिंह—

क्या यह सत्य है कि इस चिकित्सालय में बिजली पानी का प्रबन्ध भी नहीं है और मरीजों की कितनी शय्यायें हैं ? एक साल में कितने मरीज चिकित्सा कराने आते हैं, सन् १९६४–६५ में कितने मरीज दाखिल होकर कितने-कितने दिन चिकित्सालय में ठहरे ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

महिला चिकित्सालय, कोसी कलां में पानी का नल लगा है पर बिजली का अभी प्रबन्ध नहीं है । मरीजों के वास्ते ६ चारपाइयों का प्रबन्ध है । गत वर्ष, अर्थात् सन् १९६४ में १४० इनडोर और ६,८०७ आउटडोर मरीज इस अस्पताल में चिकित्सा कराने आये । इस वर्ष अगस्त, सन् १९६५ तक ७४ इनडोर और ३,०७३ आउटडोर मरीज चिकित्सा कराने आये हैं । इनडोर मरीज रोग के अनुसार सामान्यतया २ से ५ दिन तक ठहरते हैं ।

*६—श्री लखीसिंह—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस चिकित्सालय में कितने कमरे मरीजों के लिये हैं और कितने डाक्टर महिला तथा अन्य कर्मचारियों के कमरों की व्यवस्था है ? क्या यह सत्य है कि इस चिकित्सालय में मरीजों को शौचालय और पेशाब घर भी नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

इस चिकित्सालय में एक कमरा मरीजों के लिये है और दूसरे व्यवस्था न होने के कारण कुछ कर्मचारी तीन कमरों में रहते हैं । चिकित्सालय के कम्पाउन्ड में एक शौचालय है ।

श्री लखीसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस औषधालय में लगभग ६।। रुपये रोजाना की दवा की व्यवस्था है और १७ हजार की जनसंख्या कोसी कलां नगरपालिका की है, इसके साथ ही इस क्षेत्र में यह जच्चाओं का एक ही औषधालय है, पूरी तहसील की जनसंख्या १ लाख ८० हजार है तो इस औषधालय में दवाओं का अनुदान बढ़ाया जायगा? यदि हां, तो कितना?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

इसमें २,५०० रुपये साल की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त जब आवश्यकता होती है और सिविल सर्जन डिमांड कर देते हैं । फिर आवश्यकता अनुसार कुछ और भी पैसा जैसा उपलब्ध होता है तो दे दिया जाता है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रतिवर्ष पिछले साल और उसके पहले साल १९६३–६४ और १९६४–६५ में इस औषधालय में कितने रोगी आये और कितना प्रति केस खर्च हुआ ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

इसमें १९६४ की संख्या मैं बता चुका हूं और इस वर्ष अगस्त तक की भी संख्या दी जा चुकी है । १९६४ में १४० इन्डोर और ६,८०७ आउट डोर में । इस वर्ष अगस्त तक ७४ इन्डोर में और ३०७३ आउट डोर में आये ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस अस्पताल के सिविल सर्जन ने स्वयं १९६४–६५ में कितने रुपये की डिमान्ड की है ?

डाक्टर रामनारायण पान्डेय—

कुछ नहीं ।

श्री जगन्नाथ राव—

इस औषधालय में १९६३–६४ में और १९६४–६५ में कितना रुपया व्यय किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

२,५०० रुपया हर साल उसको दिया जाता है ।

श्री लखी सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ६ चारपाइयों में से कितनी डाक्टरनी के काम में आती हैं और मरीजों के लिये कितनी सुरक्षित हैं और उन चारपाइयों पर बिस्तर का क्या क्या इंतजाम है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह तो मरीजों के लिये सब की सब सुरक्षित हैं ।

श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी प्राइवेट रूप से जांच कराने की कृपा करेंगे और देखेंगे कि वहां औषधालय की क्या व्यवस्था है ? यह अस्पताल सरोजनी नायडू के नाम से १५ साल से चल रहा है और इस की बिल्डिग नगरपालिका ने दी थी तो इस में अब तक सरकार ने क्या प्रगति की है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

इसमें १९५७ में १२,९६० रुपया भवन के लिये दिया गया था और १२,००० रुपया डाक्टरों के क्वार्टर के लिये दिया गया है। बिजली भी लगा दी गयी है। यह सब हो चुका है ।

श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त औषधालय की बिल्डिग तो नगरपालिका ने दी थी और पिछले १५ सालों में इस सरकार ने कमरे, स्नानागार, पेशाबघर, शौचालय आदि बनवाने के संबंध में क्या किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

श्रीमन्, हमारे हिसाब से जो १२,९६० रुपया दिया गया है वह सब मैंने बता दिया और इस के अतिरिक्त इसमें शौचालय और पेशाबघर बनवाने का पी० डब्ल्यू० डी० प्रयत्न कर रहा है ।

श्री लखी सिंह—

यह अस्पताल सरोजिनी नायडू के नाम से है और जच्चाओं का अस्पताल है इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस अस्पताल में बिजली, पानी की टंकी, शौचालय, मरीजों के बिस्तर, चारपाइयां तथा कर्मचारियों के क्वार्टर आदि की व्यवस्था और निर्माण सरकार कराने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, शौचालय और पेशाबघर बनवाने की व्यवस्था हम करा रहे हैं और बाकी सब साधन होने पर किया जायगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इस बात को ध्यान में रख कर कि इस प्रश्न के बारे में नीचे के अधिकारियों की रिपोर्ट से सदन को संतोष नहीं है, सरकार अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच कराने की कृपा करेगी ताकि इस की हालत को सुधारा जा सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जब मैं मथुरा जाऊंगा उस समय यदि माननीय सदस्य कहेंगे तो मैं ही उन के साथ चल कर उसे देख लूंगा ।

फर्रुखाबाद जिले में रहट के कुआं बनाने वालों को छूट

*७—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या विकास मन्त्री को पता है कि सिंचाई के लिये रहट के कुआं सरकारी तकावी देकर बनाने वालों को यदि वर्ष के अन्दर कुआं बना लिया है तो छूट चौथाई देने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या और किस प्रकार ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, प्रत्येक जिले के लिये निर्धारित ऋण का २५ प्रतिशत छूट देने का प्राविधान है जो ऋण में मुजरा कर दिया जाता है ।

*८—श्री महरामसिंह—

क्या विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में तीन वर्ष के अन्दर कितने रहट के कुआं बनाने वालों को छूट दी गई और कितनी-कितनी ?

श्री राममूर्ति—

फर्रुखाबाद जिले में तीन वर्ष के अन्दर कुओं के लिये बोरिंग कराने पर निम्न प्रकार अनुदान स्वीकृत किया गया है :—

वर्ष	कूपों की संख्या	धनराशि जो अनुदान स्वरूप दी गई
		रु०
१९६२–६३	५२	८,२५२
१९६३–६४	१६८	३०,२९१
१९६४–६५	२०७	३८,५३३
योग ..	४२७	७७,०७६

श्री महरामसिंह—

प्रत्येक जिले के लिये निर्धारित ऋण का २५ प्रतिशत छूट देने का प्राविधान बताया गया है तो क्या सरकार ने ऐसा कोई निर्णय किया है कि जो लोग निजी धन से रहट के कुयें बनाते हैं उन्हें भी छूट दी जाय ? यदि है, तो इसमें तो आखिरी किस्त छूट में दी जाती है और निजी धन लगाकर जो बनाते हैं उन्हें किस प्रकार से दी जाती है ?

श्री राममूर्ति—

यह प्राविधान है कि जो अपने पास से बनाते हैं उनके लिये भी २५ प्रतिशत छूट दी जाय। अगर बोरिंग करते हैं तो उसमें मुजरा करा दिया जाता है । अगर रहट लगाते हैं तो उसमें भी करा दिया जाता है । अगर कोई काम नहीं कराते स्पेशल तो भी दी जाती है ।

श्री महरामसिंह—

मंत्री जी ने प्रश्न ८ के उत्तर में ४२७ कूपों के लिये छट की अनुदान की स्वीकृति बतलायी है, तो क्या वह अनुदान स्वीकृत ही कर दिया गया है या कूप बनाने वाले लोगों को प्राप्त भी हुई है ? मेरी जानकारी में है कि बहुत से लोगों को रुपया नहीं मिला है तो क्या मंत्री जी जांच कराकर रुपया दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

मैंने जो ७७,०७६ रुपये का जिक्र किया, यह छूट में दे दिया गया । उसकी फेहरिस्त बहुत लम्बी है, वरना पढ़ देता ।

श्री होरी लाल यादव—

क्या यह सही है कि लोगों ने तकावी लेकर कुयें बनवा लिये, लेकिन कम्पलीशन सर्टिफिकेट अधिकारियों ने नहीं लगाया जिससे आज तक भी छूट नहीं मिल सकी है ? तो क्या उनकी सूचना मिलने पर पुनः जांच कराकर मंत्री जी उन्हें भी छूट दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

प्राविधान यह है कि जब कुआं बन जाता है और उसका कम्पलीशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है तब छूट दे दी जाती है । जैसा कि माननीय सदस्य ने फरमाया, अगर कुछ अनियमितता हुई है और रुपया नहीं दिया गया है और कुयें कम्पलीट हो गये हैं तो वह अगर फेहरिस्त ऐसे कुयें की देने की तकलीफ फरमायें तो मैं लिख दूंगा कि उनको रुपया दे दिया जाय ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि उनके रूल्स में ऐसा प्रावीजन है कि ३ किस्म की तकावियों में जो तकावी ग्रो मोर फूड या एक्सटेंशन वर्क के नाम से दी जाती है कुओं में, उसमें छूट मिलती है और जो तकावी सिर्फ सिम्पिल तकावी के नाम से दी जाती है उसमें नहीं मिलती है, तो क्या इस रूल को साफ करके आप आदेश जारी करेंगे कि हर कुयें के मामले में चाहे किसी हैसियत से तकावी मिली हो, छूट मिलनी चाहिये ?

श्री राममूर्ति—

दिसम्बर, १९६४ से यह प्राविधान कर दिया गया है कि यदि कोई आदमी लघु सिंचाई के लिये अपना कुआं बनायेगा तो उस को छूट दी जायेगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो बोरिंग आदि का काम होता है और रहट लगाये जाते हैं यह काम क्या सरकार के द्वारा होता है ?

श्री राममूर्ति—

हमारे यहां भी बोअरर्स हैं जिसके द्वारा बोरिंग का काम किया जाता है। जहां पर बोअरर्स उपलब्ध नहीं हैं वहां पर प्राइवेट तरीके से भी यह काम कराया जाता है। किन्तु जब कम्लीशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तभी छूट देने का प्राविधान है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

दिसम्बर, १९६४ से पूर्व जो कुएं केवल लघु सिंचाई हेतु ही बने हैं क्या सरकार उनमें भी छूट देती है ?

श्री राममूर्ति—

इसके बारे में मुझे शंका उत्पन्न हो गयी है। मैं ठीक नहीं कह सकता, किन्तु अगर माननीय सदस्य इस को लिख कर दे देंगे तो मैं उसको देख लूंगा, अगर उनको मिल सकती है तो देख लिया जायेगा ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो लोग प्राइवेट बोअरर्स से बोरिंग कराते हैं और सारा पैसा अपने पास से ही लगाते हैं उनको भी सरकार छूट देती है ?

श्री राममूर्ति—

उसका कायदा यह है कि ऐसे लोगों को पहले से उसकी सूचना ब्लाक को देनी पड़ती है कम्पलीशन के बाद उसकी जांच होती है और जब कम्पलीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उनको भी छूट दी जाती है ।

नौगढ़ अस्पताल का प्रबन्ध

*९—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अस्पताल, नौगढ़, जिला वाराणसी में मरीजों के लिये कमरों की बहुत कमी है तथा मरीजों के लिये चारपाइयों की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार दो या तीन कमरे बढ़ाने तथा कम से कम ६ चारपाइयों की व्यवस्था करने पर विचार करेगी और अस्पताल के चारों तरफ चहार-दीवारी की भी व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

राजकीय अस्पताल, नौगढ़, जिला वाराणसी में शय्याओं की व्यवस्था नहीं है। यद्यपि सरकार इस आवश्यकता का अनुभव करती है, परन्तु वर्तमान संकटकालीन स्थिति के कारण यह कहना सम्भव नहीं है कि कब तक नौगढ़ अस्पताल में शय्याओं की व्यवस्था व चहारदीवारी का निर्माण सम्भव हो सकेगा।

श्री ऊदल—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो डाक्टर वहां भेजा गया था वह अब वहां से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां तुरन्त डाक्टर भेजने की व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसकी सूचना नहीं है, वैसे डाक्टरों की कमी तो है ही।

श्री ऊदल—

जब से सरकार ने इस अस्पताल को अपने हाथ में लिया है तब से पहली बार एक डाक्टर वहां भेजा गया और ४ महीने बाद ही उसको हटा लिया गया, तब से वहां डाक्टर नहीं है, क्या इसकी सूचना है सरकार को ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जहां डाक्टरों की व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई ऐसा प्रबन्ध करेगी जिससे कि जहां डाक्टर नहीं हैं वहां उनको भेजने की व्यवस्था हो? डाक्टरों के न रहने से बड़ी दुर्व्यवस्था है। क्या सरकार इसको दूर करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न बड़ा गम्भीर हो गया है हमारे प्रदेश में और इनकी भी मजबूरियां हैं।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि यह इलाका महाराजा बनारस की स्टेट का है, बनारस से पचास मील दूर है, इस अस्पताल में कमरों का निर्माण, शय्याओं की व्यवस्था, उस की चहारदीवारी की व्यवस्था चौथी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता के रूप में करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मैं यह पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि सरकार इसकी आवश्यकता अनुभव करती है और इनको रखने की व्यवस्था करेगी।

प्रधान, गांव सभा, दुर्गापुर के विरुद्ध जांच

*१०—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दुर्गापुर, तहसील चायल, जिला इलाहाबाद के निवासियों का श्री नाथूराम शिक्षक, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रार्थना-पत्र उनको दिनांक ८ दिसम्बर, १९६४ को प्राप्त हुआ था ? यदि, हां तो सरकार द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्नगत शिकायती पत्र में की गई शिकायतों के सम्बन्ध में जांच क्षेत्र विकास अधिकारी, नवादा द्वारा कराई गई। उनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह पाया गया कि शिकायतों में तथ्य है। अतः प्रधान, गांव सभा, दुर्गापुर के विरुद्ध जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु समस्त कागजात परगनाधीश को भेज दिये गये हैं और उनके द्वारा अभी इस सम्बन्ध में जांच जारी है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जांच रिपोर्ट विकास अधिकारी ने परगना हाकिम महोदय को कब दी है और अब तक उसका अन्तिम निर्णय न होने का क्या कारण है ? इससे भ्रष्टाचार बढ़ने की सम्भावना है। जो चीज तय हो गई और पता चल गया कि अनियमितताएं हुई हैं तो उन पर शीघ्र प्रधान जी को दंडित करना चाहिये।

श्री राममूर्ति—

सम्बन्धित ग्राम सभा के प्रधान के खिलाफ शिकायत दिसम्बर, १९६४ के आखिर में प्राप्त हुई। उनको डी० पी० ओ० के पास भेज दिया गया। पहले मई, १९६५ में डी० पी० ओ० ने रिपोर्ट दी कि शिकायत सही नजर आते हैं इसलिये सारे कागजात जुलाई, १९६५ को चायल के परगनाधीश को भेज दिये गये। उनकी रिपोर्ट अभी तक कम्प्लीट नहीं हुई इसलिये निदेशक पंचायत राज के जरिये उनको एक रिमाइन्डर कर दिया गया कि छः महीने से ज्यादा हो गया है इसकी जांच कराई जाय ताकि जो दोष पाया गया है वह ठीक किया जाये।

श्री जगन्नाथ राव—

उस ग्राम सभापति के विरुद्ध क्या मुख्य-मुख्य शिकायतें थीं ? उनमें से किन शिकायतों पर तथ्य प्राप्त हुए हैं ?

श्री राममूर्ति—

धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायतें थीं और उन्हें काफी सीरियस माना गया और उसकी जांच पर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपने नई बात पैदा कर दी है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

अध्यक्ष महोदय, यह शिकायत तो एक प्रधान जी के विरुद्ध आई आप के सदन के सामने और सदन में यह बात साफ हो गई है कि गड़बड़ होती है। यह शिकायत न केवल एक प्रधान की है परन्तु यह सब प्रधानों की है। क्या सरकार इस बात की भी व्यवस्था करेगी कि ग्राम-सम्पत्तियों की जांच के लिये एक कमेटी बनाये ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज कानून जब बनाया गया था उस वक्त यह सवाल पेश हुआ कि ग्राम सभाओं के सभापतियों के जरिये से अनियमितताये हो सकती हैं। पहले यह खयाल हुआ कि जो डी० पी० ओ० हैं उनसे इसकी जांच कराई जाय। उसी सिलसिले में यह भी विचार हुआ कि चूंकि डी० पी० ओ० का सम्बन्ध जिला परिषदों के मेम्बरों और परिषदों के मेम्बरों से नजदीकी हो जाता है और चूंकि राजनीतिक मामले भी होते हैं और उन पर प्रभाव न पड़े इसलिये उनसे जांच कराने का तरीका हटाकर परगनाधीश-आदि को यह काम दिया गया। लेकिन परगनाधीश और डी० पी० ओ० से जो जांच करायी गयी उसके बावजूद भी, जैसा कि माननीय सदस्य ने फरमाया यह सवाल बड़ा गंम्भीर हो गया है और ऐसी शिकायतें आयी हैं कि रुपये का दुरुपयोग होता है। मैंने इस बारे में जांच कराने के लिये एक छोटी सी सब कमेटी बैठायी है और गुजरात और महाराष्ट्र के सिस्टम को देखने के लिये आफीसरों को भेजा है यह देखने के लिये कि वहां रुपये के दुरुपयोग को बचाने के लिये क्या तरीका अख्तियार किया जाता है, उस पर हम विचार करेंगे। मोटे तौर पर अभी यह विचार किया गया है कि जो रुपया निकाला जाय, उस पर पंचायत के मंत्री के भी दस्तखत हों, ताकि निकालने में थोड़ी सी रुकावट हो। मैं जानता नहीं कि उसमें हमें कितनी कामयाबी होगी। लेकिन यह बात जो शिक्षक जी ने फरमाई वह काफी महत्व की है। इसको हम देख रहे हैं।

डफरिन अस्पताल, बरेली में मिडवाइफ कम्पाउन्डर न होना

*११—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि डफरिन अस्पताल (महिला) बरेली में पुरुष कम्पाउन्डर काम कर रहे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पान्डेय—

जी हां।

*१२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में मिडवाइफ कम्पाउन्डरों की अत्यन्त आवश्यकता है ? यदि हां, तो १९५९ से इसट्रेनिंग के बन्द करने के क्या कारण हैं जब कि मिडवाइफ कम्पाउन्डर एक डाक्टर के बराबर काम चला लेती है ?

डाक्टर रामनारायण पान्डेय—

जी हां।

इसट्रेनिंग को फार्मेसी ऐक्ट, के लागू होने पर बन्द कर देना पड़ा। यह कहना पूर्णतया ठीक नहीं है कि एक मिडवाइफ कम्पाउन्डर एक डाक्टर के बराबर काम चला लेती है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि महिला अस्पताल में किसी महिला फार्मासिस्ट को न रखने का क्या कारण है ? क्या बरेली में कोई ऐसी महिला उपलब्ध नहीं थी ?

डाक्टर रामनारायण पान्डेय—

श्रीमन्, उपलब्ध नहीं थी। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि यहां पर एक महिला पोस्ट हो जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरी इस सूचना को सही मान कर कि जिस समय यह प्रश्न आ रा उस समय भी बरेली के राजकीय चिकित्सालय में सीता जौहरी नामक मिड वाइफ, ट्रेन्ड फार्मासिस्ट मौजूद थी जिसको किन्हीं कारणों से डफरिन अस्पताल में न रखकर नवयुवक कम्पाउन्डर को यहां पर रखा गया ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि प्रदेश में पुरुष डाक्टरों की कमी है और महिला डाक्टरों की बहुत ही कमी है, जिन्होंने पहले मिडवाइफ कम्पाउन्डरी का कोर्स पास किया है उनको ६ माह का प्रशिक्षण और देकर, माइनर चिकित्सा, क्यूरेटिंग आदि कार्यों में लेडी डाक्टर की सहायता करने के लिये, रखेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इस दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन स्थिति यह है कि फारेमेसी ऐक्ट के बन जाने के बाद, जिसके द्वारा गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने सारे देश के लिये एक पैटर्न लेड डाउन किया है, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना पड़ता है अन्यथा वे रजिस्टर नहीं हो सकेंगी। इसके लिये हमारा प्रयत्न यह है कि ५ अस्पतालों में इस समय भी हम शिक्षा दे रहे हैं। इन ५० के अलावा हम एक इन्स्टीट्यूशन और खोलकर उसमें भी यह कोर्स चलाने पर विचार कर रहे हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरा निवेदन यह है कि इस मिडवाइफ कोर्स और फार्मासिस्ट कोर्स के अलावा कोई और कोर्स सरकार इस प्रकार का खोलने पर विचार करेगी जिसके द्वारा इनको कुछ दिनों की और ट्रेनिंग देकर माइनर मेडिकल काम के लिये लेडी डाक्टर की एसिस्टेंस के लिये इन लोगों को तैयार किया जा सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

हम एक मेडिकल अटेंडेंट कोर्स चला रहे हैं उसमें ८वीं क्लास पास लड़के लड़कियों को लेंगे और उनको १ साल की ट्रेनिंग देकर इस योग्य बनायेंगे कि वे डाक्टरों की मौजूदगी में सेवा कार्य कर सकें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि जो फारमेसिस्ट महिलायें हैं, जिनको मिडवाइफरी ट्रेनिंग भी मिली होती है और जो हाई स्कूल पास भी होती हैं, उन को एल० एम० पी० डाक्टर्स के समान ६ महीने का प्रशिक्षण देकर छोटे-छोटे रोगों के लिए डाक्टर बनाने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, उन को डाक्टर बनाना, जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं, सम्भव नहीं है और न मुनासिब ही होगा।

वाराणसी जिले में परिवार नियोजन कार्यों पर व्यय

*१३—श्री रघुनार्यासिह (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वाराणसी जिले में वित्तीय वर्ष, १९६४–६५ में परिवार नियोजन विभाग पर सभी प्रकार के व्ययों को मिलाकर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और उस वर्ष विभाग द्वारा शहर और देहात में अलग-अलग कितने पुरुषों और कितनी स्त्रियों को लाभान्वित किया जा सका ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

वाराणसी जिले में सभी व्ययों को मिलाकर १९६४–६५ में कुल २,०४,५५८ रुपयों की धनराशि व्यय की गयी और उस वर्ष देहाती क्षेत्र में ७,२६५ और शहरी क्षेत्र में १,२९४ पुरुषों तथा स्त्रियों को लाभान्वित किया गया ।

चौबीसी में चिकित्सालय खोलने की प्रार्थना

*१४—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ ब्लाक में लखनऊ–सुल्तानपुर रोड पर स्थित चौबीसी नामक प्रसिद्ध स्थान पर यूनानी, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक डिसपेन्सरी खोलने का सरकार का विचार है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं ।

*१५—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को कोई इस प्रकार का भी प्रार्थना-पत्र मिला है जिसमें एक चिकित्सालय चौबीसी में खोलनेकी प्रार्थना की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां । परन्तु ग्राम चौबीसी हैदरगढ़ ब्लाक से केवल ४ मील की दूरी पर है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत एक एलोपैथिक चिकित्सालय तथा जच्चा-बच्चा केन्द्र है, इस लिये चौबीसी में दूसरा चिकित्सालय खोलना सम्भव नहीं है ।

*१६—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करेगी कि चौबीसी नामक स्थान पर जब तक चिकित्सालय न बन जाय तब तक के लिये एक हेल्थ सेन्टर ही स्थापित कर दिया जाय ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रश्न संख्या १५ में वर्णित तथ्यों के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं है ।

खाद की बिक्री पर ब्याज

*१७—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठक दिनांक ४ अगस्त, १९६५ को श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५५–५६ के उत्तर से संबंधित क्या सहकारिता मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जब केन्द्र से १८ माह की छूट पर खाद दी जाती है और उसी काल में किसानों से ब्याज वसूल किया जाय तो यह व्यापारिक मनोवृत्ति जनहित में ठीक नहीं हैं, बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में वह व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि खाद लेने के एक वर्ष की अवधि तक कोई ब्याज नहीं लिया जाय ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जुलाई १, १९६३ में प्राप्त उर्वरक उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को १८ महीने के बिक्री खाते पर सरकार से प्राप्त होती है जो राज्य सरकार के एजेन्ट के रूप में सम्पूर्ण खाद की बिक्री की कीमत १८ महीने के अन्दर चुकाने का उत्तरदायित्व वहन करता है, चाहे प्राप्त खाद की बिक्री हुई हो या न हुई हो । खाद की बिक्री की दर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, तथा जिन पर खाद किसानों को वितरित की जाती है, वह नकद बिक्री की दर है अतः वर्तमान परिस्थिति में खाद की बिक्री करने में किसी प्रकार की छूट देना सम्भव नहीं है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन् मेरा जो सवाल था उसका यह जवाब नहीं है। मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि जब केन्द्र से १८ माह की छूट पर खाद दी जाती है तो उसी काल में किसानों से उर्वरक देने पर क्यों सूद लिया जाता है ? जब केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकार से कोई सूद नहीं लेती तब उन्हें किसानों से सूद नहीं लेना चाहिये।

श्री दाऊदयाल खन्ना--

किसान जो खाद लेते हैं, वे उधार लेते हैं तो उसका बैंक से ताल्लुक होता है अगर बैंक से वे कर्जा लेते हैं तो उनको सूद देना ही पड़ेगा। जब खाद को किसान कर्जे के रूप में लेता है तो बैंक को उसे सूद तो देना ही होगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मेरा सवाल यह नहीं है। मैंने जो सवाल किया है वह यह है कि केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकार को उर्वरक प्राप्त होता है तो.....

श्री अध्यक्ष--

वे (माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी) कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार से प्रदेशीय सरकार को उर्वरक प्राप्त होता है और केन्द्रीय सरकार १८ महीने तक कोई सूद नहीं लेती है परन्तु यदि कोई काश्तकार आपके यहां से लेकर ४ महीने में रुपया दे देता है तो आप उस काश्तकार से सूद क्यों लेते हैं ? १८ महीने तक आपको कोई सूद नहीं देना पड़ता परन्तु किसान को ४ महीने तक के लिये सूद देना पड़ता है तो यह ऐसा क्यों है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

हमारी जो प्राविन्शियल फैडरेशन हैं, उनसे दूसरी सोसाइटीज को खाद चला जाता है ये ही उसे डिस्ट्रिब्यूट करती हैं तो इस प्रकार से १८ महीने तो क्या कभी-कभी खाद २ वर्ष तक भी नहीं बिक पाता है । उनके पास पड़ा रहता है, पैसा उनको देना पड़ता है, लेकिन इन सब चीजों के कारण यह नामुमकिन है कि उनसे सूद न लिया जाय जो नकद देते हैं उनको तो मिल जाता है पर जो उधार लेते हैं बैंक के द्वारा, प्रान्तीय सहकारी फेडरेशन के द्वारा नहीं लेते इसलिये बैंक को सूद देना पड़ता है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिस समय केन्द्रीय सरकार प्रादेशिक सरकार को खाद देती है तो मूल्यों पर सूद लेती है और फिर प्रान्तीय सरकार खाद के मूल्य सूद लेकर देती है और फिर फेडरेशन भी मुनाफा लेता है, तो यह ३ स्टेज हुये चौथे उनका कहना है कि वह सोसाईटी जो किसानों को देती है वह रुपया वह बैंक से लेती हैं तो सवाल यह है कि सोसाइटी बैंक से रुपया नहीं लेती क्योंकि उनको कोई पेमेंट करना नहीं पड़ता । इसलिये जिस स्टेज पर पेमेंट करना पड़ता है तो काश्तकार से खुद ही रुपया मिल जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि किस सूचना के आधार पर वह कह रहे हैं कि सोसाइटी को कोई रुपया देना नहीं पड़ता, मेरी जानकारी है कि समिति से खुद किसान को मिलता है और उसके बैंक से रुपया लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

मेरे पास यही सूचना है कि सूद काश्तकार बैंक को देते हैं और प्रान्तीय सहकारी फेडरेशन को नहीं देते हैं। वह बैंक को देते हैं जो कर्जा उससे लेते हैं अगर वह सौ रुपया कर्जा लें और ९० पया नकद लें और दस रुपये की खाद ले तो बैंक को सूद देना पड़ता है ।

श्री बलवानसिंह—

जैसाकि श्री माधव प्रसाद ने बताया कि १८ मास तक कोई सूद केन्द्रीय सरकार को नहीं देना पड़ता तो क्या सहकारी विभाग भी इसकी सहूलियत किसानों को देने को तैयार है कि अगर वितरण की कोई एजेंसी भी हो तो किसानों की सहूलियत के लिये उन्हें इस पीरियड के लिये बिना सूद के खाद दी जाय ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मैं तो इसका उत्तर दे चुका कि वर्तमान परिस्थिति में खाद की बिक्री में किसी तरह की छट देना सम्भव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

उन का कहना यह है कि खाद बैंक के द्वारा दी जाती है। बैंक से वह कर्जा लेता है तो बैंक को वह देता है। अब सिर्फ सवाल इतना रह जाता है कि अगर कोई बैंक से रुपया न ले कर अपनी तरफ से ले तो क्या होगा ? यह सवाल रह जाता है। लेकिन बैंक से कर्जा लेगा तो बैंक को देगा ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो खाद केन्द्रीय सरकार से मिलती है उस को फेडरेशन की मारफत न वितरित करके अपनी तहसील के द्वारा बगैर सूद के किसानों को खाद देने की व्यवस्था करेंगे ? क्योंकि बीच में जो फेडरेशन है वह १८ महीने की जो छूट है उसको ले लेता है। उस को न दे करके किसान तक सीधा पहुंचाया जा सके ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जो खाद आती है उस को प्राविन्शियल कोआपरेटिव फेडरेशन के द्वारा बटवाते हैं इसलिये कि वह एजेन्ट के रूप में काम करता है, हिसाब किताब रखता है क्योंकि दूकानदारी की बात है, कोई बोरा खराब हो गया, कुछ खाद बाकी है आदि यह सब चीजें होती हैं। लिहाजा यह प्राविन्शियल कोआपरेटिव फेडरेशन गवर्नमेंट के एक एजेन्ट की हैसियत से काम करता है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट से खाद लेता है उस का रुपया वह १८ महीने के अन्दर उन को देता है। अगर १८ महीने के अन्दर वह रुपया नहीं दे पाता है तो पैनाल्टी का सूद उस पर पड़ता है। तो कोआपरेटिव फेडरेशन खाद को लेने के बाद दूसरी सोसाइटीज को पास ओवर करता है और वहां से उसका वितरण होता है। जब वितरण होता है तो जो लोग नकद लेते हैं उन को जो रेट्स गवर्नमेंट आफ इंडिया ने तय कर रखे हैं उन्हीं पर मिलती है। लेकिन जो लोग उधार लेते हैं वह बैंक से पैसा जाता है कर्जे के रूप में और तब उससे खाद लेते हैं। तो गवर्नमेन्ट इस में क्या करे ?

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

प्राविन्शियल कोआपरेटिव फेडरेशन केन्द्र से जो खाद प्राप्त करता है वह उधार प्राप्त करता है, और जो कीमत केन्द्र से नियत होती है उस के अन्दर सूद भी शामिल है। इस प्रकार से जो भी किसान नकद दाम देकर खाद खरीदता है वह भी उस सूद को अदा करता है ।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जो कीमत फिक्स की है यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने की है। इस में स्टेट गवर्नमेन्ट कहीं नहीं आती है। अब इस में सूद शामिल हो या नहीं, यह उन के सोचने की बात है। कीमत तो वहां से मुकर्रर होती है। अब वह सूद के लिहाज से करते हैं या नहीं इस का कारण हमारे पास नहीं है। सेन्ट्रल गवर्मेन्ट ने इसके लिये कमेटी मुकर्रर की थी इसी बात को देखने

के लिये कि १८ महीने की जो अवधि है यह कितनी रहे। उस की रिपोर्ट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास आ गई है। उस पर वह विचार कर रहे हैं। मुमकिन है १८ महीने की अवधि घटा कर और कम हो जाय, लेकिन कहा नहीं जा सकता उस में क्या शक्ल होगी।

श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या सरकार ऐसा भी करने के लिये तैयार है कि पूरा सूद न छोड़ कर जिस दर पर सरकार प्राप्त करती है उसी दर पर हमको दे दिया करे। सरकार को जिस दर पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट से खाद मिलती है, पूरी छूट तो सरकार देने के लिये तैयार नहीं है, क्या सरकार इतना भी हमें कर सकती है कि जिस सूद पर उसको मिलती है वह सूद हम से ले लिया करे, उतनी मुद्दत का, १८ महीने तक का। क्या सरकार ऐसा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

मैं कई दफा अर्ज कर चुका हूं कि सरकार कोई सूद नहीं लेती है। कोआपरेटिव बैंक्स से किसान कर्जा लेते हैं। अब उनकी जो सूद की दर है वह माननीय सदस्यों को ज्यादा मालूम होती है तो वहां कोशिश करें, प्रस्ताव पास कर लें कि वह बैंक्स से कम सूद लें।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

लगता है श्रीमन्, माननीय मंत्री के विरुद्ध प्रिवलेज का नोटिस देना पड़ेगा। यह बार बार कह रहे हैं कि बैंक उधार देता है।

श्री शिवराजसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है या नहीं कि जो कीमतें केन्द्र नियत करता है उस में कोई सूद शामिल है या नहीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जो कीमतें केन्द्र नियत करता है, नगदी की कीमतें उसने नियत की हैं, उसी पर बाटा जाता है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो खाद फेडरेशन को मिलता है सेन्टर से वह नकद खरीदता है या उस को उधार पर मिलता है वहां से ? श्रीमन्, अगर वह सेंटर को सूद देता है तब तो उसे सूद लेने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया है उसे समझ लीजिये। वह कहते हैं कि जो नगद खरीदता है वह उसी दाम पर खरीदता है जो केन्द्र से फिक्स होता है। दूसरी बात वह कहते हैं कि जो उधार देते हैं वह बैंक के द्वारा देते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह---

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि बैंक को जो खाद मिलती है उस पर बैंक को यदि सूद नहीं देना पड़ता है तो बैंक को सूद लेने का कोई हक नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

बैंक को कहां मिलती है, फेडरेशन को मिलती है।

कुंवर श्रीपालसिंह---

जिस किसी संस्था को भी खाद बिना सूद के मिलती है तो उसको सूद पर देने का कोई हक नहीं है। क्या सरकार इसको खत्म करने जा रही है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)---

श्रीमन्, म यह जानना चाहता हूं कि जो नगद पैसे पर दी जाती है उतने पर ही उधार में भी दी जाती है। यह क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष---

उसके दाम तो केन्द्र से मुकर्रर हैं। इसलिये अगर उसी समय रुपया दे तो उतने दाम दे दे। अगर उधार लेता है तो काम वही हैं, लेकिन सूद अलग से है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

श्रीमन्, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि बैंक के द्वारा कोई खाद नहीं बेची जाती है। सोसाइटी जो रुपया बैंक से लेती है उसका खाद से कोई मतलब नहीं है। दरअसल बात यह है कि वह सोसाइटी खाद वाला रुपया अपने पास हेल्ड अप कर लेती है और उस काश्तकार के साथ यह करती है कि रुपया उसके नाम से ट्रांसफर कर देती है और सूद भी ले लेती है। इस तरह से वह दुगना फायदा उठाती है। क्या मंत्री जी व्यवस्था करेंगे कि जो भी काश्तकार एक वर्ष में पेमेंट कर गेगा उससे सोसाइटी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकेगी। तब कहीं जाकर काश्तकार की जान बचेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

श्रीमन्, मैंने अर्ज कर दिया कि इस हालत में इस समय किसी तरह की छूट देना मुमकिन नहीं है।

कानपुर जिले से नलकूप लगाने के लिये प्रार्थना-पत्र

*१८---श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)---

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत बाराग्राम के निवासियों द्वारा निजी ट्यूबवेल लगाने हेतु प्रार्थना-पत्र आये हैं और उनका एग्रीमेंट होकर रुपया भी जमा हो गया है ? यदि हां, तो कितने और किस-किस के ?

श्री राममूर्ति---

जी हां, कानपुर जिले के बाराग्राम के निम्नलिखित तीन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र निजी ट्यूबवेल लगाने के संबंध में प्राप्त हुए हैं :---

१---श्री अब्दुल हमीद खां

२---श्री महबूब बख्स,

३---लालता प्रसाद एवं राम प्रसाद

सर्वश्री अब्दुल हमीद खां तथा महबूब वक्स का एग्रीमेन्ट होकर रुपया जमा हो गया है। श्री लालता प्रसाद ने ऐग्रीमेन्ट नहीं भरा है।

*१९---श्री मेड़ीलाल (अनुपस्थित)---

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उपर्युक्त प्रार्थना-पत्रों के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति--

जी० एम० एफ० के अन्तर्गत सर्वश्री लालता प्रसाद को तीन हजार रुपया २४-१२-६५ को तथा महबूब बक्स को तीन हजार दो सौ पचास रुपया ४-१-६६ को निजी ट्यूबवेल के लिये तकावी ऋण दिया गया। श्री अब्दुल हमीद खां को स्वीकृत तीन हजार रुपये का भुगतान २६-६-६५ को कर दिया गया था और उसका बोरिंग का कार्य भी पूर्ण हो गया है।

सर्वश्री अब्दुल हमीद खां तथा महबूब बक्स को क्रमशः १८-१०-६५ व २३-१-६६ को बिजली का कनेक्शन भी दे दिया गया है। श्री लालता प्रसाद को ऐग्रीमेन्ट के अभाव में बिजली अभी नहीं दी गई है।

पंचायत मंत्रियों का बकाया वेतन

*२०--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों के पंचायत मंत्रियों का वेतन मई, १९६५ से जुलाई, १९६५ तक का बाकी है और क्यों ?

श्री राममूर्ति--

प्रदेश के सभी जिलों में पंचायत मंत्रियों का मई, १९६५ से जुलाई, १९६५ तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है।

खंड विकास अधिकारी तथा ब्लाक प्रमुख, कल्यानपुर के विरुद्ध शिकायतें

*२१--श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि विकास खंड अधिकारी, कल्यानपुर, जिला कानपुर के स्थानान्तरण के आदेश सरकार द्वारा माह मई, जून १९६५ में किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त स्थानान्तरण के आदेश सरकार के द्वारा क्यों रद्द कर दिया गया तथा उसके क्या कारण थे ?

श्री राममूर्ति--

खंड विकास अधिकारी, कल्यानपुर, जिला कानपुर का स्थानान्तरण उप विकास आयुक्त, इलाहाबाद द्वारा मई, सन् १९६५ में किया गया था जिसे उन्होंने जिला मैस्जिट्रेट, कानपुर की अनुशंसा पर जून, १९६५ में स्थगित कर दिया था।

*२२--श्री झारखण्डेराय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि विकास खंड अधिकारी तथा ब्लाक प्रमुख कल्यानपुर के विरुद्ध अनेक भ्रष्टाचार केशिकायती-पत्र सरकार तथा जिला अधिकारियों को जनता की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं, तो क्या सरकार उन सारे प्रार्थना-पत्रों की जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी द्वारा पुनः करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

खंड विकास अधिकारी तथा ब्लाक प्रमुख कल्यानपुर के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी विधिवत जांच जिला स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जा रही है।

श्री झारखण्डेराय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो शिकायतें उनके खिलाफ आई हैं उनमें कौन-कौन प्रमुख हैं और वे किस प्रकार की हैं ?

श्री राममूर्ति—

शिकायतें बहुत प्रकार की हैं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हो रहा है इसलिये मोटे तरीके से बता दीजिये ।

श्री झारखण्डेराय—

श्रीमन्, इसे रहने दीजिये । मंत्री जी यह बता दें कि उनका जो ट्रांसफर रोका गया है वह जांच पड़ताल होने तक के लिये रोका गया है या स्थाई तौर पर रोका गया है ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, ब्लाक प्रमुख तथा बहुत से लोगों ने जिलाधीश कानपुर को दरख्वास्त दी कि नियोजन का काम संबंधित बी० डी० ओ० अच्छा कर रहे ह । इसलिये उनका ट्रांसफर रोक दिया गया है । सिर्फ इतनी सी बात मेरे पास लिखकर आई है ।

नौगढ़ ब्लाक में पुलिया का निर्माण

*२३—श्री बैजूराम (जिला सीतापुर)—

क्या यह सही है कि बस्ती जिले के अन्तर्गत विकास खण्ड, नौगढ़ में कोड़रा ग्रांट ग्राम सभा को कोड़रा ग्रांट ग्राम सभा से बवोनी होकर जाने वाली कच्ची सड़क पर पिपरिया और बसोनी ग्राम के बीच में नाले पर एक पक्के पुल का निर्माण का कार्य विकास खंड द्वारा सुपुर्द किया गया है ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं । यह कार्य ग्राम सभा स्वयं क्षेत्र समिति से प्राप्त अनुदान से अपने प्रस्ताव दिनांक १३ अक्तूबर, १९६२ के अनुसार कर रही है ।

*२४—श्री बैजूराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में कुल एस्टीमेट में से कितने रुपये अब तक व्यय हुये हैं और कितना निर्माण कार्य हुआ है ?

श्री राममूर्ति—

कुछ एस्टीमेट ७,३५० रु० में से अब तक ५, १६१ रु० व्यय हो चुके हैं और पुल के चारों पाये तैयार हो चुके हैं ।

*२५—श्री बैजूराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त पुलिया के गत कई वर्षों में कार्य प्रारम्भ होने के बावजूद अब तक क्यों निर्माण कार्य अपूर्ण है ?

श्री राममूर्ति—

धनाभाव के कारण निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका ।

स्वास्थ्य विभाग में निम्नश्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी

*२६—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जो बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सभी निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को जो स्वास्थ्य विभाग या अस्पतालों में कार्य करते हैं कोई सरकारी वर्दी दी जाती है ? यदि नहीं, तो उसको देने का प्रबन्ध कर रहे हैं ?

नोट—तारांकित प्रश्न २२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

स्वास्थ्य विभाग में सरकारी वर्दी केवल उन कर्मचारियों को दी जाती हैं जो स्थायी हैं तथा गजेटेड अधिकारियों के साथ लगे हैं या अस्थाई है पर गजेटेड अधिकारियों के साथ लगे हैं और दो तीन साल तक रखे जाने वाले हैं ।

सभी कर्मचारियों को सरकारी वर्दी देने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

डाक्टरों की कमी

*२७—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री द्वितीय सत्र १९६५ के तीसरे बुधवार के नत्थी 'ख' के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के संदर्भ में प्रदेश में डाक्टरों की कमी दूर करने के लिये इस बात पर विचार करेंगे कि डाक्टरों की सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाय और निर्धन छात्रों को एम० बी० बी० एस० की शिक्षा मुफ्त दी जाय ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

फिलहाल डाक्टरों की सेवाओं के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जहां तक निर्धन छात्रों को एम० बी० बी० एस० की शिक्षा मुफ्त देने का प्रश्न है, इस समय प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में पढ़ने वाले कुल छात्रों के ५ प्रतिशत को निःशुल्क एम०बी० बी० एस० की शिक्षा दी जाती है। शेष छात्रों में से १० प्रतिशत ऐसे छात्रों को जिनके अभिभावकों की मासिक आय ३०० रु० से कम है, १०० रु० मासिक छात्र वृत्ति दी जाती है। इसके अलावा आगरा, लखनऊ और कानपुर के मेडिकल कालेजों में ग्रामीण पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों के लिये ६० रु० मासिक की दो दो छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं ।

एक्सरे प्लान्ट्स

*२८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जिला अस्पतालों में एक्सरे प्लान्ट कुल लगे हैं तथा उनमें से कुल कितने कार्य कर रहे हैं, कितने नये हैं तथा कितने मरम्मत में हैं तथा कितने पुर्जों के न मिलने के कारण साल भर से ऊपर हो गया बेकार पड़े हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रदेश के ५४ जिला अस्पतालों में कुल ११८ एक्सरे प्लान्ट हैं। इनमें से ९२ प्लान्ट कार्य कर रहे हैं, १ प्लान्ट नया (१९६४-६५ में खरीदा हुआ) है, १७ प्लान्ट मरम्मत में हैं तथा ९ प्लान्ट पुर्जों के न मिलने के कारण साल भर से ऊपर हो गया बेकार पड़े हैं ।

मुरादाबाद तथा बिजनौर जिले में कृषि सहकारी समिति पदाधिकारी

*२९—श्री रियासत हुसैन—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद और बिजनौर में कौन-कौन से कृषि सहकारी समिति पदाधिकारी काम करते हैं तथा उनका वेतन क्या है ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जिला मुरादाबाद व बिजनौर की कृषि सहकारी समिति पदाधिकारियों के नाम, पद तथा उनके वेतन की सूची संलग्न है ।

देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४३३-४३६ पर।

पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र , मुरादाबाद का आडिट

*३०—श्री रियासत हुसैन—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में जो प्रधानों का ट्रेनिंग स्कूल गांगन नदी के किनारे चल रहा है, उसको कौन मैनेज करता है ? सरकार द्वारा उस ट्रेनिंग स्कूल पर कितना रुपया सालाना खर्च किया जाता है और उसका आडिट किसके द्वारा होता है और आखिरी आडिट कब हुआ था ?

श्री राममूर्ति—

मुरादाबाद में यह ट्रेनिंग स्कूल (पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र) हरिजन सेवक संघ नामक स्वयं सेवी संस्था के तत्वाधान में चल रहा है । इस प्रशिक्षण केन्द्र का सालाना औसतन खर्चा २८,००० रु० है ।

इसके लेखे जोखे का आडिट रजिस्टर्ड चारटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जाता है और आखिरी आडिट दिसम्बर, १९६५ में हुआ था।

श्रमायुक्त कानपुर के विचाराधीन आर० सी० ओ० कार्यालय, गोरखपुर के मामले

*३१—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में कब से सहायक श्रमायुक्त का पद रिक्त है अथवा स्वीकृत है ? यदि हां, तो अब तक उस स्थान को पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री बनारसीदास—

गोरखपुर के लिये सहायक श्रमायुक्त का अस्थाई पद नवम्बर, १९५७ में स्वीकृत हुआ था, किन्तु बाद में विभागीय व्यय में बचत करने की दृष्टि से उसे समाप्त कर दिया गया । अतः इस पद पर नियुक्त का प्रश्न नहीं उठता ।

*३२—श्री उग्रसेन—

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित आर० सी० ओ० कार्यालय के कितने कर्मचारियों के मामले निर्णय हेतु श्रमायुक्त, कानपुर को भेजे गये हैं जो अब तक निर्णीत नहीं हुये ? यदि हां, तो उन मामलों पर कब तक निर्णय दिया जायगा ?

श्री बनारसीदास—

गोरखपुर स्थित कार्यालय के केवल एक कर्मचारी का मामला श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर से प्राप्त हुआ है जो अभी तक निर्णित नहीं हुआ। इस मामले पर यथाशीघ्र निर्णय दिया जायेगा ।

*३३—श्री उग्रसेन—

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज वर्कशाप, गोरखपुर में वर्क्स कौंसिल बन गई है ? यदि नहीं, तो न बनने का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—

जी हां ।

जहांनागंज—मुबारकपुर सड़क

*३४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक ९ मार्च, १९६५ का लिखित पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें आजमगढ़ जिले की विभिन्न सड़कों को जनशक्ति तथा पटेल आयोग की सहायता से निर्माण करने की प्रार्थना की गई थी और जिसके न होने के कारण आवागमन का मार्ग प्रशस्त नहीं है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, जो रेलवे स्टेशन जहानागंज से मुबारक पुर तक सड़क के सम्बन्ध में था प्राप्त हुआ था। यह सड़क सठिगांव विकास क्षेत्र में पड़ती है। यह विकास क्षेत्र नवम्बर, १९६५ में कुछ निष्क्रय विकास क्षेत्रों को निरस्त कर ग्रामीण जनशक्ति योजना में सम्मिलित किया गया है। प्रस्तावित जहानागंज से मुबारक पुर सड़क का निर्माण कार्य इस योजनान्तर्गत कराने के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा अध्यक्ष जिला परिषद् आजमगढ़ की अनुशंसा मांगी गई है। उनसे रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस सड़क को लिये जाने के बारे में विचार किया जायेगा।

चीनी मिल मजदूर संघ, खड्डा से हड़ताल की नोटिस

*३५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या श्रम मन्त्री बताने कीकृपा करेंगे कि चीनी मिल मजदूर संघ, खड्डा जिला देवरिया की ओर के संराधन अधिकारी, गोरखपुर के समक्ष दिनांक १६ जनवरी, १९६५ को दिनांक १४, १५ फरवरी, १९६५ से होने वाली हड़ताल के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं।

*३६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल मजदूर संघ, खड्डा जिला देवरिया द्वारा चीनी मिल खड्डा के प्रधान व्यवस्थापक के पास हड़ताल करने की नोटिस दिनांक १४ जनवरी, १९६५ को दे दी गई थी : यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही हुई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री बनारसीदास—

जी हां। हड़ताल नोटिस दिनांक १६-१-६५ को दी गई थी। प्रादेशिक संराधन अधिकारी गोरखपुर के समक्ष दोनों पक्षों में समझौता होने के फलस्वरूप हड़ताल नोटिस वापस ले ली गई थी।

विकास खंड, फूलपुर में ग्राम सेवकों का वेतन

*३७—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)—

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के विकास खंड फूलपुर में काम करने वाले कितने ऐसे ग्राम सेवक हैं जिनको वेतन बढ़ोत्तरी का रुपया वर्ष १९५८-५९ तथा १९६० का सरकार द्वारा नहीं दिया गया है तथा ? न दे ने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

इस जनपद के विकास खण्ड फूलपुर में कार्य करने वाले किसी भी ग्राम सेवक का फूलपुर विकास खण्ड से संबंधित वर्ष १९५८–५९ तथा ६० के वेतन बढ़ोत्तरी का रुपया भुगतान हेतु अवशेष नहीं है।

*३८—श्री रियासत हुसैन—

[१ ले शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३९–४०—श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़) तथा श्री चन्द्रजीत यादव—

[२ रे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में महिला हेल्थ विजिटर्स का बकाया वेतन

*४१—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितनी महिला हेल्थ विजिटर्स सन् १९५९ से अब तक ऐसी हैं जिन्हें मैटरनिटी लीव का वेतन अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो किस कारण और दिया गया, तो कब ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४३७ पर)

प्रधान, गांव पंचायत, खेरसा के विरुद्ध आरोप

*४२—श्री जेड० ए० अहमद तथा श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव पंचायत खेरसा, परगना व जिला कानपुर के प्रधान के विरुद्ध पंचायत के धन के गबन तथा पंचायत का जाली लेखा बनाने तथा अनेक प्रकार की अनियमितताओं के तथाभ्रष्टाचार के आरोप पाये गये हैं ? यदि हां, तो वह आरोप क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

गांव पंचायत खेरसा, परगना व जिला, कानपुर के प्रधान के विरुद्ध पंचायत के धन के गबन तथा पंचायत का जाली लेखा बनाने तथा अनेक प्रकार की अनियमितताओं के तथा भ्रष्टाचार के आरोप विषयक एक प्रार्थना पत्र श्री राम स्वरूप पाण्डेय, सदस्य गांव पंचायत, खेरसा ने कमिश्नर इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद को दिया था। इसकी जांच अतिरिक्त परगनाधीश कानपुर ने की थी। पर इस विषय के कुछ सम्बन्धित कागजात, अदालत बोर्ड आफ रेवेन्यू में श्रीमती खरगा बनाम गांव समाज" नामक मुकदमें में तलब होने के कारण उपलब्ध नहीं थे इस कारण परगनाधीश अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंच सके।

गोरखपुर जिले में ग्राम सेवकों की वेतन बढ़ोत्तरी

*४३—श्री चन्द्रपाल—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिले में उस समय काम करने वाले गोरखपुर में कितने ऐसे ग्राम सेवक हैं जिनकी वेतन बढ़ोत्तरी का रुपया वर्ष १९५८, १९५९, तथा १९६० का सरकार द्वारा नहीं दिया गया है तथा यह न देने का कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति--

केवल तीन ग्राम सेवकों को वेतन बढ़ोत्तरी का रुपया वर्ष १९५८-५९ तथा १९६० का अभी तक भुगतान नहीं किया जा सका । ग्राम सेवकों की सेवा पुस्तिकायें उनके पूर्व नियुक्ति के जिले से विलम्ब से प्राप्त हुई थीं जिसके कारण उनका वेतन नियत समय से नहीं बन सका ।

मथुरा सदर अस्पताल का प्रबन्ध

*४४--श्री लखीसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिला अस्पताल में एक्सरे (रान्गाटन किरन) की मशीन बिजली से स्टार्ट होती है ? यदि हां, तो एक्सरे लेते समय माह सितम्बर अक्तूबर, १९६५ में कितने बार बिजली गुल रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां, मथुरा जिला अस्पताल की एक्सरे मशीन बिजली से चलती है । माह सितम्बर व अक्तूबर, १९६५ में एक्सरे लेते समय बिजली कितने बार गुल रही इसका ब्योरा अस्पताल में नहीं रखा गया है।

*४५--श्री लखीसिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा सदर अस्पताल में कितने स्पेशल वार्ड हैं और वार्डों में स्नान घर तथा शौचालय किस तरह के हैं क्या यह सत्य है कि इन स्नान घरों तथा शौचालयों के दरवाजों पर किवाड़ भी नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो १ नवम्बर से ८ नवम्बर, १९६५ तक इन वार्डों में किन किन मरीजों को भरती किया गया और उनमें कौन-कौन विभागीय गजेटेड आफीसर हैं ?

श्री दाऊदाल खन्ना--

सदर अस्पताल, मथुरा में कोई स्पेशल वार्ड नहीं है । इस अस्पताल में चार प्राइवेट वार्ड हैं जिनमें एक एक पलंग की व्यवस्था हैं। इन वार्डों में स्नानागार नहीं हैं और शौचालय पुराने ढंग के कदमचे वाले हैं, जिनमें किवाड़ नहीं हैं परन्तु कदमचे दीवार की आड़ में बने हैं। १ नवम्बर, १९६५ से ८ नवम्बर, १९६५ तक इनमें निम्नलिखित मरीजों को भर्ती किया गया :

१--श्री लखीसिंह, एम० एल० ए०, मथुरा ।
२--श्री राजेन्द्र प्रसाद टोपर, पंचायत इन्सपेक्टर, मथुरा ।
३--श्रीमती सिया श्री देवी माता।
४--श्री भृगुदत्त तिवारी, क्लर्क, इन्डस्ट्रीज कार्यालय, मथुरा ।

उपरोक्त मरीजों में से कोई विभागीय गजेटेड आफीसर नहीं हैं।

*४६--श्री लखीसिंह--

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अस्पताल में दाखिल होने का माहवारी एवरेज क्या है और उनमें से जनाने अस्पताल में कितने कमरे तथा पलंग हैं और कितनी जनानी डाक्टर हैं उनको कितना अरसा मथुरा में हो गया है ? इस जनाने तथा जच्चा खाने में कितनी मरीजों की शया हैं और उक्त अस्पताल में रोजाना पुरुषों और महिलाओं को दूध तथा फल व खाना देने का क्या-क्या एवरेज हैं ? क्या इसकी सूची सदन की मेज पर रक्खी जायगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

वांछित सूचना निम्न प्रकार है :--

१--सदर अस्पताल, मथुरा में मरीजों के दाखिला (इनडोर) का माहवारी एवरेज २८७

२—जनाना अस्पताल, मथुरा में

(क) कमरों(वार्डों) की संख्या:

जनरल वार्ड	..	४
प्राइवेट वार्ड	..	४

(ख) पलंगों की संख्या ५८

(ग) महिला डाक्टरों की संख्या १

वहां काम करने की अवधि सहित :

ये वहां २६-८-६५ से काम कर रही हैं और उनको वहां काम करते लगभग ५ माह हो रहे हैं।

(घ) जनाने अस्पताल, मथुरा में मरीजों के कुल शैय्याओं की संख्या

जैसा उपर्युक्त २(ख) में बताया जा चुका है।

३—दूध, फल व खाना देने का प्रतिदिन का एवरेज

सदर अस्पताल, मथुरा में सन् १९६५ का ऐवरेज ३६ मरीज प्रतिदिन तथा जनाना अस्पताल मथुरा में १९६५ का ऐवरेज १० मरीज प्रतिदिन।

जिला नियोजन अधिकारी, रायबरेली का दौरा

*४७—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन अधिकारी, रायबरेली ने मार्च, १९६५ से १५ नवम्बर, १९६५ तक जीप से कितना दौरा किया, गाड़ी कितने कि०मी० चली तथा कितना पेट्रोल इस बीच में लिया गया तथा इसके अलावा यात्रा भत्ता भी लिया गया, कितनी रात जिले से बाहर रुके ?

श्री राममूर्ति—

जिला नियोजन अधिकारी, रायबरेली ने मार्च, १९६५ से नवम्बर, १९६५ तक जीप और पिकअप से ६,६६० किलो मीटर दौरा किया व १,२८१ लीटर पेट्रोल लिया व ११७५ रुपये ५ पैसे यात्रिक भत्ता लिया। जिले से बाहर २६ रात्रि रुके।

विकास क्षेत्र, शिवपुर का भवन

*४८—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र शिवपुर, जिला गोंडा का भवन बन कर तैयार हो गया है उसमें क्या लागत लगी तथा उसमें केवल रहने के क्वार्टर ही बने हैं या कार्यालय भी ?

श्री राममूर्ति—

विकास क्षेत्र शिवपुर जिला गोंडा में केवल कर्मचारियों के आवास हेतु कुछ क्वार्टर का तथा गैरेज का निर्माण हो गया है जिनकी लागत रु० ५८,३३९-२० है। कार्यालय भवन अभी नहीं बना है।

*४९—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या यह सत्य है कि केवल क्वार्टर बने हैं जो अभी से टूटना प्रारम्भ हो गया है जिसमें अभी शिफ्ट नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो उस संबंध में सरकार क्या कार्य करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, केवल क्वार्टरों का ही निर्माण हुआ है। कहीं भी किसी भवन में टूटने की शिकायत नहीं है। सभी क्वार्टर अच्छी अवस्था में हैं तथा १६-१०-१९६५ से ब्लाक कर्मचारी उनमें रहने भी लगे हैं।

*५०—श्री सुखदेव प्रसाद—

क्या यह सत्य है कि उक्त स्थान पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो कब तक व्यवस्था हो जायेगी ?

श्री राममूर्ति—

विकास क्षेत्र के निर्मित भवनों से लगभग ६० फीट की दूरी पर एक कुआं स्थित है जिससे काम लिया जा रहा है।

दूध से बनने वाले मिष्ठानों पर प्रतिबंध लगाने का विचार

*५१—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार दूध का रूपांतर करके बनाई जाने वाली मिठाइयों, रबड़ी, क्रीम आदि के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो विचाराधीन योजना की पूरी रूपरेखा क्या है ?

श्री बनारसीदास—

सरकार के सामने प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न विचाराधीन है। हर एक नगर में तरल दूध कितनी मात्रा में उपलब्ध है और उसमें कितनी वृद्धि नयी नयी योजनाओं के व्यवहारिक रूप में आने से हो सकी है इसका अनुमान लगाया जा रहा है। यदि किसी क्षेत्र में या नगर में तरल दूध का बहुत ही अभाव इस कारण हो गया कि दूध का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा मिठाइयां, आइसक्रीम, रबड़ी इत्यादि बनाने में हो रहा हो तो उस समय सरकार प्रतिबन्ध लगाने को सोचेगी।

रमूबाद विकास क्षेत्र में नलकूप

*५२—श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के अन्तर्गत रमूबाद विकास क्षेत्र में कितने नलकूप इस समय स्वीकृत हैं और वह कब तक बन जायेंगे ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रधान गांव सभा, खुजरो के विरुद्ध आरोप

*५३—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले की महराजगंज तहसील के अन्तर्गत खुजरो ग्राम के प्रधान ने एक वर्ष से अधिक हुआ पंचायत कोष से १,०० रुपया निकाल लिया है तथा उसे अपने निजी खर्च में लगाये हुये हैं ?

श्री राममूर्ति—

रायबरेली जिले की महाराजगंज तहसील के अन्तर्गत खजुरो गांव सभा के प्रधान ने ९ अप्रैल, १९६५ को १,००० रु० पंचायत कोष से निकाला था जिसका उपयोग अभी नहीं हो पाया है।

*५४---श्री भगवानदीन---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस आशय की तथा अन्य कई धांधलियों व अनियमितताओं के लिये इन प्रधान महोदय के खिलाफ कितनी शिकायतें पिछले वर्षों में हुईं तथा उन पर क्या आदेश हुए और उन्हें अमल में लाने के लिये अधिकारियों ने क्या किया ?

श्री राममूर्ति---

उक्त गांव सभा के प्रधान के विरुद्ध पोस्ट आफिस से पंचायत का धन निकालकर निजी खर्च में लाने की कोई शिकायत पिछले वर्षों में नहीं प्राप्त हुई। गांव सभा की एक बैठक नियमित ढंग से न करने और कुछ निर्माण कार्यों के लिये धन की स्वीकृति नियमित रूप से प्राप्त न करने के बारे में प्रधान के विरुद्ध एक शिकायत फरवरी, १९६४ में उसी गांव पंचायत के उप प्रधान द्वारा की गई थी। इस शिकायत की जांच के फलस्वरूप प्रधान को कड़ी चेतावनी दे दी गयी थी।

विकास खंड कम करने की योजना

*५५---श्री झारखण्डेराय---

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के कितने-कितने ब्लाक केंद्र प्रत्येक जिले में और कौन-कौन ब्लाक किस किस जिले में तथा कुल कितने ब्लाक प्रदेश भर में तोड़े जायेंगे उसका अंतिम निर्णय सरकार ने कर लिया है ?

श्री राममूर्ति---

विकास खंडों के कम करने के विषय में अभी अधिकारी वर्ग अपने प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। मोटे तौर पर यह निर्णय किया गया है कि कुमायूं खंड "जहां तक मुमकिन हो" में कोई भी परिवर्तन न किया जाय। बाकी सारे राज्य में लगभग २०० खंड कम करने का लक्ष्य अधिकारियों को दिया गया है। प्रत्येक जिले के सुझाव में गुणअौगुण का ध्यान रखते हुए (जिसमें भौगोलिक परिस्थितियों और यातायात के साधन पर विशेष महत्व है) अधिकारीगण अपने प्रस्ताव बना रहे हैं जिनको कि कमेटी आफ डाइरेक्शन के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा और तभी अंतिम निर्णय हो सकेगा। अभी यह कहना कठिन है कि कुल कितने खंड कम होंगे और किस जिले में क्या परिवर्तन होगा।

*५६---श्री झारखण्डेराय---

इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री राममूर्ति---

कमेटी आफ डाइरेक्शन की एक बैठक हो चुकी है और उसमें दिये गये निदेशों के आधार पर अधिकारीगण प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। कुछ जिला अधिकारियों और जिला परिषदों की संस्तुतियां भी प्राप्त हो चुकी हैं और बाकी को स्मरण पत्र और तार भेजे जा चुके हैं।

दुकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम लागू करने की प्रार्थना

*५७---श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा---

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के किन-किन नगरों के ऐसे आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन ३० अक्तूबर, १९६५ को थे जिनमें कि वह दूकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम लागू करने की प्रार्थना की गई है ? उक्त आवेदन-पत्र कब से विचाराधीन हैं तथा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसी दास--

३०, अक्तूबर १९६५ को ऐसे केवल ५ प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन थे जिनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४३८ पर)

इस्लामनगर केन्द्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही

*५८--श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा--

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले के इस्लामनगर केंद्रीय सहकारी बैंक के किन-किन कर्मचारियों पर भारतीय दंड विधान की धारा ४५७/४०९ के अधीन कार्यवाही चल रही है ?

श्री बनारसीदास--

इस्लामनगर केंद्रीय सहकारी बैंक जिला बदायूं के खजांची तथा जनरल मैनेजर के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा ४५७/४०९ के अन्तर्गत अदालत में कार्यवाही चल रही है।

*५९--श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा--

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न एक के उत्तर के संबंधित जिन पर कार्यवाही चल रही है उनमें से कौन कौन निलम्बित है ?

श्री बनारसीदास--

उक्त दो कर्मचारियों में से खजांची निलम्बित है।

एटा जिले को जन शक्ति उपयोग योजनान्तर्गत लेने का प्रस्ताव

*६०--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

क्या विकास मंत्री को ज्ञात है कि जिला परिषद् एटा ने अपनी बैठक दिनांक ३० सितम्बर, १९६५ को एक प्रस्ताव पास करके सरकार से यह अनुरोध किया है कि विकास खंड पटियाली तथा गंजडुंडवारा, जिला एटा को उनकी विशेष आर्थिक परिस्थिति एवं प्राकृतिक आपदा (बाढ़) से प्रभावित होने के कारण जनशक्ति उपयोग योजना में सम्मिलित कर लिया जावे ? यदि हां, तो वह पूरा प्रस्ताव क्या है तथा जनशक्ति उपयोग योजना प्रस्तावित दोनों विकास खंडों में कब तक चालू हो जावेगी ?

श्री राममूर्ति--

जी हां, प्रस्ताव की प्रतिलिपि संलग्न है।

वर्तमान आपत कालीन परिस्थितियों के कारण भारत सरकार ने ग्रामीण जनशक्ति योजना के बजट में भारी कटौती कर दी है, अस्तु फिलहाल इस योजना का नये विकास क्षेत्रों में प्रसार संभव नहीं है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४३९ पर)

विकास खंड, फतेहपुर के प्रमुख के विरुद्ध शिकायतें

*६१--रतीपाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २४ अप्रैल, १९६४ का प्रश्नकर्त्ता द्वारा लिखित कोई पत्र उन्हें तथा आयुक्त मंडल गोरखपुर को प्राप्त हुआ है जिसमें विकास खंड फतेहपुर, मड़ाव, पोस्ट मधुवन, जिला आजमगढ़ के प्रमुख के विरुद्ध इस आशय की शिकायत है कि मई, १९६१ को जिला परिषद् आजमगढ़ द्वारा प्राइमरी पाठशाला काठ तरांव की मरम्मत

के लिये १,८०० रु० का अनुदान लेकर उसका उपयोग दिनांक २४ अप्रैल, १९६४ तक नहीं कर पाये थे और आज तक खिड़कियां और दरवाजे नहीं लग पाये हैं तथा उक्त धनराशि को प्राप्त होने को साथ साथ गांव सभा के पासबुक, डाकखाने, में जमा नहीं किये थे? यदि हां, तो उक्त शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा कब कराई गई और उसकी सूचना प्रश्नकर्त्ता को भी दी गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जी हां । उक्त शिकायती पत्र पर एस०डी० ओ० घोसी, आजमगढ़ द्वारा दिनांक ५-६-६४ को जांच की गई थी और जिसके फलस्वरूप कोई खास बात प्रश्नकर्त्ता को सूचित करने योग्य प्रकाश में नहीं आई।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को बोनस

*६२—श्री ऊदल—

क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार कर रही है कि जिस तरह से भारत सरकार सरकारी उद्योगों के कर्मचारियों को बोनस देने जा रही है और इसकी घोषणा भी कर दी है उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं व्यावसायिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी बोनस देगी ? यदि हां, तो यह फैसला कब तक हो जायगा ?

श्री बनारसीदास—

सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को बोनस देने का प्रश्न विचाराधीन है।

*६३-६४—श्री सुखदेवप्रसाद—

[३रे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या २४-२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कच्चे कुयें

*६५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या कृषि मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कच्चे कुयें खोदने की योजना का पालन किन-किन जिलों में हुआ है तथा १९६४-६५ में कुल कितने कुयें खोदे गये तथा कितना धन खर्चा हुआ और उनसे कितने एकड़ की अतिरिक्त सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बिकास क्षेत्र, बिल्हौर में नलकूप

*६६—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि विकास क्षेत्र बिल्हौर, जिला कानपुर के अन्तर्गत कितने नलकूप किसानों ने निजी तौर से बनाये हैं जो बिजली न मिल पाने के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं तथा उन्हें बिजली कब तक दे दी जायेगी ?

श्री राममूर्ति—

विकास क्षेत्र बिल्हौर जिला कानपुर के अन्तर्गत किसी भी किसान ने निजी तौर से नलकूप नहीं बनाये हैं । अतएव बिजली न मिलने के कारण कार्य न करने तथा बिजली की सुविधा को उपलब्ध करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*६७—श्री कमलासिंह यादव—

[हटा दिया गया।]

*६८—श्री कमला सिंह यादव—

[१ ले गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गाजीपुर जिले में लार्ज साइज सोसाइटीज

*६९—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६३-६४ में गाजीपुर जिले में कौन-कौन लार्ज साइज सोसाइटीज चालू रहीं और उन पर कितना खर्च किया गया ? उनमें १९६३-६४ में कितना लाभ हुआ ?

श्री बनारसीदास—

वर्ष १९६३-६४ में गाजीपुर जिले में चालू लार्ज साइज सोसाइटीज का नाम उन पर होने वाले खर्च तथा उनके लाभ का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र०सं०	नाम समिति			व्यय	शुद्ध लाभ
				रु०	रु०
१	सैदपुर	..	..	४६४९	८५६९
२	खानपुर	..	..	४३७९	५६३६
३	उच्चारी	..	..	३६४४	४२३३
४	सादात	..	..	२५५२	७०५४
५	परसनी	..	..	२८५१	६९४१
६	भीमापार	..	..	३८६३	४५८१
	योग	..		२१,९३८	३७,०१४

पथरदेवा ब्लाक में जन शक्ति उपयोग योजनान्तर्गत भ्रष्टाचार

*७०—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री रवीन्द्र किशोर शाही प्रमुख क्षेत्र समिति, पथरदेवा, जिला देवरिया द्वारा कोई शिकायती-पत्र सितम्बर, १९६५ के दूसरे सप्ताह में पथरदेवा ब्लाक के अन्तर्गत चलने वाली जनशक्ति उपयोग योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में मिला ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पत्र की मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, शिकायती पत्र में उल्लिखित मुख्य २ शिकायतों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४४०-४४२ पर)

प्रेम स्पिनिंग तथा वीविंग मिल, उझानी में वेज बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वयन

*७१—श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा वेज बोर्ड (टेक्सटाइल) की जो सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं उनमें से उझानी स्थित प्रेम स्पिनिंग तथा वीविंग मिल

में कौन-कौन लागू हैं तथा कौन कौन नहीं लागू है ? जो नहीं लागू हैं उनके न लागू होने का क्या कारण है तथा लागू कराने के लिये सरकार क्या-क्या प्रयास कर रही है ?

श्री बनारसीदास—

इस मिल पर सूती वस्त्रोद्योग वेतन मंडल की प्रायः सभी सिफारिशें लागू हैं। इसके अनुसार सेवायोजकों ने अपने श्रमिकों को केवल ६ रु० तथा २ रु० की वेतन वृद्धि तो दे दी है, परन्तु महंगाई भत्ते तथा क्लर्कों संबंधी सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की हैं।

श्रमिकों को सुझाव दिया गया है कि सं० प्रा० औद्योगिक झगड़ों के अधिनियम की धारा ६ के अधीन अपने देय धन की वसूली के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें।

*७२—श्री नाथूराम शिक्षक—

[१ ले गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नौगढ़ व बांसी तहसीलों में चेचक, हैजा

*७३—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती की तहसील नौगढ़ तथा बांसी में किस-किस ग्राम में १ जनवरी, १९६५ से दिनांक १९ नवम्बर, १९६५ तक कितनी-कितनी मौतें चेचक तथा हैजे से हुयीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला बस्ती की नौगढ़ तथा बांसी तहसील में जनवरी, १९६५ से २० नवम्बर, १९६५ को समाप्त होने वाले सप्ताह तक चेचक व हैजे से ग्रस्त होने वाले ग्रामों का विवरण संलग्न है। ग्रामों और मृतकों की संख्या निम्नलिखित है :

नाम	ग्रसित ग्रामों की संख्या		मृतकों की संख्या	
	चेचक	हैजा	चेचक	हैजा
१—नौगढ़	२	३७	१	१८६
२—बांसी	३	१८	७	७४

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४४३-४४४ पर)

*७४—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

पहले प्रश्न १ के उत्तर में उल्लिखित किन-किन ग्रामों में इस अवधि में जिला स्वास्थ्य अधिकारी दौरा करने गये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने उपरोक्त ग्रामों में से १३ ग्रामों में दौरा किया जिनके नाम इस प्रकार हैं :

(१) दलदलहा, (२) नौखनिया, (३) सोनउर, (४) शोहरगतढ़, (५) मिश्रवनिया, (६) पिपरा , (७) गौहनिया, (८) विरदपुर, (९) करमाकला, (१०) मसीना, (११) नागर, (१२) नन्दीपार और (१३) मखटिया चाईपुर।

*७५—श्री दयाराम शाक्य—

[२ रे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में पंचायत लिपिकों की नियुक्ति

*७६—श्री भीमा प्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के पंचायती राज विभाग में सन् १९४९ के प्रारम्भ में कितने पंचायत लिपिक नियुक्त किये गये थे तथा उन लिपिकों में से कब-कब स्थायी किये गये और स्थायी होने वाले लिपिकों की योग्यता क्या थी ?

श्री राममूर्ति—

आजमगढ़ जिले में पंचायती राज विभाग में १९४९ के प्रारम्भ में कुल २५ पंचायत लिपिक नियुक्त किये गये थे। इन लिपिकों में से स्थायी किए गए लिपिकों के स्थायीकरण की तिथियां तथा उनकी शिक्षा सबन्धी योग्यताओं की एक सूची सदन की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४४५-४४६ पर)

*७७—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ में पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त लिपिकों की ज्येष्ठता सम्बन्धी कोई सूची बनायी गयी थी ? यदि हां, तो उस की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे तथा यह भी बतायेंगे कि उक्त सूची के अनुसार लिपिकों को मुस्तकिल न करने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। सन् १९६३ में बनाई गयी ज्येष्ठता सम्बन्धी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

लिपिकों का स्थायीकरण ज्येष्ठता सूची में उनके नामों के क्रमानुसार अनुपयुक्त व्यक्तियों को छोड़ते हुए किया गया है। जो लिपिक स्थायीकरण के लिये अनुपयुक्त पाये गये उन्हें स्थायी नहीं किया गया।

फतेहपुर-जिले के क्षेत्र विकास अधिकारियों का प्रत्यावर्तन

*७८—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के कुछ अस्थायी क्षेत्र विकास अधिकारियों को उप विकास आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल द्वारा सितम्बर, १९६५ में अनियमित ढंग से उनके मूल पदों पर प्रत्यावर्तित किया गया है के विरोध में जिले के समस्त विधायकों द्वारा सितम्बर या अक्तूबर, १९६५ में विकास मंत्री तथा संयुक्त सचिव, विकास, उत्तर प्रदेश शासन को दिये गये आवेदन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

सितम्बर, १९६५ में फतेहपुर जिले के दो स्थानापन्न क्षेत्र विकास अधिकारियों को सहायक विकास अधिकारी के पदों पर प्रत्यावर्तित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये थे। इसके विरोध में श्री राम किशोर वर्मा, सदस्य विधान सभा, फतेहपुर का एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था जिसे १३-१०-१९६५ को उप विकास आयुक्त इलाहाबाद को उचित कार्यवाही हेतु भेजा गया था। इस संबंध में अन्य प्रत्यावेदन भी प्राप्त हुये थे। जांच करने पर उक्त अधिकारियों के प्रत्यावर्तन ठीक पाये गये।

जन स्वास्थ्य विभाग, चमोली के कर्मचारियों को एलाउन्स न मिलना

*७९—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जन-स्वास्थ्य विभाग के इपीडेमिक स्टाफ का २/३ डेली एलाउन्स जिला स्वास्थ्य अधिकारी चमोली ने सन् १९६० से अभी तक स्टाफ

को नहीं दिया जब कि हर साल स्टाफ अपना बिल डी० एम० ओ० चमोली को देते रहे हैं? यदि हां, तो अलाउन्स न देने का क्या कारण है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*८०—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार उक्त अलाउन्स के बिलों का भुगतान शीघ्र करने की कृपा करेगी?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है?

अतारांकित प्रश्न

देवरिया में टी० बी० अस्पताल न होगा

१—श्री उग्रसेन—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चतुर्थ योजना में देवरिया में एक ५० शैय्या वाला टी० बी० अस्पताल बनाने की योजना है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं।

२—श्री उग्रसेन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री उक्त टी० बी० अस्पताल हेतु देवरिया के संयुक्त अस्पताल में ही व्यवस्था करेंगे?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर तथा देवरिया जिले में गांवों की पटाई

३—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया के अन्तर्गत रूरल मैन-पावर स्कीम के अन्तर्गत किन-किन गांवों की पटाई गत ३ वर्षों में हुई है और कुल कितना धन व्यय हुआ है?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री उग्रसेन—

क्या सरकार को गांव पटाई में हुये भ्रष्टाचार की शिकायतों की सूचना मिली है? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही हुई?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन का कोई भी सदस्य जब किसी विवाद पर बोलना चाहता है तो वह आप को बता देता है या लिख कर दे देता है ?

श्री अध्यक्ष—

जब बहस शुरू हो उस समय आप इस चीज को रखें।

लखनऊ काटन मिल जनरल फाइवर डीलर्स में तालाबन्दी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैंने नियम ५२ की सूचना माननीय हरीशकुमार गंगवार, जगन्नाथ राव, हिम्मत सिंह, रक्षपाल सिंह तथा श्री संतसिंह यूसुफ की स्वीकार की है। वह इस प्रकार है कि "लखनऊ काटन मिल जनरल फाइबर डीलर्स लिमिटेड के प्रबंधकों द्वारा मिल में अकारण कल तालाबंदी कर दिये जाने से लगभग १५०० मजदूर बिल्कुल बेकाम हो गये हैं। दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों के सामने भुखमरी की स्थिति व्याप्त हो गई है।

मजदूरों ने १९६५ का बोनस, १ महीने की नोटिस, वेतन तथा ग्रेच्युटी का मामला तथा स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के निधन के दिन बंदी का वेतन काटे जाने के विरोध के संबंध में अपना मांगपत्र दिया था। राज्य के श्रम विभाग के भी दरवाजे खटखटाये परन्तु कोई हल न निकला। बदले में मिल मालिकों ने तालाबंदी करके मजदूरों का शोषण प्रारम्भ कर दिया है। श्री शास्त्री के निधन के कारण हुई बन्दी का पैसा श्रमिकों से काटना अत्यन्त अन्याय-पूर्ण है। तालाबंदी के कारण स्थिति बड़ी उत्तेजनात्मक हो गई है। आदि आदि.....।"

मंत्री जी, इसके ऊपर कब बयान दिया जायेगा ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

श्रीमन्, सोमवार को दे देंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय शिवनाथसिंह तथा बांकेलाल जी की है जिसको मैंने विशेष ध्यान के लिये मंत्री जी के पास भेज दिया है, शेष अस्वीकार की हैं।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, मैंने बिस्वां के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना दी थी। वहां की स्थिति बड़ी ही विस्फोटक है, अतः उस को आप अवश्य लें।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो दिया है वह प्रश्न का विषय है। प्रश्न के जरिये आप सरकार से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडियेट एजूकेशन के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

कल मैंने बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडियेट एजूकेशन में दो सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में एक सूचना दी थी और निर्वाचन की कुछ तारीख भी मैंने निश्चित की थी। मेरे पास एक प्रस्ताव आया है जिसमें सभी दलों के नेताओं के हस्ताक्षर हैं और उसे संसदीय मंत्री श्री बनारसीदास ने भी स्वीकार कर लिया है। वह इस प्रकार से है :--

"जो आदरणीय सदस्य इस कमेटी में काम कर रहे हैं वे बदस्तूर काम करते रहें तथा उनकी कार्य अवधि जो १२ सितम्बर तक है, सितम्बर के बाद अभी एलेक्शन कराना जरूरी नहीं है । अतः यह समझा जाय कि वे निर्वाचित सितम्बर के बाद भी समझे जायेंगे और उसके बाद काम करते रहेंगे ।"

यह प्रस्ताव आपके सामने है, क्या सदन इसको स्वीकार करता है ?

अनेक सदस्य--

स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--

अगर वह आप को स्वीकार है तो पहले जो कार्यक्रम मैंने इस चुनाव के सम्बन्ध में निश्चित किया था वह निरस्त किया जाता है।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनायें (क्रमागत)

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि नियम ५२ के अन्तर्गत कई सदस्यों ने इस आशय का प्रस्ताव दिया था कि लाहौर सेक्टर से लौटे हुए एक दफेदार मेजर श्री इन्द्रजीत सिंह ने अपने ट्यूब-वेल के लिये बिजली मांगी। माननीय चन्दन सिंह जब उस मेजर के साथ माननीया सुचेता जी के पास गये तो उन्होंने उससे सम्बन्धित एक आफिसर के पास उन को भेज दिया। तो उस आफिसर ने माननीया सुचेता जी के लिये कहा कि वे नियम वगैरह तो कुछ जानती नहीं हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत यह बिजली दी जा सके। इस सम्बन्ध में मेरा आपके जरिये सरकार से निवेदन है कि बिजली देने की स्वीकृति देने की ताकत ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे देना प्रजातंत्र के बिलकुल विरुद्ध है ।.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेकराम जी, कुछ बातें यहां ऐसी आ जाती हैं जिनके सम्बन्ध में मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अगर पहले से आप कुछ संकेत कर दिया करें तो मैं उसका कुछ खयाल रखूं।

श्री नेकराम शर्मा--

तो इसको आप कल ले लेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, धन्यवाद ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धान कूटाने वालों का एक तिहाई धान सरकार द्वारा सस्ते दर पर क्रय करने के आदेश के सम्बन्ध में खाद्य मंत्री का वक्तव्य

*खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)---

अध्यक्ष महोदय, नियम ५२ के अन्तर्गत श्री टम्बेश्वरप्रसाद के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर मैं खाद्य मंत्री की तरफ से यह वक्तव्य दे रहा हूं।

उत्तर प्रदेश चावल (उगाहने का) (संशोधन) आदेश, १९६६ के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त व्यापारी के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति जो किसी चावल मिल में किराये पर चावल कुटवाता है, राज्य सरकार को अनुसूचित मूल्य पर इस प्रकार कुटवाये गये चावल का ३३ १/३ प्रतिशत बेचेगा। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि चावल की वसूली में सरकार को सुविधा हो तथा वसूली भी बढ़े। इस आदेश के पूर्व चावल मिल वाले यह बहाना कर के कि वह चावल किराये पर कूट रहे हैं, चावल की सरकारी वसूली से अपने को बचा लेते थे। इसके अतिरिक्त बहुत से लाइसेंस डीलर्स भी ऐसा ही बहाना करके लेवी से बच जाते थे और इस प्रकार चावल की सरकारी वसूली की प्रगति में बाधा पड़ती थी। इसके अतिरिक्त वर्तमान खाद्य संकट की स्थिति में देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस संकट को दूर करने में सहयोग देना वांछनीय है। यह आदेश इस उद्देश्य को भी दृष्टि में रख कर जारी किया गया है।

इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि हाथ से कुटा हुआ चावल उपर्युक्त आदेश की परिधि में नहीं आता। फलतः उस पर कोई लेवी नहीं ली जायेगी। इस प्रकार हाथ कुटे चावल के उद्योग धंधे को प्रोत्साहन मिलेगा और छोटे काश्तारों पर जो हाथ से कुटा हुआ चावल प्रयोग करते हैं, लेवी का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह भी बताना ठीक होगा कि जब कि लाइसेंसदारों को ६० प्रतिशत ही देना पड़ता है, तो किराये पर चावल बनवाने वालों को केवल ३३ १/३ प्रतिशत ही देना पड़ता है।

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (चालू रहने का) विधेयक, १९६६

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (चालू रहने का) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (चाल रहने का) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती तारा अग्रवाल---

अध्यक्ष महोदय, मैं हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल (चालू रहने का) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करती हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४४७–४५० पर)

व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

मैं इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन में यह प्रथा रही है कि माननीय सदस्य जब विवाद पर बोलते हैं तो लिखित सूचना पेश करते हैं। कल दीपनारायणसिंह जी

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया।

के साथ मेरा नाम प्रस्तुत हुआ। मेरा संशोधन भी उनके साथ था। मैंने उपाध्यक्ष महोदय से कई बार निवेदन किया। अध्यक्ष जी, यहां पर यह प्रथा है कि यदि कोई माननीय सदस्य गलतबयानी करें या माननीय मंत्री गलत बयानी करें तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना दी जा सकती है। लेकिन यदि चेयर की तरफ से सदन के समक्ष गलतबयानी की जाय तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय सदस्य क्या कार्यवाही कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

यह नत्थी है और इसमें आप का नाम है। हमें खेद है कि एक दूसरी सूचना भी हमारे पास आयी थी जो केवल माननीय दीपनारायण के सम्बन्ध की थी। मालूम होता है कि जिस समय आपने यह प्रश्न उठाया था उस समय गलती से यह परचा जो था वह नजर से नहीं गुजरा। इसके लिये हमें खेद है।

श्री लखपतराम शर्मा---

इतना निवेदन है कि आप उपाध्यक्ष महोदय से कम से कम इतना कह दें कि इतना गुस्सा न हुआ करें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव† (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---

अब श्री केशव गुप्त के प्रस्ताव पर कि--"यह सदन महामान्य राज्यपाल को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद देता है", विचार जारी होगा।

*श्री ब्रह्मदत्त सायर (जिला सहारनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, कल मैं जिक्र कर रहा था कि सरकार की तरफ से महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के अन्दर कोई संकेत नहीं दिया कि माननीय अलगूराय शास्त्री और चतुर्भुज शर्मा जिन हालतों से मंत्रिमंडल से अलाहिदा किये गये उसके लिए कोई भी बात नहीं बतलायी गयी कि क्या परिस्थितियां थीं। इसके बाद मुझे खेद है कि इस सदन के तकरीबन १३० सदस्यों ने गृह मंत्री के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र दिया, आप को याद होगा कि टी० टी० कृष्णमचारी के विरुद्ध राज्य सभा के तीस सदस्यों ने शिकायत की और उसके आधार पर कृष्णमचारी को इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह हमारे गंगवार जी ने राममूर्ति जी के विरुद्ध सीरियस चार्जेज लगाये और माननीय बनारसीदास के विरुद्ध भी चार्जेज लगाये गये। श्रीमन्, मंत्रिमंडल जो इस वक्त काम कर रहा है, माननीय गयाप्रसादजी ने सीरियस चार्जेज लगाये परिवहन मंत्री के विरुद्ध। हमें यह आज तक पता नहीं चला कि उन चार्जेज का क्या हुआ, किस स्टेट पर हैं, क्यों नहीं ऐक्शन लिया गया ? माननीय मुख्य मंत्री ने इस सदन के अन्दर आश्वासन दिया था और माननीय गयाप्रसाद जी ने जो चार्जेज लगाये थे उनको विजिलेंस कमीशन को सुपुर्द कर दिया गया। रिटायर्ड जस्टिस टंडन उसके अध्यक्ष चुने गये। आपने देखा होगा कि राज्यपाल ने नहीं बताया कि वह कौन-कौन से कारण थे जिनसे जस्टिस टंडन मजबूर हुये इस्तीफा देने के लिये। उन्होंने उस केस को वहीं का वहीं रख दिया। सरकार की तरफ से आज तक कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। परिवहन मंत्री के विरुद्ध जो चार्जेज थे वह किस स्टेज पर हैं, क्या कार्यवाही होगी या नहीं होगी, समय बीतता जा रहा है ? १० महीने या १२ महीने इस सदन के बाकी रह गये हैं और इस सदन के अन्तिम समय तक उस पर कोई अन्तिम निर्णय देने का सरकार का इरादा नहीं मालूम पड़ता है। अगर इस तरह से चार्जेज टालते जाने का विचार है तो सारा समय गुजर जायगा और किसी भी दोषी मंत्री को दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा।

---

†१ फरवरी, १९६६ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

यह प्रदेश इस समय भयंकर अन्न संकट से गुजर रहा है, यह स्थिति बड़ी ही नाजुक है और इस विषय पर पक्ष और विपक्ष के प्रायः सभी माननीय सदस्यों ने अपना रोष प्रकट किया कि महामहिम राज्यपाल के भाषण में इस दिशा में कोई कारगर कदम उठाने का संकेत नहीं किया गया है। अन्न उत्पादन की इतनी खराब हालत होते हुये भी अन्न अधिक पैदा करने की ओर इस प्रदेश में बहुत कम ध्यान दिया गया है। अन्न प्रदेश का प्रदेश में रहे, इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन सहारनपुर और उसके आस पास के जिलों से हजारों और लाखों मन चावल बाहर चोरी-चोरी जा रहा है, लेकिन उसको रोकने में यह सरकार असफल रही है। रोजाना चावल से भरे ट्रक के ट्रक कानपुर से बलिया और बलिया से होते हुये रेक्सौल और वहां से बिहार चले जाते हैं और वहां से और आगे चले जाते हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किया गया कि यह चावल प्रदेश में रुक सके।

अन्नोत्पादन के लिये पानी की हमारे यहां अति आवश्यकता है, किन्तु हमारे किसान को पर्याप्त मात्रा में और समय पर सिंचाई के लिये जल नहीं उपलब्ध हो पाता है। सिंचाई कार्य के लिये बिजली के कनेक्शन देने का कार्य जब तक माननीय शांतिप्रपन्न शर्मा जी के हाथ में था तब तक उनका कार्य बहुत सन्तोषजनक रूप से चलता रहा और उससे सभी लोग खुश थे, लेकिन मालूम नहीं किन हालतों में यह काम उनके हाथों से लेकर अधिकारियों के हाथ में, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दिया गया है। जहां पर मनमानी हो रही है और लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हालत यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा कनेक्शन के लिये आर्डर दिये जाने के बावजूद भी, एक मिलिट्री के सिपाही को जो चार जगह लड़ाई में लड़ा है को कनेक्शन नहीं दिया गया और अधिकारियों द्वारा कह दिया गया कि तुम्हें कनेक्शन नहीं मिल सकता है और मुख्य मंत्री की सिफारिश पर कह दिया गया कि उन्हें इस सब का हाल क्या मालूम है। जहां पर अपनी सरकार का, अपने मंत्रियों का मुख्य मंत्री का अधिकारियों में इस तरह का आदर सत्कार हो, वहां पर यह आशा करना कि यहां की उन्नति हो सकती है, केवल एक दुराशा मात्र है।

पिछले वर्ष सरकार ने सेल्स-टैक्स की दर बढ़ाई, ३ प्रतिशत से ६ प्रतिशत कर दिया और ७ प्रतिशत से १० प्रतिशत कर दिया और कहा यह गया कि दिल्ली और पंजाब की तरह रक्षा करने के लिये यह किया गया है। दिल्ली और पंजाब ने वह दर नहीं बढ़ाई और इसका परिणाम यह हुआ कि यहां पर ६ और १० परसेंट रहा जबकि पंजाब में २ प्रतिशत है और यह ८ परसेन्ट का फर्क है। इस प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति सामान खरीदने जाता है तो उसे यहां पर ८ परसेन्ट का नुकसान उठाना पड़ता है। इसका नतीजा यह है यहां पर तमाम व्यवसाय और उद्योग धंधे प्रदेश के बाहर चलते चले जा रहे हैं और यह प्रदेश दीवालिया बनता जा रहा है और करोड़ों रुपये का नुकसान सेल्स टैक्स के रूप में इस सरकार को हो रहा है किन्तु सरकार उसकी ओर बिलकुल चुप्पी साधे हुये है। मैं जानना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल ने इसकी तरफ अपने अभिभाषण में कोई इशारा क्यों नहीं किया ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरा इरादा नहीं था कि इस बहस में हिस्सा लूं क्योंकि जहां तक मैंने रिपोर्ट में देखा है और यहां पर बैठा भी रहा हूं और जो सुना है उससे ऐसा समझता हूं कि कोई ज्यादा चर्चा यहां पर न्याय विभाग का नहीं हुआ है, लेकिन एक मामला बहुत फोर्स के साथ इस हाउस में उठाया गया है। वह मामला ऐसा है जिसमें यही नहीं कि केवल मंत्रिमंडल का एक मेम्बर होने के नाते उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है, बल्कि उसमें एक विशेष हाथ न्याय विभाग का भी रहा है। इसलिये मेरे लिये जरूरी हो गया कि मैं उस पर अपने कुछ विचार माननीय सदस्यों के सामने रखूं। वह मामला उस आर्डिनेंस का है जो आखिर में महापालिकाओं के सम्बन्ध में जारी किया गया है। उसके एक पहलू पर बहुत बहस हुई और आपने उस पर अपना फैसला दे दिया और वह फैसला अन्तिम है और उसके हम सब लोग पाबन्द हैं। वह बात खत्म हो गयी, लेकिन उसके साथ-साथ

बहुत सी बातें उस पर उधर के माननीय सदस्यों ने और इधर के लोगों ने भी कहीं, जिससे पता चलता है कि कोई उस किस्म का इलजाम है कि यह किसी अल्टीरियर मकसद से जारी किया गया है या आया। हमने वगैर बोनाफाइडी यह ऐक्ट पास किया है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जिस विषय पर हाई कोर्ट में रिट पेंडिंग है तो क्या यहां उसी विषय पर बहस हो सकती है ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

यह बड़ा निश्चित विषय माननीय सत्यनारायण जी ने उठाया है, श्रीमन्। आगरा के दो कारपोरेटर्स ने यही प्रश्न हाई कोर्ट के सामने रखा है कि यह आर्डिनेंस अल्टीरियर मोटिव की वजह से ही जारी किया गया है। यही बात तो वहां चैलेंज की गयी है तो न्याय मंत्री उसकी सफाई यहां नहीं दे सकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---

आर्डिनेंस को क्यों प्रामुलगेट किया गया है इसकी सफाई देने में जो आर्गूमेंट ऐडवान्स किये जायेंगे उसको वह कर सकते हैं।

(श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी के खड़े होने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र---

हाई कोर्ट में यही तो विषय है....

श्री अध्यक्ष---

अब त्रिपाठी जी को अपनी बात कहने दीजिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

कई बार पहले यहां इसी विषय पर निर्णय हुये हैं कि जो प्रश्न विचाराधीन है उस पर हम कोई विवाद नहीं करेंगे। जैसा मैंने अपने उस दिन के भाषण में भी निवेदन किया था कि यह आर्डिनेंस मालाफाइडी इंटेंशन्स पर आधारित है पूरा का पूरा। तो आप इसको देख लें कि क्या वे इस पर अब अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं जबकि वह गलत है या सही है जब हाई कोर्ट में रिट है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय न्याय मंत्री भी कह दें उनको जो कहना है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

आप अपनी व्यवस्था क्यों नहीं देते उनसे क्या पूछना है ?

श्री अध्यक्ष---

पहले मैं उनको तो सुन लूं।

श्री सैयद अली जहीर---

अब यह तो मुझे मालूम नहीं है कि मैं इस मामले पर बोल सकता हूं या नहीं क्योंकि इसका फैसला तो आप करेंगे, लेकिन मैं कौंसिल में बैठा हुआ था और बावजूद इसके कि रिट फाइल ३० तारीख को हो गयी थी, लेकिन कल वहां उस पर गरमागरम बहस हुई। और यहां पर भी कल तक उसके ऊपर बहस हुई है। मैं जो कुछ कहूंगा उसका ताल्लुक महज कानून से होगा जो महापालिका ऐक्ट है उसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप जैसा फैसला करेंगे उसको तो मानना है, लेकिन फिर भी अगर आप यह तय कर देंगे कि आइन्दा इस पर बहस न हो तो मुझे भी कोई एतराज न होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

कन्हैयालाल मिश्र, एडवोकेट जनरल तो इनकी बातों को अदालत में रखेंगे ही यहां पर माननीय मंत्री जो क्यों चाहते हैं, समझ में नहीं आता ।

श्री अध्यक्ष--

आप बार-बार तो नहीं बोल सकते ।

श्री सैयद अली जहीर--

यह नहीं हो सकता कि अपोजीशन के लोग तो चाहे जो कहें और पाबन्दी सरकार के मेम्बरों पर हो कि वह कुछ न कहें, यह डिमोक्रेसी के खिलाफ है अगर बहस होगी तो उसका जवाब मुझे देना होगा और मैं दूंगा ।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)--

मेरी गुजारिश है कि कल यहां पर कुछ चर्चा हुई उसका मतलब यह नहीं है कि यह मसला जारी हो गया और अगर कोई गलती इधर से हुई तो उस गलती को अब रोका जा सकता है। मेरा खयाल है कि अगर माननीय मंत्री जी अपना बयान देंगे तो बहस हो जायगी और लोगों को फिर कुछ कहने से रोकना मुश्किल हो जायगा । इसलिये यही उचित है कि इस वक्त बहस न हो ।

श्री अध्यक्ष--

मैं क्या यह समझूं माननीय जेड० ए० अहमद कि अब यहां पर आर्डिनेंस पर कोई बहस नहीं होगी ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

जी नहीं ।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

किसी आर्डिनेंस के उद्देश्य और कारण क्या हैं क्या यह भी यहां पर नहीं बतलाया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

मैं यह निवेदन कर दूं कि आर्डिनेंस को न्यायालय में चुनौती दी गई है और उस चुनौती के होते हुये भी इस आदरणीय सदन के सदस्यों ने यह उचित समझा कि उसके ऊपर अपने विचार प्रकट करें । मेरी जानकारी कल हुई अखबारों को देख कर इस सम्बन्ध में यहां पर बहस हुई है। किन ग्राउन्ड्स पर और किन आधारों पर रिट की गई है। मैं यह नहीं जानता, न मेरे सामने वह आया है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि अगर सरकार के ऊपर आरोप इस आदरणीय सदन में लगाये गये हैं तो फिर उसका उत्तर सरकार की तरफ से आना चाहिये और उसका लाभ तो उन महानुभावों के पक्ष में होगा जो चाहते हैं कि आर्डिनेंस के ऊपर आघात करें और उसको निरस्त करायें। यह गवर्नमेंट का केस पहले से आप स्वयं जान लें। तो गवर्नमेंट का केस वह आपके सामने रख रहे हैं ।

श्री सैयद अली जहीर--

जैसाकि मैं अर्ज कर रहा था कि १९५९ के आखिर में चुनाव हुये और पहली फरवरी, १९६० को यह नगर महापालिका वजूद में आई । उसके बाद जैसा इनका इन्तजाम हुआ, जिस तरह का इन्होंने काम किया उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन माननीय सदस्य खुद जानते हैं कि जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक था हमने किसी किस्म की मदाखलत किसी नगर महापालिका में नहीं की बावजूद इसके कि अक्सर जगहों पर अपोजीशन के मेयर होते रहे और अपोजीशन पार्टी के मेम्बर होते रहे और वे लोग काम करते रहे । हमने उनको

पूरा लैटीट्यूड दिया। हमने इनको ५ वर्ष तक पूरा लैटीट्यूड दिया। यही नहीं बल्कि अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि ५ वर्ष के बाद दफा ८ में गवर्नमेंट को पावर थी तो उसके मुताबिक हमने इनको मियाद १ साल के लिये और बढ़ा दी। हमने सेक्शन ८ के मुताबिक इनकी मियाद दो दफा बढ़ाई। एक दफा ५ महीने की बढ़ाई और दूसरी बार ७ महीने की इनकी मियाद बढ़ाई। दफा ८ इस तरह से है कि:—

"8. Duration of Mahapalika-Except as provided in section 538 or 539 the Mahapalika shall continue for five years from the date of notification issued in pursuance of section 9 that the Mahapalika has been duly constituted :

Provided that the State Government may, by notification in the official Gazette, extend from time to time the term of the Mahapalika so however that the extension does not in the aggregate exceed one year .·

Provided further that the State Government may, in the case of some grave emergency or other similar cause, similarly extend the term of the Mahapalika for a further period or periods which in the aggregate do not exceed one year."

कारपोरेशनों की शिकायत यह हुई कि उन लोगों को जो एलेक्शन का काम करना था, डिलिमिटेशन का जो काम था उसको किसी नगर महापालिका ने पूरा नहीं किया। उसके लिये मजबूरन हमने पहले ५ महीने की इनकी मियाद को बढ़ाया कि ५ महीने के बाद एलेक्शन हो जायंगे। उसके बाद सोचा कि ७ महीने के बाद हो जायंगे। अध्यक्ष महोदय, पहली फरवरी, १९६६ की जो मियाद है वही सरकार दे सकती थी। वह खत्म हो गयी। अब सवाल यह आया कि अब उनकी मियाद हम और बढ़ायें या नहीं। आप जानते हैं कि इसमें दूसरा प्राविजो और है जिसकी बिना पर अगर ग्रेव इमर्जेंसी हो तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी मियाद और बढ़ा सकती है। इसमें अल्फाज ग्रेव इमर्जेंसी लिखे हुये है। माननीय सदस्य जानते हैं कि अगस्त, १९६५ में जो ग्रेव इमर्जेंसी हमारे मुल्क में शुरू हुई, पाकिस्तान का हम पर हमला हुआ और उसमें हमने अपने सारे एफर्ट्स लगाये उस हमले को रद्द करने के लिये। चुनांचे हमारी फौजे गयीं मैदान में और बहादुरी से मुकाबला किया उनका और दुश्मन को शिकस्त दी। इसे आप सब लोग जानते हैं। २२ सितम्बर को एक्चुअल वार खत्म हुई, लेकिन फौजें अपनी-अपनी जगह पर रहीं और उसके बाद बराबर इंसीडेंट्स होते रहे। कहीं वह हमला करते थे और कहीं हम बढ़ते थे। इसके बाद ताशकन्द का सवाल सामने आया और यह मरहला तय हुआ। हमारे प्रधान मंत्री जी ने माना और वे अयूब साहब से बात करने के लिये तैयार हुये। शुरू जनवरी में ऐसा लगा कि मुमकिन है कि सवाल हल हो जाय और यह भी मुमकिन है कि मसला हल न हो। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाऊंगा कि दस जनवरी को हर अखबार में यह खबर आयी थी कि ताशकन्द का मुआहिदा फेल हो रहा है और यह खबर यही नहीं, दुनिया भर के अखबारों में छपी थी और मालूम ऐसा होता था कि शायद फिर जंग छिड़ जायगी। ११ जनवरी को ताशकन्द एग्रीमेंट हुआ बल्कि १० की शाम को एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद ही हमारे प्रधान मंत्री जी का देहान्त हो गया। लेकिन ताशकन्द के बाद एक उम्मीद बंधी कि शायद अब ग्रेव इमर्जेंसी की नौबत नहीं आयेगी। कुछ कहा नहीं जा सकता था। यह भी उस समय शक था कि आया जो ताशकन्द मुआहिदा हुआ है उसके ऊपर दूसरा फरीक अमरदरामद करेगा या नहीं और यह सूरत २२ जनवरी तक बाकी रहती है। जब यह फैसला हुआ कि फौजें अपनी-अपनी जगह से वापस हट जायं तो ग्रेव इमर्जेंसी की सूरत खत्म हुई। अगर ग्रेव इमर्जेंसी हो गयी होती तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गवर्नमेंट को उसमें कोई उज्र न होता कि वह मियाद बढ़ा दे और फिर से एलेक्शन किया जाय। लेकिन ३१ जनवरी को यह सूरत आ गयी कि अब ग्रेव इमर्जेंसी नहीं है और अब उसकी मियाद को नहीं बढ़ाया जा सकता। अब हमारे सामने एक दफा है शायद ८४, जिसमें लिखा है:—

"If at any time the State Govt. is satisfied that the situation has arisen in which the Mahapalika authority can not function....."

अगर किसी वक्त में ऐसी सूरत पैदा हो जाय कि गवर्नमेंट यह समझती है कि महापालिका काम अंजाम नहीं दे सकती और उसे खतरा है तो वह एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करे और अब चुनांचे

[श्री सैयद अली जहीर]

गवर्नमेंट के सामने यह बात आयी कि एक साल की जो मियाद गवर्नमेंट दे सकती थी वह दे चुकी और उसमें जो इमर्जेंसी की बात थी वह खत्म हो गयी थी। और पहली फरवरी को मियाद खत्म हो रही थी पांचों महापालिकाओं की तो ऐसी सूरत में गवर्नमेन्ट को कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह उसका इन्तजाम करे--जो आर्डिनेन्स के जरिये से किया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मियाद बढ़ाई जा सकती थी।

श्री सैयद अली जहीर--

ग्रेव इमर्जेन्सी नहीं है तो क्यों बढ़ाई जाय?

श्री अध्यक्ष--

अभी तो इसमें बहुत विस्तृत बहस होगी और सब लोग बोल लेंगे। इस वक्त सुन लीजिये।

श्री सैयद अली जहीर--

इस तरह से यह हालत हो गयी २१-२२ को कि पहली तारीख को मियाद खत्म हो रही थी और गवर्नमेंट को टर्म एक्सटेंड करने की इजाजत नहीं थी, तो कोई चाराकार नहीं था सिवाय इसके कि आर्डिनेन्स पास किया जाय और उसका इंतजाम किया जाय। शिकायत यह है कि हमको काम क्यों नहीं करने दिया गया? माननीय सदस्य जानते हैं कि महापालिकाएं पहली फरवरी, सन् १९६० को वजूद में आयी थीं। सन् १९६० में लखनऊ में एक जनरल इलेक्शन हुआ। जितने हमारे महापालिका के सदस्य थे उन्होंने दिलचस्पी ली। जनसंघ को काफी कामयाबी हुई, लेकिन आप को खुद मालूम है जनरल इलेक्शन में एक भी सीट पर आप कामयाब नहीं हुए---न लखनऊ में---न जिले में---और जगह भले ही हुये हों। यह वर्डिक्ट पब्लिक का आप के काम के मुताल्लिक था। गवर्नमेन्ट के पास जो शिकायतें थीं उनकी गवर्नमेन्ट ने एक अफसर मुकर्रर करके जानकारी हासिल की है और जो रिपोर्ट मिली है उससे जाहिर है कि किस किस्म की खराबियां हैं। कर्जा बराबर बढ़ता चला गया है। रिअलाइजेशंस नहीं हुए हैं, एनक्रोचमेंट्स के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। ११००-१२०० अफसरान मजीद नौकर रख लिए गये हैं। इस किस्म की बद-उनवानियां और बद-इंतजामियां फैली हुई हैं।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

मंत्री जी ने गलत बयानी की है, लखनऊ से सुखलाल जी जीते हुए हैं और बाई-इलेक्शन में भी जनसंघ जीता।

श्री अध्यक्ष--

इसके बाद आप को ही मौका मिलेगा जवाब देने का।

श्री सैयद अली जहीर--

मुमकिन है वक्त आने पर जो कारगुजारियां हैं वह सामने आयेंगी। कहीं पर किसी पार्टी को पूरी अक्सरियत हासिल नहीं थी। गालिबन इस वजह से या यह कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते थे बहैसियत सदस्य महापालिका होने के क्योंकि नये-नये आये थे जानते न थे कि जिम्मेदारियों को किस तरह से अंजाम दिया जाय। बहरहाल जहां तक मुझे इत्तला है मैं लखनऊ और कानपुर के लिए कह सकता हूं कि हर शख्स ने इस आर्डिनेन्स को पब्लिक में वेलकम किया है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

हमारे यहां लोग झूठ नहीं बोलते।

श्री अध्यक्ष—

आप ऐसी बात न कहें।

श्री सैयद अली जहीर—

लिहाजा यह सोचा गया कि शायद साल दो साल अगर ऐडमिनिस्ट्रेटर रहेगा तो फिर इन की माली हालत अच्छी हो जायगी और उसके बाद फिर यह अपना काम करने लगेंगी।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कभी-कभी नगरपालिकाओं में बहुत ऐसे सदस्य आ जाते हैं जो बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं और जब वहां का प्रशासन उनसे नहीं चल पाता है तो वे स्वयं सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वह वहां के लिये कोई एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दे ताकि वहां का इन्तजाम ठीक प्रकार से चले। तो डेमोक्रेसी में कभी-कभी इस तरह का काम करना पड़ जाता है। इसके पीछे हमारी कोई किसी को बदनाम करने की नीयत नहीं है, अगर बदनाम करने की बात होती तो हमारे पास और भी रास्ते थे। हमारे पास और बहुत सा मसाला है, मगर वह हम आगे जब मौका आयेगा तो इस्तेमाल करेंगे।

श्री अध्यक्ष— (व्यवधान)

माननीय सदस्यों को जब मौका मिले, तब वे बोलें। इस समय शान्ति के साथ उनकी बात को सुनना चाहिये। बीच-बीच में टोकना कोई ठीक बात नहीं होती।

श्री सैयद अली जहीर—

तो अध्यक्ष महोदय, जो खास-खास बातें थीं वह मैंने अर्ज कर दी हैं। हमारी कोई ऐसी नीयत नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को खत्म कर दें। डेमोक्रेसी में तो अगर कोई बिश्वास रखने वाली पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है। यह जो कार्यवाही हमको करना पड़ी है कुछ हालात की वजह से मजबूर हो कर करना पड़ी है।

*श्री शारदाभक्तसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय माधवप्रसाद जी ने जो प्रस्ताव में संशोधन का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय न्याय मंत्री जी का जो भाषण हुआ उस को सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक अच्छे कानून के पंडित होते हुये उन्होंने ऐसी बातें कहीं। (व्यवधान) ज्यादा विस्तार के साथ तो इस विषय पर मैं नहीं कहूंगा, उस को तो समय आने पर ही कहूंगा, कुछ शब्द अवश्य इस अध्यादेश के बारे में कहना चाहूंगा। मैं उनसे बहुत नम्रता के साथ पूछना चाहता हूं कि जहां आप ने एक साल का अवसर दिया, वहां एक साल का अवसर और आप ने क्यों नहीं दिया, आप एक साल की मियाद और बढ़ा सकते थे। आपने नगरपालिकाओं के सदस्यों के बारे में भी कहा है। कल माननीय नवलकिशोर जी कह रहे थे कि माननीय नेता विरोधी दल ने हमारे घरेलू मामलों में जो बातें कहीं हैं वह अच्छी बात नहीं है। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि आप का घर अगर खुद भ्रष्टाचार से भरा हुआ है तो हमें उसे नहीं देखना चाहिये, लेकिन किसी मंत्री का आचार कोई प्राइवेट आचार नहीं होता। माननीय न्याय मंत्री ने जो विचार रखें हैं उससे यह बात सामने आ गयी है कि उनके मन में महापालिकाओं में जो विरोधी दलों के लोग बैठते थे उनके प्रति एक विद्वेष की भावना थी और उनको हटाने का वह रास्ता ढूंढ़ रहे थे। और जो आप ने कहा बड़ा स्वागत हुआ है अखबारों में। मैंने पढ़ा है कानपुर में स्वागत के प्रस्ताव पास हुए हैं। वे आप के भाग्य या अभाग्य से थे। इस सम्बन्ध में मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप ने जब इस अध्यादेश के पक्ष में बोलते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाभवतसिंह]

हुए और अन्त में कहा कि कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी में बहुत विश्वास करती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे शराब पीआ हुआ आदमी शराब पीने के विरोध में बोल रहा हो। अतः इस सम्बन्ध में मै अधिक कुछ और नहीं कहना चाहता हूं।

अब मैंने, अध्यक्ष महोदय, जैसा कहा कि दो दिन से जो शासक दल के और विरोधी दल के माननीय सदस्य सम्बोधन के सम्बन्ध में बातें कर रहे हैं और अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं उससे यह बात निर्विवाद है कि बहुत से चाहे इस पक्ष के लोग हों चाहे उस पक्ष के हों, इस सरकार पर से विश्वास माननीय सदस्यों का उठ गया है और मुझे एक और आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ माननीय सदस्य गोविन्द सहाय जी, फूलसिंह जी, माननीय नवलकिशोर जी, जो कल तक मंत्रिमंडल के सदस्य रहे और जब वे अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगता था कि वे इस सरकार के प्रति अत्यन्त रुष्ट हैं और वे अनुभव कर रहे हैं कि सरकार अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रही है। क्योंकि उन्होंने ऐसा विचार व्यक्त किया, मेरी दिलचस्पी है उसका कारण जानने में। हो सकता है कि मंत्रिमंडल से आ कर कुछ व्यावहारिकता और वास्तविकता को समझने के बाद शायद जनवाणी को समझाने की सद्बुद्धि आ गई हो या आने वाले १९६७ के चुनाव की याद आ रही हो और इसलिये जो पाप किये हैं उनके लिये भी प्रायश्चित करना भी प्रारम्भ कर दिया हो। मैं इस बारे में बहुत नहीं कह सकता पर इतना कह सकता हूं कि "जानी न जाय निशाचर माया" और इसलिये मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार के जो कार्य-कलाप हैं और जिस प्रकार यह भ्रष्ट प्रशासन और जिस प्रकार की किसान विरोधी नीतियां इस सरकार द्वारा बरती जा रही हैं उससे जितने भी माननीय सदस्य हैं और जो प्रतिनिधित्व करते हैं उन को इस बात की इच्छा होती है कि किसान की प्रतिध्वनि इस सदन में आये और सरकार जो अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गई है वह अपने मार्ग पर आ जाय।

मैंने जैसा कहा कि सरकार की तरफ से जो महामान्य गवर्नर महोदय ने सम्बोधन हमारे सामने रक्खा है उसमें एक बड़ी लम्बी सी बात कही गयी है किसानों के प्रति या अन्य उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार की क्या-क्या योजनायें हैं या वह कितना खर्च करने जा रही है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इन पन्द्रह सालों से उनकी योजनाओं के फल से और उनकी जो किसानों के प्रति दुर्नीति रही है उसका यह एक फल है हमारे सामने कि हम अन्न उत्पादन के सम्बन्ध में प्रगति नहीं करते हैं यह निर्विवाद है और इसके बारे में आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है। किसानों की दुःस्थिति किस तरह हुई है उनकी रीढ़ किस प्रकार टूट चुकी है और उनकी खोपड़ी किस प्रकार कर भार से दबी जा रही है यह सब सरकार को पता है और अभी माननीय न्याय मंत्री कह रहे थे कि इमर्जेन्सी तो है नहीं इसलिये हम कानून पास नहीं कर सकते थे, यह स्वीकारोक्ति है उनकी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो जनसंघ की ओर से या और दलों की ओर से प्रारम्भ में ही मांग की गई थी कि आपातिक कर भार से किसानों की कमर न तोड़ी जाय, किसानों के साधनों को खत्म न किया जाय और अन्न संकट की स्थिति देश में न लाई जाय तो इस पर सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया और वह क्यों उसी नीति को बरतती जा रही है? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा किसानों को करोड़ों रुपया कर्ज के रूप में देकर और कर के रूप में उनके साधनों को समेट कर यह उल्टी गंगा क्यों बहायी जा रही है। अगर काश्तकार कर देने की स्थिति में है तो फिर उसके ऊपर इतना कर्जा क्यों थोपा जा रहा है, क्यों सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हम उनको कर्ज देकर सहायता दे रहे हैं? अगर कर्ज की उन को आवश्यकता है तो फिर कर के रूप में उनसे सारी सम्पत्ति को छीनने का क्या कारण है? अगर सरकार अपनी हठवादिता पर अड़ी रही और इस बात के लिये दृढ़ रही कि जो आपातिक कर भार काश्तकारों पर लगाया गया था उसको माफ नहीं किया जायगा तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह १९६७ के चुनाव से डरे क्यों कि किसान इसको ज्यादा दिन तक अब सहन करने वाला नहीं है। अगर सरकार ने इसको वापस नहीं लिया तो इसका फल यह होगा कि इस प्रान्त में आन्दोलन होगा और मैं आप से यह स्पष्ट कर देना

चाहता हूं कि किसानों की पार्टी जनसंघ इस अन्दोलन का पूर्णतया समर्थन करेगी और इस सरकार को बाध्य करेगी कि वह इस लगान को वापस ले नहीं तो उस की यह कुर्सी नहीं रहेगी। मेरी ईश्वर से यह प्रार्थना है कि वह आप को समय से पहले ही सद्बुद्धि दे।

सरकार की नीति हिन्दी के बारे में जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में है उससे जनभावना को ठेस पहुंची है। आपने घोषणा की थी कि हिन्दी को हर स्थान पर उसका योग्य स्थान दिलाया जायगा। लेकन यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां का मुख्य मंत्री हिन्दी भाषी क्षेत्र का नहीं है, गवर्नर महोदय हिन्दी भाषी प्रान्त के नहीं हैं और यहां के मुख्य सचिव हिन्दी विरोधी हैं। तीन आदमी जिन के ऊपर इस प्रान्त का शासन चल रहा है वह हर प्रकार से, चोर दरवाजे से इस बात की कोशिश में हैं कि हिन्दी को उसका योग्य स्थान न मिले। श्रीमन्, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप की एक आज्ञा से आप के विभाग का कुल कार्य जब हिन्दी में हो सकता है, लेकिन शेष सचिवालय में नोटिंग आदि सब कार्य हिन्दी में क्यों नहीं होता? वहां पर पूरी अंग्रेजी चल रही है। और इस कार्य के लिये इन लोगों के द्वारा नीचे के लोगों की पीठ थपथपाई जा रही है कि अंग्रेजी को कायम रखना आवश्यक है। जब दिल्ली में इन्द्रा जी का इलेक्शन चल रहा था तो दक्षिण के एम० पी० ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम इन्द्राजी को इसलिये वोट देना चाहते हैं कि हिन्दी के बारे में उनका मत हमसे मिलता है। इस प्रकार जानबूझ कर हिन्दी को उसके स्थान से अलग रखने का यह षड़यन्त्र किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव और गवर्नर महोदय उसके लिये जिम्मेदार हैं। अगर आप ने उत्तर प्रदेश के लोगों की भावनाओं का आदर न किया तो आने वाला इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा। नौकरशाही जो दासता के संस्कारों में पली है वह इतनी मजबूत होती जा रही है कि आज शासन मन्त्रियों का नहीं बल्कि नौकरशाही का हो रहा है। अभी कल सदन में उद्योग ऋण के बारे में कहा गया था कि जनप्रतिनिधियों की सलाहकार समिति को समाप्त कर के पूरे अधिकार जिलाधीश को दे दिये गये। इसके अतिरिक्त अभी माननीय न्याय मंत्री ने बताया कि कारपोरेशन्स में जन प्रतिनिधि चुन कर आये थे, वे अच्छा काम नहीं कर रहे थे, इसलिये वहां पर प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गयी, है जिससे अच्छा कार्य हो सके।

माननीय नवल किशोर जी ने यह मांग की थी कि खाद्य से संबंधित जो विभाग हैं उनको खाद्य मंत्री के हाथ में दे दिया जाय। केन्द्रीय सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इसको स्वीकार न कर सकी और उसने डेवलपमेंट कमिश्नर बना दिया और उसमें नौकरशाही द्वारा सब काम करने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की है। इस तरह से हर प्रकार से मुख्य सचिव का शासन यहां है इसका सबको अनुभव हो रहा है और यह नौकरशाही उसी ब्रिटिश काल की सी नौकरशाही है और वही उसका व्यवहार है और उस की छाया मुख्य मंत्री के पास भी आ रही है क्योंकि जनप्रतिनिधियों तक से सहज स्वभाव से अच्छी तरह से वह मिलना पसन्द नहीं करतीं, आज उनके व्यवहार में एक धृष्टता आ रही है और वह जैसे लड़ने को तैयार रहती है क्योंकि वह मुख्य सचिव के नीचे काम कर रही है और जितनी भी सरकार की दुर्भावनायें हैं वह उचित नहीं हैं और उन से प्रदेश की बहुत हानि होने वाली है।

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने भाषण में.....

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि कृषि मंत्री जी पहले उन व्यक्तियों की बातें सुन लें जो कृषि के बारे में बोलने वाले हैं तो सदन में बहस के स्टेंडर्ड के लिहाज से अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

कृषि पर बोलने वाले कल ही बोल लेते तो अच्छा होता।

श्री गेंदासिंह---

श्रीमन्, जिस ओर माननीय शिव राज सिंह ने ध्यान दिलाया है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनसे तो हमारी बातचीत होती रहती है और उनके विचारों का ध्यान रखा जाता है और मेरे बोलने के बाद भी वह जो कुछ कहेंगे उस पर जितनी गम्भीरता के साथ विचार किया जा सकता है वह किया जायगा।

मैं माननीय राज्यपाल जी का बहुत आभारी हूं और उन्होंने जिस प्रकार से कृषि सम्बन्धी चर्चा अपने भाषण में की वह शायद पहला मौका है जब कि कृषि को इतनी गम्भीरता से इतना अवसर और इतना स्थान मिला है। मैंने सदन में तमाम माननीय सदस्यों को भी सुना और मेरी भी ऐसी धारणा है। मस मझता हूं कि इस सदन की और सारे देश की भावनाओं का यह प्रतीक है और मैं समझता हूं कि कृषि की ओर इतना ध्यान जाना बहुत आवश्यक था। साथ ही मैं माननीय सदस्यों का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने भी इस विषय पर अपने विचार सदन में रख कर इसको माना है, इस पर गौर किया है और इस सूबे की आवश्यकता को महसूस किया है। जिस तरह से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं उससे उन्होंने भी सरकार के ऊपर बड़ी कृपा की और उससे सरकार और यह प्रदेश लाभान्वित होगा।

मैं कुछ अन्य बातों का जिक्र करना चाहता हूं जिन को लेकर कभी कभी थोड़ा साभ्रम हो जाता है। सरकार की ओर से भी और मैंने भी कभी इसका जिक्र किया होगा कि जो हमारी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं और जो कृषि के उन्नत तरीके हैं उन्हें हम साधारण किसान तक पहुंचाने में असमर्थ रहे हैं। जिस प्रदेश में ६० प्रतिशत किसान ढाई एकड़ के हों तो उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और जो खेती के वैज्ञानिक उन्नत साधन हैं उनका उनमें प्रचार हो इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये। हमारे यहां वैज्ञानिक खोज और उन्नत साधन काफी ऊंचाई तक खोजे गये हैं, लेकिन आवश्यकता है कि वह खोज गरीब छोटे किसान तक कैसे पहुंचाई जाय। इन बातों की चर्चा मैं आम तौर से किया करता हूं और मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसका प्रबन्ध करना चाहिये और सरकार इसके लिये कटिबद्ध है। अधिक उपज बढ़ाने के लिये छोटी छोटी ट्रेनिंग से, अच्छे बीज, यन्त्रों और पानी के साधनों से, वैज्ञानिक उपायों से और अधिक मेहनत से हम किसानों को प्रेरित कर सकते हैं और इसके लिये सरकार अपनी ओर से कोई कसर नहीं उठा रखेगी। हम चाहते हैं कि इन सब चीजों को वहां तक पहुंचाया जाय।

(इस समय १ बज कर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती प्रकाशवती सूद पीठासीन हुयीं।)

लेकिन श्रीमन्, बह बड़ा भारी काम है। यह कोई मामूली काम नहीं है और इस दिशा में हम जितना गये हैं, हमे और आगे जाना है और जाना चाहिये।

श्रीमन्, कृषि की उपज के सम्बन्ध में, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि कृषि की उपज के जो हमारे लक्ष्य थे, उन लक्ष्यों तक हम नहीं पहुंच पाये हैं, लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी कृषि की उपज बढ़ी नहीं है। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि माननीय भानुप्रताप सिंह और माननीय बलवान सिंह जी के खेतों की वही उपज है जो आज से १०-१२ वर्ष पूर्व हुआ करती थी। वे इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि उपज नहीं बढ़ी है और न ही मैं स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। यह तो मैंने इन दो माननीय सदस्यों के नाम इसलिये लिए हैं क्योंकि वे इस समय हमारे सामने हैं। इनके अतिरिक्त प्रदेश में और भी बहुत से आदमी हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि से, अपने परिश्रम से अपनी उपज को बढ़ाया है और अपनी जमीन को धनी बनाया है पर यह बात अवश्य है कि जितने हमारे लक्ष्य थे, उन तक हम नहीं पहुंच पाये। इसके माने सिर्फ यह हैं कि जितने लोगों तक हमें चाहिए था, उन तक हम सामर्थ्य को नहीं पहुंचा पाये। सभी चीजों की कमी थी, उनका अभाव था। कुछ और भी कारण थे, जिनकी ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा। आज हमारे प्रदेश में इस वर्ष सूखे ने वह स्थिति पैदा कर दी है। तो इन सब कारणों से हम अपने लक्ष्य तक तक नहीं पहुंच पाये। हम सब लोगों को एकत्रित हो कर आगे बढ़ना होगा। आज यह सदन और सारा प्रदेश इस काम में लगा

हुआ है। मैं यह बात आप से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो प्रदेश की स्थिति है और जो हमारे किसानों ने इस ओर रुचि दिखायी है, वह मैंने गत १०–१५ वर्षों से नहीं देखी है। मैं समझता हूं कि उसमें सब का हाथ है, लेकिन सब से अधिक हाथ अगर किसी का हो सकता है तो हमारे भाई जो आज जमीन पर खेती कर रहे हैं, उनका है। सरकारी कर्मचारी खेती का नेतृत्व नहीं कर सकता है। यह बात मैं बार बार कहता हूं। सरकारी नौकर सरकारी नौकर ही हैं। यह हो सकता है कि उनमें सेवाओं और ड्यूटी की भावना हो, लेकिन नेतृत्व उसके करने का काम नहीं है। श्रीमन, यह भी ध्यान में रखना चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों की राय है कि आज कृषि विभाग की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो समझता हूं कि अगर कृषि विभाग की जरूरत है तो आज ही जरूरत है। किसानों तक पहुंचने के लिये स्टाफ की आवश्यकता है। एक आदमी उन सब किसानों तक नहीं पहुंच सकता है। इसके लिए एक्सटेन्शन आफिसरों ही के द्वारा उन तक पहुंचा जा सकता है, जो कृषि विभाग में काम कर रहे हैं। माननीय बलवानसिंह जी, माननीय भानुप्रताप सिंह जी और माननीय शिवराज सिंह जी स्वयं देखें कि आज दूसरे देशों में कृषि विभाग है या नहीं। यह उत्तर प्रदेश में ही अकेले नहीं है। भारत सरकार में भी है और देश में जितने भी प्रदेश हैं, उन सभी राज्यों में भी कृषि विभाग है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मैं जानना चाहता हूं कि यह किसने कहा कि कृषि विभाग इस प्रदेश में तोड़ दिया जाय ?

श्री गेंदासिंह---

उस समय सम्भवतया आप मौजूद थे। मैं तो अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं और मुझे आशा है कि आप मुझे आशीर्वाद देंगे। अफसर बढ़ाने की बात है या कृषि विभाग में नौकरशाही बढ़ाने की बात है मैं आप से कहना चाहता हूं कि कई लाख रुपये की बचत कृषि विभाग में इसलिये की गई हैं कि उसमें नई नियुक्तियां किसी अफसर की न की जायं। कुछ और तरह से भी उस में बचत की। लेकिन किसानों के काम के लिये कहीं बचत नहीं की। सरकारी नौकर घटा दिये जायं यह बचत का काम उस में किया गया है। मैं समझता हूं कि उस में बचत करके कोई अफसरों की वृद्धि की बात नहीं हुई है बल्कि उन के ऊपर और काम का बोझ डाला गया है कि इतना काम अगर एक आदमी कर सकता है तो उस से ज्यादा करें।

मैं एक बात का जिक्र अगर आप के सामने कर दूं तो शायद आप को संतोष होगा। ट्यूब वैल्स के सिलसिले में बहुत चर्चा हुई, और ट्यूबवैल के डायरेक्टर की नियुक्ति के संबंध में बहुत चर्चा हुई। मैं सदन की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि पिछले साल ट्यूब वैल के काम के जो आप के सामने आंकड़े हैं यह हैं कि जितनी अवधि में १५ जनवरी तक १० लाख ३८ हजार एकड़ तक पानी ट्यूब वैल्स ने दिया इस वर्ष उन्होंने १५ लाख ५४ हजार एकड़ को पानी दिया। आपने स्वयं देखा है और मैं समझता हूं कि जिस अफसर को यह काम दिया गया उस अफसर की कारगुजारी पर आप को थोड़ी पीठ उसको ठोकने की जरूरत है। जहां कहीं आलोचना आप इस बात की करते हैं.....

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)---

आप यह बता सकेंगे कि कितना रकबा ऐसा था प्रदेश का जो सिंचाई से रह गया और खेती सूख गई ?

श्री गेंदासिंह---

बहुत ज्यादा खेती बिना पानी के रह गई है और मैं समझता हूं कि सारे देश में खेती ऐसी है जिसको पानी नहीं पहुंचा है और सूखा पड़ा है।

श्री बांकेलाल---

जो डायरेक्टर आप ने नियुक्त किया है उन्होंने यह भी रिपोर्ट दी है कि किन किन स्थानों पर ट्यूबवैल की आवश्यकता है ? माननीय सदस्यों ने लिख कर दिया है कृषि मंत्री को कि फलां फलां मुकाम पर ट्यूब वैल की जरूरत है और पानी पहुंचाया जाय तो दुगनी फसल हो जाय तो उस पर तवज्जह डायरेक्टर ने दी है ?

श्री गेंदासिंह---

बड़े तफसील का सवाल है और अगर आप लिख कर भेज दें तो जिस विभाग से पूछना होगा पूछ लूंगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष में जितना घाटा ट्यूब वैल में था वह घाटा इस साल कम पड़ेगा। जितने लोगों को पानी पिछले साल ट्यूब वैल से दिया गया था उस से डेढ़ गुना पानी लोगों को दिया गया है। और अगर उस में कहीं कोई खामियां हैं, लेकिन इस के बावजूद भी इस काम में जो तरक्की हुई है उसको मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। अगर उन खामियों की तरफ ध्यान दिलायें कि उस खामी को इस तरह से दूर किया जा सकता है तो मैं समझता हूं कि सरकार उसका आदर करेगी और उसको दूर करने की कोशिश करेगी।

इसी तरह से सिंचाई में जो छूट इस साल हुई है उतनी किसी साल नहीं हुई थी। और खास तौर से इलाहाबाद में हुई।

श्री विजयपालसिंह (जिला हमीरपुर)---

जहां तक आप ने स्टेट ट्यूब वैल की बात कही है, मैं ट्यूब वैल एरिया का ही हूं, उसमें वाकई काफी सुधार हुआ है। मगर प्राइवेट ट्यूब वैल जो हैं उन को बिजली कनेक्शन देने में अन्याय हो रहा है। आप ने भी कई बार और माननीय चौधरी चरण सिंह ने भी बयान दिये क्या उस के बारे में आप कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे ?

श्री गेंदासिंह---

मैं आना चाहता था माननीय सदस्य की बात पर। मैं समझता हूं कि तथ्य को उन्होंने स्वीकार किया। सही है कि जिस बात में जितना सत्य हो उस को स्वीकार करके और बाकी चीजों के लिये कहा जाय तो उस की कीमत बढ़ जाती है। जो प्राइवेट ट्यूब वैल्स की कठिनाई है वह सरकार के सामने है और उस कठिनाई के लिये जो कुछ भी किया जा सकता है किया जा रहा है और माननीय विजयपालसिंह जी को मैं निमंत्रित करता हूं वह बतलावें कि किस तरह से उस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। उस पर सोचा जा सकेगा कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा सुविधा किसानों को पहुंचायी जाय ?

डबल क्रापिंग के सिलसिले में मैं एक बात जरूर कह दूं किसानों ने उसी जमीन में दूसरी फसल लेने के लिये काफी प्रयास किया है और लाखों एकड़ जमीन में जिसमें दूसरी फसल नहीं लिया करते थे लेने की कोशिश की। उसके लिये भी पानी पहुंचाने, कुछ फर्टिलाइजर पहुंचाने की कोशिश जो की जा सकती थी वह की गयी। बीज देने की कोशिश की गयी। वेजिटेबिल तथा साग सब्जी पैदा करने में इस साल पिछले सालों से कई गुना अधिक कामयाबी मिली है और उसका परिणाम यह हुआ है कि पिछले वर्षों में जो दाम रहे हैं साग सब्जी के उससे इस वर्ष घटे हैं। यहां तक कि साढ़े ६ रुपये मन इस साल आलू बिकने लगा और गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर गया कि कहीं किसान अगले साल इसको लाभदायक न समझ कर आलू की खेती न छोड़ दे उसके लिये यह कोशिश की जा रही है कि एक निश्चित सीमा से नीचे उसकी कीमत न रहे ताकि किसान उसे पैदा करते रहें।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

फसलों की रक्षा करने के लिये बाढ़ से, गरकी से, चराई और अटाई से क्या प्रयत्न किया गया ? पशु तथा पक्षियों से फसल को जो नुकसान पहुंचता है उनसे बचाव के लिये क्या कार्यवाही अब तक सरकार ने की है ?

श्री गेंदासिंह---

माननीय चन्द्रबलीसिंह जी का सवाल बहुत अच्छा है और इस तरफ सरकार का ध्यान गया है। जहां तक प्लांट प्रोटेक्शन के लिये दवा के जरिये इलाज का संबंध है उसके आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। दवा के जरिये से फसलों के बचाव में पिछले वर्षों के मुकाबले में बहुत वृद्धि हुई है। जहां तक चराई-कटाई का सवाल है इसमें ला एंड आर्डर का सवाल पैदा होता है और इसमें माननीय सदस्यों की मदद की आवश्यकता है तभी काम चल सकता है। माननीय सदस्य जब इन प्रश्नों को उठायेंगे तो उन पर विचार किया जायगा

पशु पक्षी का मामला टेढ़ा है कौन से पशु पक्षी मार दिये जायं जिससे खेती की हिफाजत हो सके इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और बोर्ड आफ एग्रिकल्चर ने इस पर विचार किया है और मैं भी विचार कर रहा है। इतनी निश्चित बात है कि जहां पर पशुओं से बहुत अधिक नुकसान हो रहा है वहां पर सरकार ने बन्दूकों के लाइसेन्स देने में बहुत उदारता बरतने के आदेश दे दिये हैं (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगी कि बीच में न बोलें तो अच्छा होगा।

श्री गेंदासिंह---

कृषि विभाग ने जो काम किया है भाई विजयपालसिंह ने भूमि संरक्षण की चर्चा की थी और यह सही है कि भूमि संरक्षण के कार्य में सरकार को बहुत रुचि है और उसमें सन् ६१-६२ में जहां केवल ८ यूनिट काम कर रहे थे वहां इसवर्ष ६३ यूनिट काम कर रहे हैं और इस पर २ करोड़ से भी ज्यादा खर्च करने का अगले वर्ष में सरकार का विचार है जो बजट में आपके सामने आयेगा। मैं समझता हूं कि खेती के काम में यह दावा नहीं किया जा सकता कि जो कुछ भी हम सोचते हैं वह सही है। मैं तो यह समझता हूं कि सरकार ने माननीय सदस्यों को बुलाया, उनसे सलाह ली और अब भी मैं यह समझता हूं कि सेशन के दौरान म यही यत्न करूंगा कि उनकी सलाह ले कर अगले वर्ष का काम चलाया जाय। खेती का काम ऐसा काम है जिसमें रीजन रीजन, जिले जिले में अलग अलग समस्यायें हैं सूखे की, बाढ़ की, ड्रेनेज की, पानी की अनेक समस्यायें हैं। कम पानी में मितव्ययिता करके ज्यादा से ज्यादा खेतों में पानी पहुंचाया जा सकता है और गरीब आदमी के लिये कच्चे कुएं खोद कर उसके खेतों को पानी पहुंचाया जा सकता है और इन सब बातों के लिये सरकार प्रयत्नशील है

अन्त में शारदा भक्त सिंह जी से एक बात कहना चाहता हूं कि हिन्दी की सेवा करते करते कहीं वे हिन्दी की कुसेवा न कर दें हमारे मुख्य मंत्री को अहिन्दी भाषी कह कर उन्होंने हिन्दी की कुसेवा ही की है। हिन्दी भाषा अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही बोलना है तो मैं समझता हूं कि शारदा भक्त सिंह जी का कहना सही है, लेकिन अगर सारे भारतवर्ष की भाषा हिन्दी को होना है तो उनको बंगला तथा तमिल बोलना पड़ेगा और मैं विरोधी दल के जिम्मेदार व्यक्तियों से कहना चाहता हूं कि इस तरह की बात कह कर वे हिन्दी की कुसेवा न करें और उत्तर प्रदेश को बदनाम न करें।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---

अधिष्ठाता महोदया, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :---

"परन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में न इस बात की घोषणा की कि मालगुजारी पर २५ प्रतिशत अधिभार वापिस ले लिया जायगा और न इस बात का आश्वासन दिया कि गरीबों पर टैक्स लगा कर गरीबों का हित करने की नीति का परित्याग कर दिया जाय।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

अधिष्ठात्री महोदया, सन् १९६२ में पहली बार जब मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुनने का अवसर मिला था और उसके बाद इस बार जो अवसर मिला तो काफी परिवर्तन मुझे दोनों भाषणों में प्रतीत हुआ। सन् १९६२ के अभिभाषण में केवल एक पैराग्राफ में कृषि के विषय पर चर्चा की गयी थी और इस बार अभिभाषण में लगभग आधा हिस्सा कृषि से संबंधित है। इस नीति परिवर्तन से मैं समझता हूं कि सरकार ने ठीक दिशा में सोचना प्रारम्भ किया है। लेकिन केवल शब्दों से, भाषणों से, नारे बाजी से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समस्या को हल करने के लिये पहले यह आवश्यक है कि उसके कारणों को समझा जाय। आज तक सरकार की ओर से बराबर यह बात कही जाती है—"चूंकि सूखा पड़ गया था, मौसम ने साथ नहीं दिया इसलिये खेती की पैदावार कम हुई"। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि कम वर्षा होने का या खराब मौसम का प्रभाव पैदावार पर नहीं पड़ा, लेकिन मेरा फिर एक बार यह कहना है कि इस दैवी विपत्ति के बावजूद कृषि का उत्पादन बढ़ सकता था और वह नहीं बढ़ा, इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। मैं उसके समर्थन में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट हो जायगा। इस वर्ष के लिये कहा जा सकता है कि वर्षा नहीं हुई, लेकिन सन् १९६४–६५ के लिये सभी मानते हैं कि उस वर्ष मौसम बहुत ज्यादा अनुकूल रहा, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। उस वर्ष जो लक्ष्य था अन्नोत्पादन का उससे हम कितना दूर रह गये। यदि अनुकूल वर्ष और मौसम में भी हम अपना लक्ष्य ४० प्रतिशत से ज्यादा नहीं प्राप्त कर सके तो क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि कहीं कोई खामी रह गयी, केवल मौसम ही जिम्मदार नहीं था?

मैं एक तथ्य और आपके सामने रखना चाहता हूं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में १० लाख टन नाइट्रोजन बनाने की बात थी, फिर कहा गया कि ८ लाख टन कारखाने में जरूर बन जायेगा, लेकिन बन सका केवल ३ लाख टन। अगर उर्वरक बनाने का लक्ष्य पूरा हो गया होता और ५ लाख टन और अतिरिक्त नाइट्रोजन हमारी भूमि में पहुंचा होता तो कम से कम ५ मिलियन टन अनाज और अधिक पैदा हुआ होता। यह जो हम नहीं बना सके, क्या इसके लिये मौसम जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ट्यूबवेल्स जो हमारे ठीक से नहीं चलें, क्या इसके लिये मौसम को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? आज उत्तर प्रदेश में एक प्रति शत भूमि के लिये भी उत्तम बीज उपलब्ध नहीं है, क्या इसके लिये हम मौसम को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? आज जो कुएं बनाने के लिये सीमेन्ट नहीं मिलता, कुएं चलाने के लिये बिजली नहीं मिलती, ट्रैक्टर्स या पम्पिंग सेट्स चलाने के लिये नहीं मिलता, क्या इन सबके लिये हम मौसम को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? इन सारी बातों को व्योरेवार मैं इसलिये कह रहा हूं कि जब तक इस मौसम के पीछे हम मुंह छिपाते रहेंगे और इसका रोना रोते रहेंगे तब तक इस समस्या का समाधान सम्भव नहीं है। यदि इन सारी चीजों की व्यवस्था हो गयी होती तो आज अपना देश न केवल अन्न के मामले में आत्म निर्भर होता बल्कि मैं समझता हूं कि हम विदेशों को भी अन्न भेज सकते थे। आज आवश्यकता यह है कि नीति के सोचने के ढंग में शासन के रवैये में अन्तर आने की जरूरत है। सारी गड़बड़ी सैद्धान्तिक है। त्रुटिपूर्ण नीति के कारण ही कृषि को जो महत्व मिलना चाहिये वह नहीं दिया गया। मैं अपनी बात नहीं कहता हूं स्वर्गीय प्रधान मंत्री नेहरू जी ने यह सुझाव रखा था कि कृषि के महत्व को देखते हुए कृषि मंत्री का पद राज्य के मुख्य मंत्री स्वयं सम्भालें या कोई वरिष्ठ मंत्री सम्भाले। परन्तु आज तक किसी भी प्रदेश के कृषि मंत्रालय को मुख्य मंत्री ने नहीं सम्भाला है। क्या कारण है कि उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया? जब प्रधान मंत्री का यह सुझाव था और ठीक सुझाव था उसको नहीं माना गया, दूसरे प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि "एक वर्ष तक सारी योजनायें स्थगित करके केवल कृषि विकास का कार्य किया जाय", उसे भी नहीं माना गया। जब पैसे की बात होती है तो बड़े बड़े उद्योगों के लिये दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जितना पैसा खर्च हुआ, वह कृषि पर हुए खर्च की तुलना में डेढ़ गुना से अधिक खर्च हुआ। तो ये सारी बातें हैं जिनके कारण आज हमें दूसरों के सामने साथ फैलाने की जरूरत पड़ती है

हमारे राज्यपाल ने एक बात भारत सेवक समाज के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कही कि हमारे वैज्ञानिक कुछ अधिक सहायता नहीं कर सके हैं, उनका काम सराहनीय नहीं रहा है। यह बात कहां तक सच है इसके विषय में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सच है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। आज वैज्ञानिकों की जो दुर्दशा है जो उनको निम्न स्तर दिया है सरकार ने, बड़े बड़े वैज्ञानिक, एम० एस० सी०, पी० एच० डी० को कृषि ज्ञान लेकर लौटते हैं उनको मामूली कानूनगो जो बढ़ कर किसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर हो जाता है, फिर सेक्रेटरिएट में जा कर बैठ जाता है, उनको उसके मातहत कर दिया जाता है। इस देश में वैज्ञानिकों की कोई इज्जत नहीं है। इस कारण कृषि विज्ञान पिछड़ा हुआ है। जब एक कृषि का डाइरेक्टर मौजूद है तो ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमिश्नर की क्या आवश्यकता है, जब एक डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकलचर आफिसर नियुक्त होता है तो क्या आवश्यकता रह जाती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर की ? ब्लाक लेविल पर जितने बी० डी० ओज० हैं शायद २५ फीसदी भी नहीं होंगे जिनको कृषि का ज्ञान हो। डी० पी० ओज० में शायद दो-तीन हों जिनको कृषि की योग्यता हो। कृषि जानने वालों की इतनी कम कद्र हो फिर यह शिकायत करना कि कृषि वैज्ञानिकों ने सहायता नहीं की, यह बड़ा अन्याय है। कृषि के प्रति जो रवैया रहा है उसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है।

अन्त में मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से मूल्यों के विषय में दिलाना चाहता हूं। मैं यह मानता हूं कि उन्होंने कठिन परिश्रम किया है मंत्रिपद संभालने के बाद। मैं उनकी नेकनीयती पर बिलकुल शुबहा नहीं करता। लेकिन एक बात है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं। मैंने भी मेहनत किया, उन्होंने भी किया, औरों ने भी किया होगा। लेकिन हमें इस मुगालते में नहीं रहना चाहिये कि हमारी मेहनत का फल है कि आज किसानों में उत्साह दिखायी देता है। आज किसानों में उत्साह है तो उसका एकमात्र कारण कृषि वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्य हैं। उन्होंने आलू पैदा करने की कोशिश की और शाक सब्जी पैदा करने की कोशिश की। बड़ा सराहनीय रहा। लेकिन उस का परिणाम यह हुआ है कि आज फर्रुखाबाद और दूसरे जिलों के आलू पैदा करने वालों को उतने पैसे भी नहीं मिल रहे हैं जितने उन्होंने उसकी खेती में लगाया। कृषि मंत्री जी कहते हैं कि इस विषय पर विचार किया जा रहा है। निकट भविष्य में निर्णय लेने वाले हैं। लेकिन उन किसानों की हालत क्या है जो आज साढ़े छः रुपये मन में बेच रहे हैं ? जब ७५ हजार मन ज्यादा आलू पैदा करने की स्कीम थी तब नहीं सोचा था कि यह स्थिति आयेगी तो क्या करेंगे ? अब आलू वालों को ज्यादा सहायता पहुंच नहीं सकेगी। जब तक आप निर्णय लेंगे तब तक आलू बिक चुका होगा। व्यापारियों को भले ही लाभ हो जाय। लेकिन यदि यही मूल्य कायम रहे तो अगले वर्ष काश्तकारों का ध्यान उत्पादन की तरफ होगा ? मूल्य गिरेंगे। आप अभी से इस ओर सोचना शुरू कर दें अन्यथा वही होगा जो १६५४-५५ में हुआ था। १६५४-५५ में कृषि का उत्पादन इस देश में इतना हुआ था कि देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया था। हम आज खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की बात ऐसी करते हैं जैसे यह असम्भव हो, लेकिन आज से १२ वर्ष पूर्व खाद्यान्न में आत्म निर्भर हो चुका था, लेकिन उस समय और उसके बाद जो रवैया भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार ने कृषकों को उनका उचित मूल्य दिलवाने के प्रति अपनाया, उसी का यह दुष्परिणाम है, उसी पाप का यह फल है कि इस प्रदेश और देश में खाद्यान्न की कमी है। (लाल बत्ती होने पर) अधिष्ठाता महोदय, थोड़ा समय दे दें। मैं किसानों के प्रति सरकार का रवैया बदलने की एक ही परख मानता हूं और वह यह है कि जिस दिन हमारी मुख्य मंत्री यह घोषणा कर देंगी कि मालगुजारी पर से सवाया लगाया हुआ वापस ले लिया गया। तो उस दिन मैं समझूंगा कि उन्होंने और उनकी सरकार ने अपने किये गये पाप का प्रायश्चित करना शुरू कर दिया।

यह सारी दुनिया जानती है कि यदि हिन्दुस्तान की खेती पिछड़ी हुई है तो पूंजी के अभाव के कारण पिछड़ी हुई है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो आप किसानों को अनुदान-तकावी देते हो और उन्हें हर तरह से सहायता पहुंचाने का प्रयत्न सरकार द्वारा किया जाता है और दूसरी तरफ सरकार उन पर टैक्सों का बोझ बढ़ाती चली जाती है। क्या यह वैसी ही बात

[श्री भानुप्रतापसिंह]

नहीं है कि किसी व्यक्ति के बांये हाथ का खून निकाल करउसके दायें हाथ में छोड़ दिया जाता है ? मैं यह भी कहना चाहता हूं अपनी मुख्य मंत्री जी से, जो कि यहां पर नहीं हैं, मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह मेरी बात को मुख्य मंत्री जी तक पहुंचा देंगे । जिस समय यह अधिभार लगाने की चर्चा उन्होंने की थी, इस पर उन्होंने विरोधी दलों के नेताओं से बात की थी। अन्य नेताओं से उनकी क्या बात हुई यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझसे भी बात हुई थी और मैंने इसका जब विरोध किया था तो मुख्य मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि "जिस समय संकट की स्थिति टल जाएगी, यह अधिकार वापस ले लूंगी"। इस पर मैंने कहा था यह चीज इसी के साथ में आप ऐड कर दें। इस पर उन्होंने कहा था कि क्या आपको मेरे आश्वासन का विश्वास नहीं ? मेरे शब्दों का विश्वास नहीं है ? तो मैंने उनके आश्वासन का विश्वास कर लिया था। आज उस विश्वास के परख का समय आ गया है ? वास्तव में आज एमरजेन्सी खत्म हो गयी है, विशेषकर उनकी सरकार के एक मंत्री--न्याय मंत्री ने कहा है कि एमरजेन्सी समाप्त हो गयी। अगर सरकार का एक मंत्री कहता है कि एमरजेन्सी समाप्त हो गयी तो मुख्य मंत्री उससे इकार नहीं कर सकती हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि वह अपने आश्वासन को सच्चाई के साथ पूरा करें और ऐसा करके सरकार किसानों के प्रति अपनी नेक नीयती का परिचय दे ।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)--

अधिष्ठाता महोदय, गत वर्ष देश के सामने तीन अनप्रेसीडेन्ट घटनाएं घटीं। एक पाकिस्तान ने नासमझी से भारत पर हमला किया, अप्रत्याशित प्राकृतिक असहयोग हमें मानसून के फेल्योर के रूप में प्राप्त हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका जो सदैव से हमारी खाद्यान्न की कमी को पूरा करता रहा था उसने भी दांत दिखाना शुरू कर दिया और खाद्यान्न पूर्ति पर शर्तें लगाना शुरू कर दी वस्तुस्थिति यह भी है कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के हर वर्ष कृषि के क्षेत्र में भागीरथ प्रयत्न करने के बावजूद प्रदेश अपने लक्ष्य की प्राप्ति से बहुत दूर रहा। इन जिन विशेष परिस्थितियों में और वस्तुस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हमें तय करना चाहिये कि सरकार की खाद्य नीति क्या होनी चाहिये और अगले वर्ष के लिये कार्यक्रम क्या होना चाहिये। अभी तक अधिक अन्न उपार्जन को हम खाद्यान्न में स्वावलम्बी बनने की दृष्टि से या औद्योगीकरण की दृष्टि से देखा करते थे, लेकिन इन परिस्थितियों ने जिनका मैंने अभी वर्णन किया, इस बात को सिद्ध कर दिया है कि अधिक अन्न उपार्जन ने उत्तर प्रदेश के अन्दर भारत के अन्दर एक लड़ाई के आवश्यक हथियार का रूप धारण कर लिया है और इस दृष्टि से हमारे कृषि मंत्री श्री गेंदा सिंह जी असली माने में उत्तर प्रदेश के डिफेंस मिनिस्टर भी हैं यह सब कहने का तात्पर्य श्रीमन् मेरा यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अधिक अन्न उपार्जन में बहुत सोच समझकर अधिक बुद्धिमत्ता और स्फूर्ति से काम करना चाहिये। श्रीमन् जब मैं यह कहता हूं तो मेरा तात्पय है कि लक्ष्यों की सैंक्टिटी हो, पवित्रता स्थापित करनी चाहिये। जिस तरह से लड़ाई के समय सीमित साधनों से नियत समय में मुसीबत और मुश्किल कुछ भी हो हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ता है इसी तरह से कृषि मंत्रालय को दृढ़ संकल्प होना चाहिये कि जो साधन उनके पास हैं और जो लक्ष्य निर्धारित है नियत समय के अन्दर उनको पूरा करना ही है। आज दुनिया की प्रगतिशील सरकारों का रवैया और विश्वास है कि हर समस्या का एक हल है और उसको ढूंढ़ना उनका कर्त्तव्य है, लेकिन १५ वर्षों का अनुभव यहां यह है कि सरकार यह समझती है कि यदि असफलता हो तो संबंधित विभाग से पूछा जाय कि कारण उसके क्या हैं और उनकी आवश्यकता होने पर विधान मंडल में बयान कर दिया जाय, बस कार्य पूर्ण हो गया, इसके आगे कोई बात नहीं है। आज देश की सुरक्षा और स्वाभिमान दोनों खतरे में हैं । मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए सरकार से अपील करूंगा कि उसके रवैये में तब्दीली आनी चाहिये और अधिक कृषि

का उत्पादन वार फुटिंग पर शुरू करना चाहिये। कृषि के लिये बहुत सी सामग्रियों की जरूरत है, लेकिन सबसे सुलभ और अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध किसानों का समय और शक्ति है किन्तु खेद है उसके सदुपायों के लिये सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया । आज किसान की शक्ति और समय अदालतों में, दफ्तरों में और तरह तरह के झगड़ों में जाता है इसलिये मेरी अपील है कि किसान को आप फुरसत दीजिये अपने न्यायालय और गृह विभाग को समझाइये, किसानों के झगड़ों को उनके घर पर ही निपटा दे ताकि जिससे उनका समय और शक्ति बचे । इसमें किसी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त बहुत सी कृषि के लिये आवश्यक सामग्रियां जैसे सीमेंट, लोहा, टीन और बिजली उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा कृषि में हो यह भी आवश्यक है । बिजली इत्यादि कृषि उद्योग और साधारण जनता अपने आराम आसाइश के लिये इस्तेमाल करते हैं । अगर आपका उत्पादन बढ़ता है तो आपकी नीति होनी चाहिये कि जब तक इन चीजों की जरूरत किसान को है तब तक इनमें से कोई भी सामग्री दूसरे वर्ग को नहीं मिलेगी, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि किसान का हिस्सा तो सबके बाद में आता है । उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों में हजारों बिजली के कनेक्शंस कृषकों को मंजूर हुए, उनको विश्वास दिलाया गया कि निकट भविष्य में उनको बिजली मिल जायगी । उन्होंने अपने सारे उपलब्ध धन को बटोर कर न मालूम कहां कहां से मोटर पम्प लगवाये और परशियन ह्वील्स और जो कुयें थे उनको भी नष्ट कर दिया, लेकिन आज सरकार इस अवस्था में नहीं है कि उनको लगवा सके। मैंने मुख्य मंत्री जी से समय समय पर अपील की कि जितने कनेक्शंस आपने मंजूर कर रखे हैं कृपया उनको यह बता दीजिये कि इस फलां अंतिम तिथि तक उनको बिजली मिल जायगी पर इस पर कोई कार्य वाही नहीं की गई । इसका नतीजा यह हुआ कि आज किसान हजारों की संख्या में दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, विभागों और विद्युत में व्यापक भ्रष्टाचार है । साथ ही बिजली की दरों में गिरावट आनी चाहिये । मद्रास, केरल, मैसूर, आंध्र प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों की अपेक्षा यहां की बिजली की दरें कहीं ज्यादा हैं । मैं माननीय गेंदा सिंह जी से अपील करना चाहता हूं कि समय का तकाजा यह है कि इन विशेष परिस्थितियों का इम्पैक्ट कृषि विभाग के खोज शाखा पर भी अविलम्ब होना चाहिये । आज हम अधिक अन्न उपजाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बात आती है कि अधिक खाद डालना चाहिये और अधिक पानी देना चाहिए यानी उनक मात्राओं को हमको बढ़ाना है । श्रीमन्, हमारे सामने एक लाभदायक मिसाल है अमेरिका की । उसने १८७० से लेकर आज जो कृषि उत्पादन में तरक्की की है उसको यदि हम इन वर्षों में तकसीम करें तो यह मालूम होगा कि वहां के कृषकों ने २ परसेंट हर साल कृषि के उत्पादन में तरक्की की है, लेकिन उसमें यह एक विशेषता है कि १९३५ के बाद उन्होंने अपने तरीकों में ही तब्दीली सोची जो हमें आज करने की सोचना चाहिये। उन्होंने साइंटिफिक तरीकों से inputs की productivity क्षमता बढ़ाने की बात सोची । उसी तरह से हमको भी सोचना है कि फरटीलाइजर कब डालें और कितना डालें । इसी तरह से पानी कब और कितना दें । इस बात को देखने की खास जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाद और पानी से खराबी पैदा हो जाय । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग के सामने एक चैलेंज है । जब हमारे साधन सीमित हैं, खाद और पानी की कमी है और फर्टीलाइजर की भी कमी है तो हम इस प्रकार की खोज करें जिससे कृषि के उत्पादन में इन्हीं सीमित साधनों से वृद्धि हो। हमारे यहां अधिक उत्पादन हो।

उत्तर प्रदेश में कृषि की खोज के लिये नया रुख देना चाहिये जिस प्रकार से लड़ाई के दिनों में दिन रात काम होता है कृषि खोज कार्य होना चाहिये । आज जो कृषि की खोज का काम हो रहा है वह संतोषजनक नहीं है उसका वेग धीमा है। उसमें कोआर्डिनेशन होना चाहिये जैसा कि लड़ाई के अन्दर होता है। जिस तरह से फैक्टरी में हथियार तैयार होते हैं और वे फौरन फौज के पास भेज दिये जाते हैं उसी तरह से जो कृषि उत्पादन के लिये सामान तैयार हो वह फौरन कृषक के पास पहुंचना चाहिये । इस तरह की योजना तैयार होने चाहिये । आज सब से बड़ी चीज यह भी है जिससे कृषि उत्पादन में कठिनाई पैदा हो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर और बल्कि सारे प्रदेश के अन्दर कृषकगण विभिन्न

[श्री शिवराजसिंह]
कैटिगरीज के हैं। कुछ तो बहुत बड़े हैं जिनके पास ट्रैक्टर हैं आबपाशी के साधन भी हैं और बैंक में उनका रुपया जमा भी है। कुछ माध्यम वर्ग के हैं जिनके पास अच्छे हल हैं जिनके पास रहट भी हैं और कुछ व्यय करने के वित्तीय साधन भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं हैं। जो कृषि विभाग के माध्यम से या सहकारिता के माध्यम से अपना काम चलाते हैं। कृषि विभाग सब को ही एक नुस्खा देता है। जिससे सब लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। सब लोग कृषि साधन सम्पन्न हैं ऐसी बात नहीं है। इस लिये एक योजना सबके लिये चलाना लाभदायक नहीं है। आप कृपया यह समझ लें कि व्यावहारिक दृष्टि से यदि आप देखें तो आपको हर एक कृषक वर्ग के लिये विभिन्न योजना बनानी पड़ेगी और उन योजनाओं को आपको विभिन्न कृषकों के वर्ग के पास तक ले जाना पड़ेगा। तब ही उस अवस्था में प्रदेश में कृषि का उत्पादन बढ़ सकता है। अन्यथा अगर आप बड़े किसानों और छोटे किसानों सबके लिये एक ही योजना बनाने की चेष्टा करेंगे तो मुझे भय है आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। माननीय कृषि मंत्री ने गवर्नमेंट हाउस की बात कही कि वहां तरकारियां उपजायी जा रही हैं। मुझे यह मालूम है कि कौंसिल हाउस में भी टमाटर लगे हुए हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि Council House के टमाटरों में, और Govt. House के आलू में मुजेक लगा है। मेरा निवेदन है कि कृषि विभाग को कृषकों में अपनी क्षमता का विश्वास पैदा करने की चेष्टा करनी चाहिये। इस तरह की खेती से कृषकों के अन्दर विश्वास घटता है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

माननीया, मुझे राज्यपाल का भाषण सुनने का पिछले कितने ही वर्षों से अवसर मिलता रहा है और उतने ही समय से अपने बड़े भाई गैंदा सिंह जी का भाषण भी सुनने का मौका मिलता रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज जैसा निराश भाषण कृषि मंत्री जी ने दिया है वैसा मुझे पिछले १५ वर्ष में सुनने को कभी नहीं मिला। कारण यह है कि आज उनको एक ऐसा काम करना पड़ा है जिसके साथ उन की आत्मा नहीं है। एक ऐसे भाषण के समर्थन में उन्हें खड़ा होना पड़ा जिस को वह बुनियादी तौर पर गलत समझते हैं। मैं इस दशा में एक ही सुझाव उन को दूंगा कि वह अपने पुराने भाषणों को एक बार पढ़ डालें और फिर बतायें कि उन के पहले के भाषण, उन के पहले के सुझाव, उन की पहले की समझदारी सही थी या आज जिस रास्ते पर वह चल रहे हैं वह सही है।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के भाषण से एक बात की झलक मिली कि इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। जहां से चले थे वहीं पहुंच गये। एक कहावत है बहुत पुरानी कि ९ दिन चले अढ़ाई कोस। १५ वर्ष की योजना के बाद कृषि में आत्मनिर्भरता की बात कहते कहते उसको छोड़ कर उद्योग में आत्मनिर्भरता की बात कहने के बाद और फिर तीसरी योजना में दोनों का समन्वय करने का दावा करने के बाद फिर कृषि में हम अपने पैरों पर खड़े हों इस बात पर हम पहुंच गये हैं। इतिहास दोहराया जा रहा है। मैं राज्यपाल महोदय को एक बात के लिये बधाई दूंगा कि उनके पूरे भाषण में समाजवाद शब्द को छोड़ दिया गया और यह बड़ी खुशी की बात है। जो चार सौ बीसी मंत्र था कांग्रेस पार्टी का वह समाप्त हो गया। पंडित नेहरू के बाद भुवनेश्वर कांग्रेस की बात की जायेगी शगूफा छोड़ा गया था और अब जयपुर में इस बात की चेष्टा की कि समाजवाद की अन्त्येष्टि हो जाय और उस के बाद बजट भाषण में और राज्यपाल महोदय के भाषण में भी देखा गया कि समाजवादी समाज की स्थापना की बात जो जोड़ी जाती थी उसे छोड़ दिया गया और अब इन भाषणों में भी इस बात की झलक देखने को मिलती है। अब वहीं इतिहास पहुंच गया जहां १९५२–५७ के बीच में रहा कि समाजवाद तो एक विदेशी चीज है, यह फारेन फिलासफी है। इसको हमें खींचना नहीं चाहिये। हम तो सर्वोदयवाद, सर्वकल्याणकारी वाद और न जाने कितने वादों की बात करते थे। बीच में एक परिवर्तन हो गया और इस प्रकार अब इतिहास फिर दोहराया जा रहा है।

मान्यवर, आज स्थिति क्या है ? पूर्व से पश्चिम तक असंतोष तेजी से फैल रहा है। उसी की बात सब लोग सोच रहे हैं। शिक्षा जगत में यह असंतोष किस बात का द्योतक है ? वही छात्र जो राष्ट्रीय आन्दोलन में आगे रहे, वही छात्र जो चीन के बर्बर हमले के समय आगे रहे, वही छात्र जो अभी अभी कुछ महीने पहले पाकिस्तान के आक्रमण के समय आगे रहे, वे ही छात्र आज क्यों इतने अशांत हो गये हैं ? कारण यह है कि उनके जीवन के सामने कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। जब किसी के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता तभी ऐसी बातें होती हैं। छात्र तो स्वप्नदृष्टा समुदाय है जो आगे बढ़ कर कुर्बानी करने की क्षमता रखता है। वह आगे बढ़ा है और जब लक्ष्य पीछे हटते हैं तभी यह सब बातें होती हैं। सरकार को इन बातों की ओर गंभीरता से विचार करना चाहिये। मेरा अपना सुझाव है कि सरकार जो है, वह तो अभी कुछ दिनों तक रहेगी इसलिये एक हाई पावर कमीशन जरूर इस बात के लिये स्थापित किया जाय क्यों कि समय-समय पर छात्रों में पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व तक और पूरे देश में ऐसी लपटें उठ जाती हैं। इनका कारण क्या है ? केवल यह कहकर टाल देना कि विरोधी पार्टियों के उकसाने की वजह से ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। हजारों लाखों बच्चे किसी एक या दो पार्टियों के बहकावे में आकर ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। इन पर गहरी विवेचना करने की जरूरत है। लेबर अनरेस्ट भी कम नहीं हुआ है। अगर हम प्रदेश के अन्य भागों में देखें और विशेषकर आदमखोर बिरला की उस पिपरी स्थापित अल्यूमिनियम फैक्टरी में जो अकारण और असाधारण लाठीचार्ज हुआ और देश के संरक्षकों द्वारा निहत्थे मजदूर पीटे गये, बरेली में सिन्थेटिक फैक्टरी, रबर फैक्टरी में तथा पूरे प्रदेश के अन्दर जो कुछ मजदूरों के साथ हुआ वह सब के सामने मौजूद है। म्योर मिल का मामला तो पुराना पड़ गया। सरकार भी बेहया हो चुकी है। हम भी कहते-कहते बेहया हो गये हैं। दो बेहयाओं का मुकाबला हो रहा है। तो जिस तरह से असंतोष और लेबर-अनरेस्ट बढ़ रहा है वह यह बतला रहा है कि निस्संदेह प्रदेश की स्थिति बहुत नाजुक और बरदाश्त के बाहर होती चली जा रही है।

मान्यवर, इमरजेंसी का दुरुपयोग पूरी तरह से हुआ है। सुरक्षा कोष के नाम पर मानो जजिया टैक्स को माफ कर दिया गया इस तरह से होड़ लगी हुई थी। विभिन्न विभागों के लोगों ने, अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से एक ही आदमी के पास हर विभाग पहुंच जाता है। इसकी चर्चा भी हुई है। क्यों ऐसा हुआ ? होड़ इस बात की थी कि तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर बन जाय, कानूनगो तहसीलदार बन जाय और सब की कोशिश थी कि मंत्री जी जब आवें तो उनको थैली दें ताकि हमारा नाम लिस्ट में नम्बर १ पर आ जाय। इस होड़ में गरीब किसान का कचूमर निकल गया। यह सरकार मूर्ख है जो समझती है कि सुरक्षा कोष के नाम पर वसूल हुए पैसे से पाकिस्तान या चीन की लड़ाई लड़ी जायगी। चन्दे पर कहीं लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। लड़ाइयों के खर्चों को हम आप भली भांति जानते हैं। आज की स्थिति में सुरक्षा कोष के नाम पर इतनी बेरहमी नहीं होनी चाहिये थी। सुचेता जी नहीं हैं। उन्होंने, मैं तो कहूंगा, वादा खिलाफी की है। विरोधी पक्ष के नेताओं के सामने उन्होंने वादा किया था, अगर मिनिट्स हों तो देखी जायं, कि सुरक्षा कोष की वसूली नहीं करवाऊंगी क्योंकि अधिक पैसा मिलता नहीं ख्वामख्वाह के लिए बवंडर फैलता है। लेकिन फिर भी पैसा वसूल किया गया। आखिर वह किस लिये किया गया और किस काम आया और क्या उनका दिमाग बदल गया, इसकी मैं सफाई चाहूंगा। माननीया सुचेता जी इसका उत्तर अवश्य दें।

दूसरे, सरकारी वसूली जिस बेरहमी से हो रही है उसको सुन कर कलेजा फट जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे गेंदा सिंह जी की नीयत पर कोई शुबहा नहीं है। आज शायद उनको मालूम नहीं है कि पुराने बकाया सब एक साथ वसूल किये जा रहे हैं। किस आधार पर, किस आमदनी पर वसूल किये जा रहे हैं ? कौन सी नयी आमदनी किसानों को हो गयी ? उन क्षेत्रों में भी जहां जिलाधीशों ने वसूली मुल्तवी कर दी थी, कमिश्नरों ने अस्वीकार कर दी थी वह भी आज एक साथ वसूल की जा रही है। यह खयाल नहीं किया जाता

[श्री झारखंडेराय]

कि कहां से किसान देगा। जिसका बेटा मोर्चे पर लड़ा, जिन्होंने खून दिया, चवन्नी लगान जिन पर लागू किया गया, जिन्होंने बलिदान किये उन्हीं पर तमाम वसूली एक साथ की जा रही है। इसका क्या मतलब है? यह लाइन कहां ले जायगी इस प्रदेश को और सरकार को? क्या इनकी हमारी टक्कर बच सकती है? नहीं बच सकती। लगता यह है कि पूरी सरकार पूंजीवादी दल-दल में फंस गयी है, बल्कि धंस गयी है, आपाद मस्तक। जबतक उस दलदल को सुखाया नहीं जायगा तो सरकार निकलना भी चाहेगी तो नहीं निकल सकती। इसलिये कि सर्वहारा समाज लाने, समाजवाद लाने का इंस्ट्रूमेंट कांग्रेस सरकार नहीं हो सकती और न कांग्रेस पार्टी हो सकती है। कांग्रेस प्रगतिशील तत्व जो कभी-कभी बोला करते हैं, खास करके जब यह कुर्सियों पर नहीं होते, मैं उनसे कहूंगा कि उनका जो भ्रम है वह दूर हो जाना चाहिये।

मान्यवर, खाद्य स्थिति आज बड़ी भयंकर है। आत्म निर्भरता के जितने भी दावे अब तक किये गये सब झूठे साबित हुये हैं। जो पंडित नेहरू ने दावे किये थे, लाल बहादुर जी ने किये थे, सुब्रामनियम साहब ने किये थे और अनेक नेताओं ने किये थे, वे सभी आज झूठे साबित हो रहे ह आज कहा जाता है कि सन् ७४ में जाकर हम विदेशी अन्न से मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद कहा जायेगा सन् ८४ में मुक्त हो सकेंगे और फिर ९४ आयेगा। (लाल बत्ती जलने पर) माननीया, मैं अपने दल के नेता के रूप में बोल रहा हूं, मुझे अन्य नेताओं की तरह समय मिलना चाहिये।

मैं यह कह रहा था कि आज हमारे पूरे देश की खाद्य स्थिति बड़ी भयंकर है। दुनिया के जो बड़े-बड़े आंकड़ेबाज हैं उनका कहना यह है कि हमारे देश की करीब एक तिहाई जनता आधी भूखी रहती है। अन्न उत्पादन को बढ़ाने की जो चर्चा हमारे कृषि मंत्री ने की है वह बिलकुल नहीं के बराबर है। केवल आलू उगाने से ही अन्न की समस्या हल होने वाली नहीं है। मैं नहीं समझता कि जिस पूंजीवादी भूमि सुधार की झलक अखबारों में आ रही है, छोटे-छोटे किसानों की जगह बड़े-बड़े पूंजीवादी भूमि पर कृषि करेंगे, इससे छोटे छोटे किसानों का क्या होगा? कैसे हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे? जो आज नकली खाद्य संकट है उससे निपटने के लिये आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप स्टेट ट्रेडिंग करेंगे? अन्न जो गोदामों में बन्द कर दिया जाता है उसको रोकेंगे? ऐसे व्यापारियों का क्या होगा जो अन्न गोदामों में भर लेते हैं और नकली अन्न संकट पैदा किये रहते हैं।

आज लाखों एकड़ जमीन हमारे सूबे में ऐसी पड़ी है जो न हल के नीचे है और न आने की संभावना ही है। आप क्यों नहीं ऐसी भूमि पर, जो हल-बैल के नीचे नहीं आ सकती, बड़े-बड़े राजकीय फार्म खोलते? जो जमीन मामूली किसानों के बस की नहीं है, वहां पर क्यों आप किच्छा जैसे बड़े-बड़े फार्म नहीं खोलते? जब तक आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे, नकली अन्न संकट को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप पी० एल० ४८० से मुक्ति नहीं पा सकते। आपकी कोई नेशनल फूड पालिसी नहीं है। आज इस बात की जरूरत है कि विभिन्न पार्टियों की मंत्रणा से एक नेशनल फूड पालिसी बने, एक हाई पावर कमीशन नियुक्त हो जो इस समस्या पर गम्भीरता के साथ विचार करे।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त।

श्री ब्रजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

माननीया अधिष्ठाता महोदया, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जहां स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है वहीं उन्होंने उन सैनिकों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है जिनके त्याग के कारण पाकिस्तान को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कृषि के संबंध में भी अनेक योजनाओं को अपनाये जाने का जिक्र किया है।

मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि माननीय कृषि मंत्री इस समय सदन में उपस्थित हैं, परन्तु दुःख उसके साथ-साथ इस बात का है कि इस समय सदन में कोई भी सम्मानित मंत्री, उनको छोड़कर उपस्थित नहीं हैं । ऐसे अवसर पर जो इधर के और उधर के भाषण होते हैं मंत्री महोदयों का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर उनकी बातों को सुनें और उसके समाधान करने का प्रयास करें । यह भी शिकायत ठीक है कि डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी भी यहां उपस्थित नहीं है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि कृषि के सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल महोदय ने यह बयान किया कि १९६५-६६ में सिंचाई की बड़ी योजनाओं के अन्तर्गत २.१८ लाख एकड़ की अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की योजना लागू की गई, और लघु सिंचाई की योजना के अन्तर्गत ४.३८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की गई । भविष्य के लिये उन्होंने बतलाया कि १९६६-६७ में १.९७ लाख बड़ी एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि में तथा लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत ११.९५ लाख एकड़ सिंचाई के लिये साधन उपलब्ध होने की संभावना है। अनेकानेक योजनाओं का भी उल्लेख उन्होंने किया है, बिजली के सम्बन्ध में प्राविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में भी उन्होंने उल्लेख किया अपने अभिभाषण में । महामहिम राज्यपाल, महोदय को, जो उन्होंने कुम्भ की सुन्दर व्यवस्था का उल्लेख किया, उसके लिये भी मैं बधाई देना चाहता हूं ।

साथ ही अधिष्ठात्री महोदया मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि माननीय कृषि मंत्री के समक्ष कुछ शिकायतें प्रस्तुत करूं और आशा करता हूं कि उन पर वे विचार करने की कृपा करेंगे । सारी योजनायें हम बनाते हैं । दुःख यह है कि ये योजनायें कागज पर ही रह जाती हैं । भूमि पर आते आते न जाने उनका क्या हो जाता है ? लालफीताशाही इतने जोरों पर चल रही है कि योजनायें तो बनती हैं कमरे के अन्दर, योजनायें बड़ी सुन्दर होती हैं । उनको पढ़िये तो योजनाओं पर एक भी शब्द कहने का चित्त नहीं होता है । हम केवल उनकी प्रशंसा ही कर सकते हैं, किन्तु जब उनको कार्यरूप में परिणत करने का अवसर आता है तो हमारे अधिकारी, सब तो नहीं, किन्तु काफी संख्या में ऐसे हैं, जो उनको ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं । उसका नतीजा यह होता है कि जनता तक पहुंचते-पहुंचते योजनाओं का जो स्वरूप होता है वह समाप्त हो जाता है ।

मैं उल्लेख करना चाहता हूं दो तीन बातें अपने जिले के बारे में । सौभाग्य से कृषि मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं । वे उसी अंचल से आते हैं । हमारा जिला आजमगढ़ बहुत ही पिछड़ा हुआ समझा जाता है । नहरों का और ट्यूबवेलों का वहां नामोनिशान नहीं था । जब से अपनी हकूमत आई नहरें और ट्यूबवेल्स बनने लगे और आज भी बनाये जा रहे हैं । बड़े प्रयास के बाद जिले में कुछ ट्यूबवेल्स लगाये गये । गत वर्ष हमारे गांव की तरफ दो ट्यूबवेल्स लगे और कुछ ट्यूबवेल्स हमारे क्षेत्र में भी लगाये गये । दुर्भाग्य है कि एक वर्ष से ऊपर हो गया, उन ट्यूबवेलों का निर्माण हुए, अब तक गूलों का निर्माण नहीं हो सका है । वहां के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को लिखित प्रार्थना-पत्र दिया गया । आदेश यहां से चले, योजना चली, लेकिन वहां पहुंचते-पहुंचते हवा हो गयी । ठेका दिये हुए एक साल से ऊपर हो गया । हमारे यहां भारत सेवक समाज के एक कार्यकर्त्ता पैदा हो गये हैं और दुर्भाग्य से उन्होंने खाने पीने का एक ढंग निकाल लिया है । अधिकारी लोग उनके खिलाफ कार्यवाही करने में डरते हैं । बार-बार प्रार्थना की गयीं कि पिछले साल गन्ने की फसल को पानी मिल जाये, लेकिन एक साल से ऊपर हो गया, केवल कुछ गज ही गूल बन पायी है वह भी टूट गई । हमारे यहां का ही यह हाल नहीं है, सारे प्रदेश में ऐसी ही दशा है । कर्मचारी, जिनके हाथों में योजनाओं का कार्यान्वयन है उनमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जो अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते । योजनायें ठीक प्रकार से लागू न की जायगी तो उससे क्या लाभ हो सकेगा ?

माननीय झारखंडेराय जी इस समय नहीं हैं । वह भी हमारे जिले के हैं । उन्होंने कहा कि माननीय कृषि मंत्री जी ने जो साग सब्जी का उत्पादन बढ़ाने की योजना चलाई है, वह समस्या का हल नहीं है । लेकिन उन्होने यह नहीं बताया कि उसका हल क्या है । उन्होंने नहीं बताया कि किस योजना को लेने से उनको संतोष हो सकता है ।

माननीय गेंदासिंह जी सौभाग्य से यहां बैठे हुये हैं । वे तब उधर बैठते थे और अब इधर बैठते हैं, उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं देखता । बात बहुत स्पष्ट कहते हैं

[श्री बृजबिहारी]

जब से उन्होंने कृषि मंत्रालय संभाला है और जो कार्य उन्होंने किया है, निस्संदेह उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं और नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों से जिस प्रकार वे कार्य लेते हैं, उसके लिये वे प्रशंसा के पात्र हैं । लेकिन उसके साथ ही साथ यह दुर्भाग्य की बात है कि इतना सब प्रयास होने पर जैसा काम हम करना चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता । इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के बधाई के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रियासत हुसैन—

(श्री रामसुन्दर पांडेय का नाम पुकारे जाने पर) तीन दिन से हमारी पार्टी को बोलने का मौका नहीं मिला । आज भी सुबह से खड़े होते होते २ बज गये हैं । ऐसी स्थिति में हमारा यहां बैठा रहना बेकार है । इसके प्रोटेस्ट में मैं वाक आउट करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं तो केवल माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला सकती हूं कि उनको बोलने का समय दिया जायगा ।

(श्री रियासत हुसैन सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठात्री महोदया, मुझे इस सदन में जनता के आशीर्वाद से पिछले १४ सालों से माननीय राज्यपाल के अभिभाषणों को सुनने का अवसर मिलता रहा है । लेकिन इस वर्ष का जैसा नीरस और उत्साहहीन भाषण रहा है, वैसा मेरी समझ से पिछले १३ सालों में नहीं रहा । मैं सोचता था कि शायद सरकार के कार्यक्रम में उसकी नीतियों में, उसके व्यवहार में पिछले सालों से कुछ परिवर्तन होगा और केन्द्रीय सरकार जो समाजवादी समाज बनाने के लिये संकल्प एक बार नहीं बीसों बार कर चुकी है, उस दिशा में कुछ अग्रसर होगी और मेरा दृढ़ निश्चय था कि माननीय गेंदासिंह जी और दिल्ली में माननीय अशोक मेहता, जो पुराने समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जिन्होंने देश में समाजवादी नीति के प्रसार के लिये कुछ किया है, जिन्होंने खून पसीना एक किया है और कांग्रेसी राज में भी जेलयातना सहन करने में कोई संकोच नहीं किया । उन जैसे व्यक्ति जब सरकार में पहुंच जायं और फिर भी राज्यपाल का भाषण कोई निर्देशन या आगे आने वाले कार्यों का संकेत न करे कि प्रदेश में आने वाले जमाने में समाजवादी समाज के विस्तार में कुछ होगा तो हमारी आशा निराशा में बदल जाती है । मुझे यह कहने में अब कोई संकोच नहीं होता है कि यह सरकार समाजवादी समाज बनाने का केवल ढकोसला करती है और इस प्रदेश में लगातार प्रति दिन नौकरशाही के हाथ मजबूत करने में कोई संकोच नहीं किया जा रहा है और यह सरकार अधिनायकवाद की तरफ अग्रसर हो रही है । हमारी परेशानी और भी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि एक तरफ तो माननीय राज्यपाल का भाषण होने वाला हो और दूसरी ओर अध्यादेशों की आग फैलाई जाय । मैं सरकार से दावे के साथ पूछना चाहता हूं और उधर से बोलने वाले मंत्री इस का उत्तर दें कि कौन से ऐसे कारण थे कि माननीय राज्यपाल का अभिभाषण होने वाला था और अध्यादेश निकाले गये । सन् १९५० के पहले मैं नहीं जानता, लेकिन सन् १९५२ से आज तक इतनी बड़ी तादाद में कभी भी अध्यादेश जारी नहीं हुये हैं । जो राज्यपाल अध्यादेशों द्वारा सूबे की हुकूमत को चलाना चाहते हों, जो राज्यपाल जन भावनाओं को अपनी लाठी गोली से कुंठित करना चाहते हों वैसे राज्यपाल और उनकी सरकार के बनाये हुये मार्ग पर जो आंख बन्द कर के चलते हों उन को इधर के लोग कभी धन्यवाद नहीं दे सकते ।

एक सदस्य—

आप की सरकार में क्या होगा ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अगर हमारी सरकार बनेगी तो उन से गलत कार्य करने को नहीं कहा जायगा अगर सरकार जनतंत्र विरोधी कामों को करती है तो हम उसका समर्थन नहीं कर सकते, बल्कि घोर विरोधी होकर फिर इधर ही बैठूंगा। मैं माननीय गेंदा सिंह जी से कुछ जानना चाहता था क्योंकि वह हमारे नेता थे और हमारे दल के अगुवा थे, उनको सुनकर स्तब्ध रह गया क्योंकि मैं समझता था कि कृषि मंत्री के रूप में उन के इस पहले भाषण में शायद जनता को कुछ मिले क्योंकि पिछले सालों में अपने सिर पर गुड़ की गठरी रख कर दिल्ली की ओर गये और हम समझते थे कि जो सूबे के एक छोर से दूसरे छोर तक गन्ने के दाम बढ़ाने के लिये बीड़ा उठाते थे वह कुछ सरकार को प्रभावित करेंगे । आज माननीय गेंदा सिंह उस कुर्सी पर विराजमान हैं जिस पर रहकर वह अपनी पिछली कथनी और कारनामों के अनुसार सरकार को बाध्य कर सकते हैं अपनी उन नीतियों पर चलने के लिये और अगर सरकार उन की बात न माने तो वह फिर इधर आ सकते हैं। लेकिन हमें अफसोस है और हार्दिक कष्ट है कि वह सरकार को अपने मत के अनुसार नहीं मोड़ सके और न चला सके और अब वह भी उसी सरकार की दुहाई देने लगे हैं जो दुहाई हमारे श्री अली जहीर साहब, श्री हुकुम सिंह साहब देते हैं । मुझे याद है कि जब गन्ने का आन्दोलन आरम्भ होता था तो श्री गेंदासिंह कहते थे कि गन्ने के दाम बढ़ाये जायं, तो माननीय हुकुम सिंह कहते थे कि जो भी हमारे आदेशों का उल्लंघन करेगा उस को जेल में ठूंस दिया जायगा । वही काम अब कृषि मंत्री भी करने लगे हैं । याद रखिये कृषि मंत्री जी, मैं आपकी ही कही हुई बात को दोहराता हूं । जब तक कारखाने के बने सामानों की कीमत में और गन्ने एवं गल्ले की कीमत में सामन्जस्य नहीं होगा, तारतम्य नहीं होगा, तब तक आपके देश और प्रदेश में अधिक गल्ला पैदा नहीं हो सकेगा तथा तब तक किसान की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकेगी। इस काम को यह सरकार करने में समर्थ नहीं है, खेती की उपज नहीं बढ़ सकती है। हमारे कृषि मंत्री भी उधर जाकर कुर्सी में चिपक गये हैं। माननीय मंत्री को याद होगा कि १९५४ में फर्रुखाबाद में जब आन्दोलन हुआ था तो माननीय मंत्री जी भी जेल गये थे और प्रति रुपये ३ आने की छूट हुयी थी, लेकिन आज तो नहर के पानी का रेट बढ़ गया है। वह छूट भी समाप्त हो गयी है । उस समय प्रदेश में माननीय गोविन्द वल्लभ पंत जी की सरकार थी, लेकिन उस छूट को इनकी सरकार ने वापस ले लिया है और फिर आप चाहते हैं कि किसान अपने सारे खेतों में पानी दें । माननीय मंत्री जी तो एक किसान परिवार से आते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन ऐसा किसान है जो अपने सारे के सारे खेतों में पानी नहीं देना चाहता है ? खेतों की उपज बढ़ाने के लिये नये-नये औजार चाहता है, और बड़े-बड़े साधन चाहता है, इनको आप उसे नहीं देना चाहते हैं और न दे ही सकते हैं।

जो सिंचाई के आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं और जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि बड़ी और मध्यम योजनाओं के अन्तर्गत २.१८ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में, और अन्य नयी परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुये लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत ४.३८ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई के संभाव्य साधन उपलब्ध हो जायेंगे, उससे हमें निराशा ही होती है । मैं समझता हूं कि उधर बैठने वाले बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनके जिलों में पटेल कमीशन के तहत में बहुत से पक्के कुंयें बनाये जा रहे हैं। एक-एक ब्लाक में १–१ और २–२ लाख रुपया खर्चा हुआ है । मैं आप से पूछना चाहता हूं अगर आपने (माननीय मंत्री जी ने) किसी कुंयें का निरीक्षण किया तो साफ कहिये, उनकी क्या दशा है । पूर्वी जिलों में जैसे आजमगढ़ में और गोरखपुर आदि में ४० फीसदी कुंयें हैं जिनके लिये सीमेंट नहीं मिला है । बिना सीमेंट के कुओं का निर्माण हुआ है । जहां पर कुओं की आवश्यकता नहीं थी वहां पर कुयें बनाये गये हैं । इसके बारे में एक नहीं हजार मिसालें दे सकता हूं। फिर कैसे कहा जाता है कि हम छोटे सिंचाई साधनों को बढ़ा रहे हैं? जब तक धरती माता की प्यास नहीं बुझेगी तब तक कैसे आप अन्न की पैदावार बढ़ा सकते हैं ? दूसरे देशों में किसानों को सिंचाई मुफ्त दी जाती है तथा रेट भी कम लिया जाता है । अगर हमें

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

अन्न का उत्पादन बढ़ाना है तो हमें संकल्प करना पड़ेगा कि हम हर खेत में पानी देवें और आवश्यकतानुसार पानी देवें, भले ही हमें और सब काम बन्द करने पड़ें ।

आपकी सरकार ने अभी हाल में जो आपके आई० सी०एस० और आई० ए० एस० अधिकारी हैं, उनकी तनखवाह में ५-५ सौ रुपये बढ़ा दिये हैं परन्तु उन छोटे-छोटे कर्मचारियों, जो कि अपने जीवन और अपने परिवार के सदस्यों की उन्नति करने के लिये लालायित हैं, को कोई वृद्धि नहीं दी । आप बड़े बड़े लोगों के हाथों में सम्पत्ति देते चले जा रहे हैं ।

हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा है कि कानपुर में ३० करोड़ की लागत से एक उर्वरक कारखाना प्राइवेट सैक्टर में स्थापित करने का प्रस्ताव है । मैं पूछना चाहता हूं कि उस कारखाने का मुनाफा किस के हाथ में जायगा ? इससे स्पष्ट है कि समाजवादी व्यवस्था लाने के लिये तनिक भी कदम नहीं उठाया जा रहा है ।

पटेल कमीशन की सिफारिशों के सम्बन्ध में जो जवाब माननीय सुचेता कृपालानी जी ने दिया था और जिसमें कहा गया था कि आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर आदि जिलों में कहां-कहां पर चीनी मिलें खोलने का उनका विचार है और किन-किन योजनाओं को चलाने का उनका विचार है, इस समय मेरे पास है। आज आजमगढ़ की बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो जो कार्य आजमगढ़ और देवरिया में चालू करने का विचार था वहां वह एक भी चालू नहीं हुये हैं और सारा पैसा लैप्स हुआ है। केवल आजमगढ़ को छोड़ कर सड़कों का निर्माण भी और कहीं नहीं हुआ है । किस मुंह से आप कहते हो हमारे पास पैसा नहीं है ? एक तरफ पैसे के लिये मालगुजारी बढ़ायी जाय, एक तरफ भूमि भवन कर लगाया जाय, एक तरफ हर तरह से जोर जुल्म ज्यादती करके और आगे आने वाले जमाने की भी मालगुजारी वसूल कर ली जाय और दूसरी तरफ पैसा लैप्स हो जाय, खर्च न हो । फिर मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के कार्य करके यह देश और प्रदेश को बनाने की तदबीर नहीं हो रही है, बिगाड़ने की हो रही है। मैं माननीय गेंदा सिंह से कहना चाहता हूं कि उन को अफसोस होगा, शायद उन को जानकारी न हो, मैं उन को जानकारी कराना चाहता हूं कि पिछले साल खरीफ की मालगुजारी वसूली मुल्तवी हुई, देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, बनारस में। इस वर्ष पिछले बकाया की वसूली खरीफ की बढ़ी हुई सावागुनी मालगुजारी के साथ वसूल हुई है और माननीय गेंदा सिंह जी आज जिस कुर्सी पर बैठे हुये हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अगली आने वाली रबी में जो मालगुजारी वसूल होने वाली है वह भी वसूली आप की सरकार कर रही है इस वक्त। चलिये, आजमगढ़ में देवरिया, बुलन्दशहर में, इलाहाबाद में चल कर देखिये क्या हो रहा है। आप एक मिसाल तो बताइये हमको

हमको याद है हम सब छोटे छोटे बच्चे थे, अंग्रेजी राज्य की बात कहना चाहता हूं । बाढ़ आवे सूखा पड़ जाय, जमींदार मालगुजारी वसूल करता था। परची बट जाती थी और जब तक परची के बाद फिर मालगुजारी भी छूट न हो जाय तब तक जमींदार मालगुजारी वसूल नहीं कर सकता था। वसूल करता था तो जेल खाने जाता था। आज क्या है ? अपनी तहसील में एक दिन था, एक अच्छा किसान हवालात में बन्द था । क्या है ? फिर आप सोचते हो समाजवादी राज्य बनेगा। ८५ फीसदी किसान जहां रहें वहां हो क्या रहा है ? ३४ करोड़ रुपया, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रदेश में बड़े लोगों के जिम्मे बकाया है । उस को वसूल नहीं कर पाते हो और मरी हुई ठठरी के लिये दांत लगा रहे हो। मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस तरह की ज्यादती को रोकियेगा। मालगुजारी बढ़ाये जाने की बात कहते हैं हमसे । दिल से गेंदा सिंह जी शायद नहीं चाहते थे कि सवा गुनी मालगुजारी बढ़े, यह हमारे मन की बात है । वह इनकार कर देंगे तो दूसरी बात है । लेकिन हमारा मन कहता था शायद वह नहीं चाहते, क्योंकि जब इनसे पूछा था तो उन्होंने कहा हमारी इस में राय नहीं है । तो यह चाहते हैं कि न बढ़े । आप जरा अध्ययन करें हमारे पास लेखा जोखा सारे देश का है । उत्तर प्रदेश

ही एक ऐसा अभागा प्रदेश है जहां के किसान की मालगुजारी सब से ज्यादा है । १२ रुपये कई आने एकड़ उत्तर प्रदेश की मालगुजारी है । इससे कम सब जगह की मालगुजारी है । और जरा मजे की बात है इस प्रदेश में जितना ही ज्यादा बड़ा किसान है उतनी ही उस की मालगुजारी कम है और जितना ही छोटा किसान है उस की मालगुजारी ज्यादा । माननीय गेंदा सिंह जी माननीय बलवान सिंह और माननीय भानुप्रतापसिंह जी का उदाहरण देते हैं । क्या उदाहरण देते हैं ? माननीय भानु प्रताप सिंह जी कितना रुपया एकड़ मालगुजारी देते हैं, माननीय बलवान सिंह जी कितनी देते हैं ? हमारे और आप के पीछे बैठने वाले लोग हजारों, लाखों की तादाद में जो भूमि हीन थे, अकिंचन थे, १, २, ३, ४ बिस्वा के खेत जिनके थे और जिनको आपने सीरदार और भूमिधर बनाया उन की मालगुजारी क्या है ? आपको याद होगा कि हम और आप दोनों आदमी सेलेक्ट कमेटी में थे, जमींदारी अबालीशन वाली सेलेक्ट कमेटी, उस में हमने और आपने कहा था कि अकिंचन किसान की मालगुजारी मत बढ़ाओ । सर्किल रेट से उस की मालगुजारी इस वक्त दुगुनी है । बड़ा किसान जो जमींदार रहा वही मालगुजारी देता है जो अंग्रेजी राज्य में देता था और अकिंचन किसान आज सर्किल रेट से दुगुनी मालगुजारी दे रहा है ।

(इस समय २ बजकर २८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये ।)

फिर कभी किसान की भलाई नहीं हो सकती । मा० गोविन्द वल्लभ पंत की रिपोर्ट है कि अलाभकर जोतों की मालगुजारी माफी की जाय अगर किसान को सही मानों में आगे बढ़ाना है और साथ ही कारखानों के माल की कीमत तथा गल्ले की कीमत में सामंजस्य होना चाहिये, वर्ना यह प्रदेश हराभरा नहीं हो सकता । जब तक यह तय नहीं होता है तब तक मैं राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा और पिथौरा गढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मुझे १४ साल इस सदन में हो गये, लेकिन इस किस्म के गवर्नर के ऐड्रेस को नहीं सुना जिसमें न पालिसी का जिक्र हो और न किसी लक्ष्य की प्राप्ति का जिक्र हो । स्व० पंत जी के कार्यकाल के भाषणों को पाणिनी के सूत्रों की संज्ञा दी जाती थी तथा डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में सूझबूझ तथा राजनीति से परिपूर्ण राज्यपाल महोदय के अभिभाषण हुआ करते थे। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जैसा वर्णन किया है बहुत हद तक यह अभिभाषण एक हाई स्कूल के उद्घाटन का अभिभाषण है। यह सत्य है, क्योंकि यह पिछले सब सालों से Poorest है। मैं सबसे प्रथम समय बहुत कम होने की वजह से इतना ही कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण के सम्बन्ध में हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं श्री ठाकुर फूल सिंह, नवल किशोर जी, गोविन्द सहाय जी तथा श्री चन्द्रसिंह रावत जी सरकार में भी रहे हैं, उनके जो विचार हैं उनके साथ मैं अपने को जोड़ता हूं क्योंकि उन सब बातों को मैं सदन के सामने समयाभाव के कारण दोहराना नहीं चाहता ।

मैं कुछ जिक्र उत्तराखंड के बारे में करना चाहता हूं क्योंकि पर्वतीय इलाके के बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं की गयी । उत्तराखंड डिवीजन में पिछले ५ साल में २८ करोड़ रुपया खर्च किया गया, लेकिन उस धन का अधिकतर अपव्यय किया गया है और जो कार्य वहां किये गये हैं धन व्यय करने के मुकाबले में वे बहुत कम हैं । रुपये में आठ आने भर भी काम नहीं हुआ है । इसलिये मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि एक मूल्यांकन समिति बननी चाहिये जिसके सदस्य उस विभाग के कर्मचारी न हों और वह समिति जांच करेगी तभी सही रिपोर्ट सदन के सामने आ सकेगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा नारा हमारा है डेमोक्रेसी का, पिछले ५ सालों से वहां पर कोई भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जिला स्तर पर नहीं है, यानी न म्युनिसिपल बोर्ड है और न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है । कौंसिल के जो सदस्य चुन कर आयेंगे वहां के लोग वंचित रह जायेंगे कि अपने यहां से किसी कौंसिल के मेम्बर के लिये लोकल बाडीज निर्वाचन क्षेत्र में

[श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट]

वोट दे सकें या राय जाहिर कर सकें। सरकार इस ओर ध्यान दे। अव्यवस्था को शीघ्र दूर करें और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड व म्यूनिस्पल बोर्ड का चुनाव करे।

दूसरी बात यह है कि नारा बहुत दिया जाता है कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न बनाना चाहते हैं लेकिन मैं देखता हूं कि उत्तराखंड में एक्स्ट्रीम पावर्टी का पैटर्न भयंकर गरीबों का ढांचा है। इसलिये सरकार को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। यह काफी पिछड़ा हुआ, इलाका है इसलिये यहां पर काफी कार्य करने की जरूरत है ताकि लोग आत्मनिर्भर हो सकें, लेकिन वहां कोई कार्य देखने में नहीं आया जिससे आत्मनिर्भरता आ सके इसके लिये मुझे बड़ा दुख है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार ने जब पंचवर्षीय योजना बनाई थी तो ४३ करोड़ की योजना उसमें थी। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्रीय सरकार ने वहां के बजट को नामंजूर कर दिया है और कह दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने बजट में से वहां के बजट को मीट करे। इसका मतलब यह होगा कि वहां जो डेवलपमेंट की स्कीमें चल रही हैं या चलने वाली हैं वे सब रुक जायेंगी और इससे वहां की जनता के साथ बड़ा अन्याय, अत्याचार और ज्यादती होगी। वहां की जनता को बड़ी बड़ी आशायें दी गई थीं और उनको अगर आकाश पर चढ़ाकर पाताल में गिरा दिया जायगा तो वहां की जनता को बड़ी भारी तकलीफ होने की आशंका है। अगर प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से स्पेशल बजट लेने में असमर्थ है तो वह कहे कि नेफा पैटर्न क्यों बनाया गया था? अगर बनाया गया है तो नेफा पैटर्न की तरह चलाया जाय। अगर केन्द्रीय सरकार इसके लिये स्पेशल बजट नहीं देती है तो इस इलाके को केन्द्रीय शासित इलाका घोषित होना चाहिये और केन्द्रीय सरकार इसकी देखभाल करे। अन्यथा वहां की प्रगति को मंझधार में छोड़ना अन्याय है।

मैं कुछ ऐसी चीजें रखना चाहता हूं जो २८ करोड़ के अन्दर पिछले दिनों कई काम हो जाने चाहिये थे जिनका जिक्र हमारे बजट में था, वे नहीं हुए हैं। इसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार को इन योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्ति करना चाहिये। अब वहां का जो Defernce oriented one year बजट बना है उसमें भी मैं समझता हूं कि कम से कम ८ करोड़ रुपये जो मिलना चाहिये था उसमें ये चीजें अच्छी तरह से हो सकती हैं। वहां के डिग्री कालेज की बिल्डिंग बननी शुरू नहीं हुई है। वहां कालेज में साइंस क्लासेज भी नहीं खुल सके हैं। इसलिये वहां पर लड़के आर्ट्स सब्जेक्ट से ही पास होकर निकलेंगे। आजकल के जमाने में जो विद्यार्थी साइंस के बिना वहां से निकलेंगे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि साइंस क्लासेज शीघ्र खोली जायं व कालेज के भवन निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू कराया जाय। माननीय सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में ३२ लाख रुपया भवन निर्माण हेतु मिल गया था, लेकिन कोई काम भवन निर्माण का अब तक नहीं हुआ। दूसरे वहां पर तीनों जिलों के लिये पोलीटेक्निक स्कूल हर जिले में खोलने का तय हुआ था, लेकिन अभी तक उनकी शुरुआत भी नहीं हुई। यह जरूर खोले जाने चाहिये ताकि वहां के लोग आत्मनिर्भर हो सकें और वहां के लोगों के इम्पलायमेंट का जरिया बन सके।

चौबटिया की तरह हर जिले में उत्तराखण्ड के नर्सरी और आर्चर्ड मोडल ओरचर्ड बनाये जाने की बात कही गई थी ताकि इस जगह के तीनों जिलों में फलों को बढ़ाया जा सके, लेकिन इसके बारे में कोई कार्य नहीं हुआ है। यह भी हुआ था कि मुक्तेश्वर की तरह इन तीनों जिलों में डेरी फार्म बनाये जायेंगे जिससे वहां की गाय भैसों की नस्ल में सुधार हो सके, लेकिन यह कार्य भी शुरू नहीं हुआ हर साल योजनायें लैप्स हो जाती हैं। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये योजनायें ऐसी हैं जिनसे वहां की आर्थिक समस्या भी हल हो सकती है। इसी तरह से पिथौरागढ़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी की १७ योजनायें पास की गईं लेकिन एक भी नहीं ली गई। मैं चाहता हूं कि सरकार इधर ध्यान दे। रेडियो स्टेशन पिथौरागढ़ में बनाने के लिए मेरा सुझाव था, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है जबकि सरकार पर्वतीय इलाके में रेडियो स्टेशन कई जगह खोलने का विचार कर रही है। इन्डस्ट्री वहां बिल्कुल नाम मात्र

को रह गयी हैं। भेड़पालन (शीपब्रीडिंग) के लिए वहां चरागाहों का कोई इन्तजाम नहीं है। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के जरिए भी उस इलाके में कोई काम नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे।

अब मैं कम्पेन्सेशन के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। वहां काफी जमीन पी० डब्ल्यू० डी० व मिलिट्री ने लेकर सड़कें तथा काफी मकानात बनवाए हैं, लेकिन देहात के ग्रामीणों को आज ८-१० साल के पश्चात् भी उनकी जमीनों का कम्पेन्सेशन नहीं मिला है। वहां की जो गरीब जनता है उसको इसकी वजह से महान कष्ट है इसलिए उनके जो तमाम कम्पेन्सेशन के केसेज हैं उनको जल्द से जल्द तय किया जाना चाहिए। अन्त में मैं इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वहां सड़कें जरूर काफी बन गयी हैं। एजूकेशन के लिए प्राइमरी और सेकेन्डरी हाई स्कूलों की तादाद में भी काफी इजाफा हुआ है, अस्पताल भी काफी बने हैं और इन सब चीजों के लिए यह सरकार धन्यवाद की पात्र है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना विचार व्यक्त करूंगा। यह सही है कि जिस व्यक्ति की आलोचना की जाय उसका वहां रहना अत्यन्त अनिवार्य है और मेरा ऐसा सुझाव भी है कि माननीय राज्यपाल को स्वयं यह पता नहीं होता कि उनके अभिभाषण पर क्या क्या विचार माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये हैं। सही तो यह होता कि जिस दिन अभिभाषण का अन्तिम समय होता उस दिन राज्यपाल महोदय स्वयं उत्तर देने के लिए उपस्थित रहते, लेकिन खेद का विषय है कि यहां राज्यपाल महोदय रहते ही नहीं। इसके अलावा मन्त्रिमण्डल के सम्बन्धित मन्त्री भी स्वयं यहां उपस्थित रहने की आवश्यकता महसूस नहीं करते और उसी का यह नतीजा है कि प्रति वर्ष माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर यहां चर्चा, विवाद और उनकी कटु आलोचना इधर और उधर के बैठने वाले करते हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय को स्वयं यह नहीं मालूम होता कि किस माननीय सदस्य ने क्या विचार व्यक्त किये और न मन्त्रियों को ही इसकी जानकारी हो पाती है कि उनके लिए यहां क्या कहा गया।

अभी आपके सामने नगर महापालिका के मामले में माननीय न्याय मन्त्री श्री अली जहीर ने अपने विचार संक्षेप में व्यक्त किये। उनका कहना था कि चूंकि वहां गड़बड़ी थी इसलिए वहां के प्रबन्ध को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। यदि गड़बड़ियों की वजह से ही सरकार ने महापालिकाओं का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है और उनको अपने कब्जे में किया है तो इन बातों को लेते हुए अगर सरकार नगर महापालिकाओं का प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है तो मैं समझता हूं कि सरकार को स्वयं अपने को खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि जितनी महापालिकाओं में गड़बड़ियां, भ्रष्टाचार और अनुचित कार्य हो रहे बताये गये हैं उससे कहीं ५० प्रतिशत ज्यादा उसी रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार और मन्त्रिमण्डल द्वारा भी वे कार्य हो रहे हैं। अभी कल की बात है कि नियम ५२ के अन्तर्गत सीतापुर के एक माननीय सदस्य ने एक मामले को उठाया था जिससे पता चला कि चार आदमियों के ऊपर धारा ३०२ के अन्तर्गत कत्ल का मामला पुलिस ने चलाया जिसके अन्तर्गत ४ अभियुक्त बन्दी बनाकर जेल भेजे दिये गये। उनको अदालत के सामने पेश किया गया और उनके विरुद्ध शहादत भी पेश कर दी गयी कि इन लोगों ने उस व्यक्ति का कत्ल किया है। वह व्यक्ति जीवित है जब यह बात मुलजिमान को मालूम हुई तो उन्होंने उसको लाकर अदालत के सामने प्रस्तुत कर दिया। यह इतना गम्भीर और नाजुक मामला है जिसकी जांच होनी चाहिए थी। यदि समय से वह व्यक्ति अदालत में उपस्थित नहीं हो जाता तो सम्भवतः उन चारों व्यक्तियों को फांसी पर लटका दिया जाता। जब माननीय गृह मन्त्री से इस पर वक्तव्य देने के लिये कहा गया तो उन्होंने कहा कि यदि यह मामला पुलिस की जांच के विचाराधीन है या अदालत में यह मामला चला गया है तो मैं इस पर कोई वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं हूं। अब आप देख लें कि प्रजातन्त्र को मानने वाला गृह मन्त्री कभी भी इस तरह की बात नहीं कह सकता। जब यह बात मालूम

[श्री लखपतराम शर्मा]

हो गयी कि धारा ३०२ के अन्तर्गत कत्ल के मामले में पुलिस द्वारा झूठा चालान किया गया है तो गृह मन्त्री को चाहिये था कि न केवल उस दरोगा को सर्विस से निकाल देते बल्कि डी० आई० आर० का इस्तेमाल करके जिन्दगी भर के लिए उसे जेल में डाल देते। यदि जनतन्त्र को कायम रखना है तो इसी तरह की सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। मैं पूछता हूं कि क्या माननीय गृह मन्त्री के इसी तरह की कार्यवाहियों के कारण अपराधियों से इस प्रदेश की रक्षा हो सकती है और क्या इसी तरह से आप डाकुओं की समस्या को हल कर सकते हैं? इसके लिये तो कड़े से कड़े कदम उठाने होंगे।

हम भी कई वर्ष से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को इस सदन में सुन रहे हैं। माननीय राज्यपाल का भाषण पूरा का पूरा १९६७ में आने वाले चुनाव का श्रीगणेश था। प्रदेश की हालत यह है कि किसान एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। हालत इतनी खराब है कि नाजायज काम के लिए रिश्वत दी जाय तो उसको समझा जा सकता है, लेकिन इस प्रदेश में जायज काम के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। देश व इस सूबे के अतिरिक्त कहीं इतिहास में नहीं मिलेगा कि जायज काम के लिये रिश्वत दी जाय। इस प्रदेश की नौकरशाही पूरी तरह से हमारे मन्त्रिमण्डल पर हावी हो चुकी है। मन्त्री जी के आदेशों का कोई पालन नहीं होता उसकी मिट्टी पलीत की जाती है। ज्यादा अच्छा था कि जिन मन्त्री जी में अपने आदेशों को पालन करवाने की शक्ति नहीं वे इस्तीफा दे कर दूर हट जाते, लेकिन दुर्भाग्य है कि आपने कानून बनाया कि ५८ वर्ष पर इस प्रदेश के कर्मचारियों को रिटायर कर दिया जायगा क्योंकि उस उम्र के बाद वह भली प्रकार से अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकते जितना उससे अपेक्षा की जाती है। लेकिन पता नहीं कौन-सी संविधान में मन्त्रियों को छूट मिली हुई है कि मन्त्री यदि सौ साल जब तक जीवित रहें, तो उनको मन्त्री रहने का अधिकार है। हाथ पांव काम नहीं करते, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन माननीय मन्त्री जी कुर्सी के अधिकारी हैं। यह कानून आपने बनाया है। आपके हाथ में सत्ता है आप सौ वर्ष तक कुर्सी पर रह सकते हैं। आप में शासन चलाने की शक्ति हो तो एतराज नहीं है, लेकिन आप उत्तर को चलना चाहते हैं तो दक्खिन में पहुंच जाते हैं। यह आपकी शारीरिक दशा है, लेकिन प्रदेश की सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इस प्रदेश में किस कदर बेईमानी, ब्लैक और भ्रष्टाचार है किस कदर पक्षपात है। इस प्रदेश के अन्दर एक दो मन्त्री तो ऐसे हैं जो अपने मातहत कर्मचारियों से १०० में ९९ टेलीफोन अपने गलत काम करवाने में करवाते हैं। वह अपने बच्चों का पालन करने के लिये उनके आदेशों का पालन करते हैं। ठीक है, आपके हाथ में सत्ता है। लेकिन याद रखिए, बड़े-बड़े नेताओं को जनता ने चौराहे पर ले जा कर खड़ा कर दिया है। (व्यवधान) आप पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और मन्त्री नहीं बनेंगे आप चाहे जितनी भक्ति कीजिए। आज से डेढ़ साल पहले इस सदन में मैंने माताटीला का केस रखा था। दोनों तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने कहा, कांग्रेस विधायक श्री कृष्णचन्द्र शर्मा ने कहा कि उसकी नींव बेईमानी और भ्रष्टाचार पर रखी गयी है। मध्यप्रदेश की गवर्नमेंट में मुकदमा चल रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अभियुक्त कोर्ट में भी हार चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने मुकदमा चलाने की स्वीकृति मांगी। लेकिन जो अभियुक्त है उसका झांसी से लखनऊ तबादला कर दिया गया। सुबह से शाम तक दस विधायक माननीय मन्त्री जी के कमरे में जा कर सिफारिश करते हैं "उन अभियुक्तों को बचा दीजिये"। प्रजातन्त्र के तरीकों पर देश वही जीवित रह सकता है, जिसका चरित्र हो। चरित्रहीन राष्ट्र कभी भी उठ नहीं सकता है, यदि उठा है तो बहुत शीघ्र नष्ट हो जायगा। दुर्भाग्य की बात है कि यहां पर सुबह से शाम तक सिफारिशें की जाती हैं, थानों पर सिफारिशें की जाती हैं---अपराधियों, चोर, डाकुओं को बन्धनमुक्त करने के लिए सिफारिशें की जाती हैं। (लाल बत्ती होने पर) अभी मेरे २-३ मिनट बाकी हैं। आज प्रदेश के मन्त्री लोग जब जिलों में दौरे पर जाते हैं तो वह प्रदेश की भूखी नंगी जनता, मजदूरों और किसानों के मोहल्ले में कतई नहीं जाते हैं। जाना भी नहीं चाहते न उनको इसकी फुर्सत

ही मिल पाती है। वहां के कांग्रेसी विधायक जाकर उन्हें स्टेशन पर ही कैद कर लेते हैं और वे उनकी कैदों, गोदों में चले जाते हैं और वहां से सरकिट हाउस में चले जाते हैं। उनको यह पता नहीं चल पाता कि लोगों के घरों में मिट्टी के तेल के बिना अंधेरा पड़ा हुआ है, १२ छटांक का गल्ला बिक रहा है। जिस जनता ने उनको चुनकर भेजा वह किस दुर्दशा में पहुंच चुकी है इसका उनको पता नहीं रहता है। मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि जो मर चुके हैं वे इस कांग्रेसी कुशासन में अच्छे रहे और जो जिन्दा हैं वह जिन्दा भले ही हों, लेकिन वे मरे से भी बदतर हैं, वे घुट-घुट कर मर रहे हैं।

राष्ट्रीय संकट दूर हो चुका है। आज यहां पर माननीय न्याय मन्त्री ने भी इस चीज को कहा है कि एमर्जेन्सी खत्म हो गयी है, किन्तु मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में संकट के नाम पर जो भूमि भवन कर और किसानों पर जो बढ़ा हुआ टैक्स लगा रखा गया है तो उनका टैक्स आपने क्यों वापस नहीं लिया? राज्यपाल महोदय हम लोगों के सामने साल भर में एक दिन थोड़े समय के लिये आते हैं दर्शन दे जाते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान का मन्दिर होता है, वह २४सों घंटे जनता के लिए खुला रहता है, दर्शन के लिये खुला रहता है, वहां जाकर जनता अपनी फरयाद कर सकती है, लेकिन राज्यपाल का दरबार ऐसा है जिसमें साल भर में एक बार उनके दर्शन होते हैं। पता नहीं राज्यपाल महोदय अपने को भगवान से भी बढ़कर समझते हैं। किन्तु ये भूलें नहीं, यह भूखी नंगी शोषित जनता आपको भूलेगी नहीं, उसे पता है कि आपको उनके लिए दर्शन देने का समय नहीं है, इसलिए घबड़ाइए नहीं आने वाले ६७ के आम चुनाव में जनता आपको मक्खी की तरह निकाल कर आपकी कुर्सियों से छुटकारा दिला देगी जिनसे आप चिपके हुए हैं। जनता अपने ऊपर हुए अत्याचारों को भूलेगी नहीं, अपने कीमती व पवित्र वोटों द्वारा सबका बदला लेगी। न यह सरकार रहेगी, न यह मन्त्री रहेंगे और न आप रहेंगे जिन सबका दर्शन दुर्लभ है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यों तो राज्यपाल के अभिभाषण का हमेशा ही जनतन्त्र में बड़ा महत्व रहा है। लेकिन इस वर्ष एक विशेष कारण इसलिए है कि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की पूर्ति और चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ के समय पर हैं। मान्यवर, इस दृष्टि से अगर हम इस वर्ष के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को देखें तो मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि मुझे उससे खेद और निराशा दोनों हुई। मैंने उसे गतिहीन और निर्जीव पाया, मैंने उसे लाइफलेस और सोललेस पाया। मान्यवर, मैं इस बात की आशा करता था कि हमें इस राज्यपाल के भाषण में इस ओर प्रकाश मिलता कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के जो हमारे टार्गेट्स और जो एचीवमेंट्स थे वह किस हद तक पूरे हुए और अपने पिछले अनुभवों के अनुसार हम किस रीति और नीति का इसमें अनुसरण करने जा रहे हैं, लेकिन इसका सर्वथा अभाव राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मिलता है।

मान्यवर, कुछ और कहने से पहले मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ा खतरनाक ट्रेन्ड मिलता है उन कार्यकलापों में जिनका कि इस अभिभाषण में जिक्र है। बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जिसने डिमोक्रेसी को स्वरूप दिया और जो ही केवल एक पोषक संस्था डिमोक्रेसी की इस देश में हो सकती है उसके कुछ लोगों का विश्वास शायद उस डिमोक्रेसी से डिग रहा है। आर्डिनेन्स के बारे में अध्यक्ष महोदय की रूलिंग कल हुई कि वह कानूनन ठीक है। मेरा भी विचार है कि आर्डिनेन्स कानूनी है, लेकिन एक बात का कांस्टीट्यूशनल होना और उसका नैतिक होना दो अलग बातें हैं। जिस प्रकार यह आर्डिनेन्स आया उससे किसी का लाभ हुआ हो या नहीं, लेकिन जनतन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं को डालना चाहिए जिससे उसकी जड़ पर ही प्रहार न हो। आज जिस प्रकार से यह आर्डिनेन्स आया उससे मैं समझता हूं कि जनतन्त्र की जड़ पर प्रहार हुआ है और मैं इसको डिमोक्रेसी का एफेक्ट और कांस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा रेप मानता हूं। जब विधान सभा का सत्र आरम्भ हो चुका हो और उसके बाद प्रभावी होने वाला आर्डिनेन्स लाया जाय यह क्या है? माननीय न्याय मन्त्री जी बहुत अच्छे वकील हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं और उनके बाद कोई बात कहने का साहस नहीं होता, लेकिन एक अच्छा वकील जैसे कमजोर मुकदमे की पैरवी करता है वह बात उन्होंने की।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

जितनी दलीलें उन्होंने दीं उनसे केस उनका और भी कमजोर हुआ। एक दफा टाइम इसलिए बढ़ाया गया कि कुछ काम पूरा नहीं हुआ था, दूसरी दफा इसलिए बढ़ा कि इमर्जेन्सी आ गयी, लेकिन अब आगे बढ़ाने की आवश्यता क्या थी। उन्होंने पूछा कि फिर चारा क्या था? १५ दिन के लिए भी समय रखा जा सकता था। तो मैं कहना चाहता हूं कि अच्छा हुआ या बुरा, लेकिन यह बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। किसी भी देश में जब फासिज्म आता है, डिक्टेटरशिप आती है तो उसके मूल में भी यही चीज होती है। डिक्टेटर यह समझता है कि वह जनहित की रक्षा करने में सबसे ज्यादा समर्थ है और जनप्रतिनिधि जनहित की रक्षा नहीं कर सकते जो वह कर सकता है। आज यही भावना मैं इस आर्डिनेंस के पीछे देख रहा हूं।

कल, मान्यवर, प्रथम प्रश्न के उत्तर में मैंने सुना कि सारे प्रदेश में इंडस्ट्रीज कमेटी की लोन्स रिकमेंड करने की ऐडवाइजरी पावर को ले लिया गया, इसलिए कि एक आदमी, जिलाधीश, के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डाली जाय। यह वही भावना है कि जनप्रतिनिधियों के ऊपर से आस्था डिगती जा रही है और यह भावना आती जा रही है कि एक आदमी उसका ज्यादा अच्छा इंतजाम कर सकता है। मैंने भी कुछ शहरों में इंडस्ट्रीज कमेटी के वितरण और उसके यूटिलाइजेशन को देखा है और उसका अध्ययन किया है और उसका भी अध्ययन किया है जहां अधिकारियों द्वारा लोन्स दिये गये हैं। उसमें भी मिसयूटिलाइजेशन हुआ है। तो यह कहना कि जनप्रतिनिधियों की सलाह पर जो लोन्स दिये जाते हैं उनका मिसयूटिलाइजेशन होता है। यह मान्यवर वही जनतन्त्र से आस्था डिगने वाली नीति है और खतरनाक ट्रेंड है। यह एक जगह जहां सदन के सदस्यों के अधिकारों का अपहरण है, वहां मैं इसको जनतन्त्र में विश्वास की कमी भी मानता हूं।

मान्यवर, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का शब्द आता है तो मेरे सामने एक तस्वीर उच्चस्तरीय जिलाधिकारी की नहीं होती बल्कि उसके नीचे एक छोटी तनख्वाह पाने वाले क्लर्क की होती है। अगर सिफारिश जनप्रतिनिधियों की नहीं होगी तो उन क्लर्कों की सिफारिश पर वितरण होगा और इसमें धन के दुरुपयोग की कितनी संभावना बढ़ सकती है यह समझ से बाहर की बात नहीं है। और क्षमा करें, अगर इसी तरह पर सारी बातें चलीं तो अच्छा हो एक बात जो मेरे मित्र मेरे समीप बैठे हुए थे शायद धन्यवाद के प्रस्ताव में वह सारी बातें नहीं कह सकें। मैं उसी मेज पर बैठा सुन रहा था। वह कह रहे थे कि अच्छा हो सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और चीफ मिनिस्टर की एक कमेटी बना दी जाय और सारे मेम्बर्स की छुट्टी हो जाय तो सारे प्रदेश में काम होता रहे। यह डिक्टेटरशिप में फायदा होता है कि एक आदमी उसमें सारा काम कर सकता है। उसमें इस बात की आशंका नहीं रहती कि कोई पावर का दुरुपयोग होगा। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इंडस्ट्री कमेटी की पावर का जो अपहरण किया गया है वह गलत है।

इसके बाद मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह कहा गया कि इंडस्ट्रियल पीस रही। रही होगी, मेरा कुछ बहुत घनिष्ट परिचय उस दिशा में नहीं है, लेकिन इन बेंचों पर बैठने वाले और इस ओर के माननीय सदस्यों के द्वारा जो प्रश्न यहां किये गये उन पर प्रकाश डालने से यह पता चला कि काफी औद्योगिक झगड़े हुए। बरेली में भी एक सिन्थेटिक रबर फैक्टरी है। उसमें एक बड़ी भारी स्ट्राइक हुई। वहां के मिल मालिक यह समझते थे कि थोड़े से मजदूर इस स्ट्राइक में शामिल होंगे। इस नशे में उन लोगों ने उनकी बातों को नहीं सुना। उस फैक्टरी में एक बहुत बड़ी आग लगी और उसमें एक करोड़ रुपये की राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि हुई। मुख्य मन्त्री जी उसकी इन्क्वायरी करें और उस आग लगाने का कौन जिम्मेदार था जिसने इस संकटकाल में राष्ट्रीय सम्पत्ति को हानि पहुंचाई। इसका पता लगाकर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय और उन मजदूरों के प्रति जो सन्देह की भावना पैदा हो गई है उससे वह मुक्त हो सकें।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि काटेज इंडस्ट्रीज के बारे में। माननीय नवलकिशोर जी ने कल जो कहा था उसमें मुझे भी इतना कहना है कि राज्यपाल महोदय के

अभिभाषण में लघु उद्योग के बारे में कहीं पर एक शब्द भी पढ़ने को नहीं मिला। मैं यह समझता हूं कि इस प्रदेश की बहुत सी समस्या लघु उद्योग से ही दूर हो सकती है। मुख्य मन्त्री जी का सारा जीवन काल लघ् उद्योग को उठाने में ही लगा है। अगर आज उनके कार्यकाल में लघु उद्योगों की अवहेलना हुई तो मैं समझता हूं इनका भविष्य बहुत अन्धकार में है।

मान्यवर, कदाचित् मैं गुड़ और खांडसारी का जिक्र न करता, परन्तु इसलिए कहता हूं कि इस सदन में गुड़ की बात कहने वाले एक सदस्य माननीय गेंदासिंह जी आज दूसरी बेंचों पर हैं। कदाचित् एक बात इस अभाव में आज कहे बिना रह जाती है। आज भी गुड़ और खांडसारी के पोषण की बात की जाती है, लेकिन आज गुड़ और खांडसारी के लिये क्या हो रहा है? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अभी दो साल हुए शुगर मिलों को गन्ना मिलना कठिन हो गया था। उस समय सारे देश में हाहाकार मच गया था। केन्द्रीय सरकार में एक हाई पावर कमेटी बैठी और उत्तर प्रदेश में भी एक हाई पावर कमेटी थी और चारों तरफ से वे लोग लाबीइंग कर रहे थे। शुगर मिलवालों की ताकत है इसलिये उनसे सारा देश हिल गया। खांडसारी और गुड़ की जो आज दुर्दशा है उसकी कल्पना सरकार को है या नहीं यह मैं नहीं जानता। अगर नहीं तो मैं बतलाना चाहता हूं कि आज गुड़ और खांडसारी के भाव पिछले साल से ५० फीसदी गिरे हुये हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में ३, ४ करोड़ रुपये की पिछले साल की तैयार की हुई खांडसारी इसलिये पड़ी हुई है कि उसके निर्यात पर पाबन्दी लगी हुई है और उसकी निर्यात की पाबन्दी से परमिट वालों की एक क्लास पैदा हो गयी है। वह लोग परमिट लेकर आ जाते है, वह माल उठाते हैं। वहां माल तेज रहता है, यहां मद्दा और इस प्रकार उपभोक्ता और उत्पादकों को परेशानी होती है। आज किसान का जो सेफटी वाल्व है गुड़ और खांडसारी, उसका उसे उपयोग करने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन उसके लिये कुछ नहीं हुआ। इसलिये कि उनमें शक्ति नहीं है, उनमें लाबिइंग की ताकत नहीं है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह भले ही एक या दो आदमियों की कमेटी बनावें, लेकिन अगर आपके प्रदेश में गुड़ और खांडसारी को संरक्षण नहीं मिला तो आप समझ लीजिये कि सारे देश में नहीं मिल सकता। आपने जो टैक्स लगाये हैं उनमें बड़े स्पष्ट शब्द हैं टु माप आफ दि एक्सेस प्राफिट दैट खांडसारी हैव बीन रियलाईजिंग।" इसके लिये आप ने जो टैक्स लगाये उनको कायम रखने के लिये आज क्या औचित्य है? आपके छोटे-छोटे गुड़ और चीनी के उत्पादक जो गांवों में बहुत जगह बिखरे हुये हैं वे आज नहीं तो कल आपको याद दिलायेंगे कि आप की नीति के कारण हम स्वाहा हो गये। अगर आपने उनको नहीं बचाया तो आगे जो काश्त हमारी गन्ने की होने वाली है, जो गुड़ और खांडसारी का उत्पादन होने वाला है उस पर गहरा असर पड़ेगा और चीनी एक लग्जरी की चीज बन जायगी। क्योंकि अगर काश्तकार को उसके गन्ने का प्रतिमूल्य इस वर्ष न मिला तो अगले साल की फसल पर उसका असर पड़ेगा।

आखिरी बात इतनी और कहना चाहता हूं कि आपने एक बात अच्छी की और उसके लिये फिर धन्यवाद दे दूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने साफ यह बतलाया है कि अगले साल में पंचवर्षीय योजना का जो पहला साल है, १५४ करोड़ का खर्च का अनुमान है जिसमें ५४ करोड़ रुपये का अन्तर रह जाता है केन्द्र से मिलने में, उसके लिये आप कोई टैक्स लगाने की बात नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि साफ लिखा है कि अतिरिक्त कर लगाये जा चुके जिससे १३ करोड़ की प्राप्ति हो गयी। मैं समझता हूं कि जितने कर लगने आवश्यक थे वह लग चुके। इस समय की स्थिति ऐसी है कि करों का बोझ एक सेचुरेशन प्वाइंट पर पहुंच चुका है। इसलिये अब आप वही उपाय करें जिसका संकेत माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है, यानी अल्पबचत योजनायें, बचत योजनायें, मितव्ययिता आदि पर भरोसा करें और अगर फिर भी आप कर लगायें तो उन पर जिनके पास उसे देने की शक्ति है। गरीब आदमियों, छोटे आदमियों पर, जिनकी कमर टूटी जा रही है, उनको करों से मुक्त रखें।

इन शब्दों के साथ मैं मान्यवर धन्यवाद देता हूं महामहिम को।

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, एक कृपा और चाहता हूं। मेरे बांये बाजू में बहुत दर्द है इसलिये मुझे आप बैठ कर बोलने की आज्ञा प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है। आप बैठ कर बोलिये।

श्री महादेव—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात की शंका हो रही है कि आया सचमुच में सरकार उत्पादन बढ़ाना चाहती है या नहीं? पिछले १३, १४ साल से मुझे जरूर कुछ शंका होने लगी है। हो सकता है कि ऐसी चाह हो, लेकिन वह बड़ी कमजोर मालूम होती है। मैं स्वयं एक खेतिहर हूं और मुझे इस बात का अनुभव है कि अगर प्रदेश और उसकी सरकार चाहे और वह चाह सच्ची हो तो ५ साल के अन्दर प्रदेश का कायाकल्प किया जा सकता है और ऐसा किया जा सकता है कि जिस की कल्पना ऊंची से ऊंची हो। कल माननीय गोविन्द सहाय जी ने और फूलसिंह जी ने कुछ बातें कहीं। थोड़ी सी और गहराई में जाने की जरूरत है। हम यहां बैठे-बिठाये किसानों की हिमायत करें, उसकी वकालत करें उससे कुछ नतीजा नहीं निकलता। शिकायतें होती हैं भ्रष्टाचार की, सरकार की, सरकारी नौकरों की, लेकिन किसान को, खेतिहर, ९० प्रतिशत जनता को जब हम इस तरह से अपने पर आश्रित बनाये रखेंगे तो भले ही इस माननीय सदन में उसकी वकालत हो और उसको भले ही हम भ्रष्टाचार और सारे जुल्मों से बचाने का प्रयास करें उसका कुछ भी परिणाम होने वाला नहीं। हम जनता की रक्षा का सारा भार अपने कंधों पर लिये घूमें यह देश के बड़े दुर्भाग्य की बात है जबकि हम उसको कर भी न सकें। आपने १५–२० सालों से देखा, और आगे १५ साल देख लीजिये आपको केवल चिल्लाना हाथ लगेगा उसको रोक नहीं सकेंगे। कुछ मंत्रियों या गवर्नर या बड़े से बड़े व्यक्ति नेहरू ही आकर क्यों न जोर लगायें, लेकिन उनकी सामर्थ्य के बाहर है कि शासन और जनता के जीवन पर जो नौकरशाही का पंजा चिपकता जा रहा है उसको खींच सकें। आपको गांवों में वह तत्व पैदा करना होगा जो प्रजातंत्र की रक्षा और अपने जीवन की व्यवस्था कर सकें। आपने उधर ध्यान नहीं दिया। आपने समझ लिया कि हम रक्षक हैं प्रजातंत्र के। आप कभी नहीं हो सकते।

आपकी सामर्थ्य से कहीं ज्यादा सामर्थ्य आज नौकरशाही में है। उसका एक ही मार्ग है। आप १० साल की बात कर गये, मैं २० साल पहले की बात बताता हूं। उस समय मैं भी कांग्रेस में था। यहीं लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी। माननीय पंत जी, टंडन जी, देशप्राण नेहरू जी थे। मैंने उस समय एक रिक्वेस्ट की थी कांग्रेस से और उसी से मैं निकाला गया और हटा। सन् ५२ से अलग हो गया। मैंने कहा था कि आपकी बुद्धि पर, आपके इन कारनामों पर मुझे संदेह नहीं है, लेकिन एक बात पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी बुद्धि बेकार हो जायगी। हमारे देश और प्रदेश की समस्याएं एक दूसरे से उलझी हुई हैं। जाति-पांति, सांप्रदायिकता, शिक्षा की व्यवस्था, बढ़ती हुई आबादी, भ्रष्टाचार इन सबका एक दूसरे से इतना गहरा ताल्लुक है कि आप इनको अकेले अकेले सुलझाने का प्रयास करें तो आपकी सामर्थ्य के बाहर है। प्रजातंत्र का प्रहरी पैदा करने के लिये आपको गांव के अन्दर एक एलीमेंट पैदा करना होगा। आपके ब्लाकों की रक्षा कौन करेगा, गांव सभा की रक्षा कौन करेगा, वहां प्रजातंत्र कौन चलायेगा? आपने नौकरशाही वहां रख दी है। कोई लेखपाल किसी गांव को उठाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका स्वार्थ इस बात में है कि गांव लुटता रहे। कोई पंचायत का सेक्रेटरी गांव सभा के सभापति को ऊंचा दर्जा नहीं दे सकता। हर ब्लाक में आज बी०डी० ओ० और प्रमुख के बीच में कशमकश चल रही है, चाहे गांव बड़ा हो या छोटा हो। नौकरशाही नीचे से ऊपर तक संगठित है, वह प्रजातंत्रीयकरण के रास्ते पर इस तरह से बाधा बन कर बैठती है कि आप देखते रह जाते हैं और वह आपका कचूमर निकाल लेती है। आपने वह तत्व आज तक पैदा नहीं किया जिसके ऊपर आप व्यवस्था और रक्षा का भार दे सकें।

ऐसे आदमी हमने पैदा नहीं किये। पिछले २० सालों में हमने इन्जीनियर्स पैदा किये, ओवर सियस पैदा किये, नौकर-चाकर पैदा किये, नेता भी पैदा किये, मगर खेतिहर पैदा नहीं किये, अच्छे किसान पदा नहीं किये, गांव का उत्थान करने वाले व्यक्ति पैदा नहीं किये। ७–८ साल पहले मैंने आचार्य भावे से प्रश्न किया था कि आपका सर्वोदय आन्दोलन, जो सतयुग की कल्पना है, किस तरह से गांव में स्वराज्य ला सकेगा? भागीरथी को उतारने के लिये तो भगीरथ की आवश्यकता है। आप अगर नौकरशाही के बल पर गांव में स्वराज्य लाना चाहते है तो वह सम्भव नहीं है। मंत्री या मुख्य मंत्री आते जाते रहेंगे। कोई भी यह जिम्मा नहीं ले सकता कि वह सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर देगा। इसके लिये तो हमें एक सुदृढ़ वातावरण का सृजन करना पड़ेगा। तभी हम कामयाब हो सकेंगे, वरना नहीं। वातावरण को विषाक्त करके आप सफल नहीं हो सकते।

माननीय राज्यपाल महोदय ने शास्त्री जी का जिक्र किया है। शास्त्री जी कोई देवता नहीं थे, महात्मा जी भी कोई देवता नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति ही थे, किन्तु वे सदैव ५ पंचों से मिल कर काम करना चाहते थे, सब की राय से काम करना चाहते थे। अगर हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें चाहिये कि हम उनके आदर्शों पर चलें, उनके सिद्धान्तों को अपनायें। क्या हम अपनी यू० पी० की सरकार के नुमाइन्दों से यह आशा नहीं कर सकते कि वे उनके सिद्धान्तों पर चलें? कांग्रेस पार्टी जो इस समय सत्तारूढ़ है उसके कारनामों का प्रभाव पूरे प्रदश की जनता पर पड़ता है। क्या शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देने वाले व्यक्ति इस बात को नहीं सोच सकत कि माननीय गुप्ता जी, माननीया सुचेता जी, माननीय चरणसिंह, माननीय कमलापति जी वगैरह आपस में बैठ कर अपना झगड़ा समाप्त कर लें? अगर इतना भी हम शास्त्री जी के जीवन से नहीं सीख सकते तो हमको उनको श्रद्धांजलि देना ही बेकार है। आज प्रदेश का हित इस बात में है, जनता की मांग यही है कि इस हुकूमत को नौकरशाही के पंजे से छुड़ाया जाय और जनता को राहत दी जाय। शास्त्री जी ने ताशकन्द जाते हुये विरोधी पक्ष के लोगों से परामश किया था। तो क्या आप विरोधियों की राय लकर काम नहीं कर सकते? आप उनसे राय लना कोई गुनाह समझते हैं? बहुत सी बातें आप हमसे भी सीख सकते हैं। हमसे सलाह लेने में आपको क्या कठिनाई है? आज आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने जीवन म शास्त्री जी की शली को अपनायें, उनके सिद्धान्तों पर चलें, तभी प्रदेश की रक्षा आप कर पायेंगे और तभी प्रजातंत्र के भविष्य की भी रक्षा हो सकेगी।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो माननीय केशव गुप्त जी न धन्यवाद का प्रस्ताव पश किया है सें उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह एसा सुअवसर है जबकि हम पिछले वर्षों के कार्यो का, उसकी उपलब्धियों का और आगे जो काय करन हैं उनका सिंहावलोकन कर सकते हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस पक्ष के विरोधी माननीय सदस्यों क भाषण सुनन का। म नहीं समझ सका कि वे कौन सा चश्मा लगाये हुये हैं जिसको लगाने के बाद उनको उपलब्धियां तो दृष्टिगत होती नहीं, कमियां दृष्टिगत होती हैं। म, मान्यवर, आपक माध्यम से नम्र निवदन कर्ंगा कि वे कृपा करके ऐसा चश्मा लगायें जिसमें उपलब्धियां और कमियां दोनों दृष्टिगत हों। मुझे प्रसन्नता होती अगर किसी भी अवसर पर उनक मुंह से यह सुन लता कि यह तो आपने अच्छा काम किया, इतना कर लिया, इतना करना शेष ह। लेकिन वह तो एसा चश्मा लगाय हुये हैं जिसमें उनको दोष ही दोष नजर आते है, गुण तो दृष्टिगत होते नहीं। मैंने, मान्यवर पंचतंत्र में एक कथा पढ़ी थी कि तीन चतुर व्यक्तियों ने एक सीध-साद आदमी से उसकी बकरी को कुत्ता बताकर बकरी को हथिया लिया। उस बेचारे न बकरी को कुत्ता समझकर बकरी को छोड़ दिया। ठीक वही हालत हमारे सामने है। य भले आदमी जनता के अन्दर भ्रांतियां फैलाते हैं, सच को छिपाते हैं और सच्ची बात कहने का साहस नहीं कर सकते। आज हम यह कह सकते है कि पिछल वष हमारे देश के अन्दर जो असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं उनका यदि हम शान्ति से सिंहावलोकन करें तो उनका दूसरा निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। उस समय हमारी सरकार ने जिस साहस के साथ जनता का पथ प्रदर्शन किया है वह इति-

[श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल]

हास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मान्यवर, पिछले वर्ष पाकिस्तान का आक्रमण हुआ। देश की व्यवस्था नष्ट होने की स्थिति में हो गई थी। लेकिन उस परिस्थिति में हमारी सरकार ने जनता का मनोबल बढ़ाया, सैनिकों के परिवारों को सहायता दी, सैनिकों को भरती किया गया और प्रदेश के अन्दर ऐसा वातावरण उत्पन्न किया कि हमारे प्रदेश के अन्दर कोई उपद्रव नहीं हुआ। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसमें हमारे विरोधी दलों का भी सहयोग हमें प्राप्त था। उस समय प्रदेश में जो कुछ न हो जाता थोड़ा था। लेकिन ऐसे संकट के समय में सरकार ने जिस कर्त्तव्य का पालन किया है वह अपनी जगह प्रेरणा का स्रोत है।

दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि पिछले वर्ष जो दुर्भाग्यवश अवर्षण हुआ वैसा अवर्षण १९०१ से लेकर आज तक हमारे प्रदेश में नहीं आया। देश के अन्दर उससे एक असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी परन्तु फिर भी गल्ले की कमी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में हमें गहरी प्रसन्नता है कि एक भी व्यक्ति अन्न के अभाव में मृत्यु के मुंह में नहीं जा सका और इस परिस्थिति में हमने अधिक अन्न उत्पादन आन्दोलन चलाया। उसको बढ़ावा देने के लिये, उसको सफल बनाने के लिये और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये हमारे कृषि मंत्री तथा दूसरे मंत्रियों ने जो कदम उठाये हैं उनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। यह बात दूसरी है कि आप आलोचना करें, सन्तुष्ट न हों कि हम पूरी तरह सफल नहीं हुये हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं रही। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से आलोचकों से नम्रता से पूछता हूं कि वह जो स्वर्ग की कल्पना करते हैं क्या वह बातों से आ जायेगा ? क्या असैम्बली के प्लेटफार्म से अच्छी-अच्छी तकरीरें करने से और आलोचना करने से कोई स्थिति बदल सकती है, क्या अन्न का संकट दूर हो सकता है और हमारे अभावों की पूर्ति हो सकती है ? मैं आपसे पूछता हूं कि क्या नहीं किया गया ? जनता को उन्नतिशील बीज पहुंचाये हैं, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिये पूरे-पूरे प्रयास किये गये, मशीनें बांटी गईं, तकाविया दी गईं, लेकिन इस अवर्षण की वजह से हम अपने उद्देश्य को नहीं पा सके।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि असेम्बली में अच्छे भाषण से स्थिति नहीं बदल सकते। क्या सदन में फावड़े, कुदाल या हल लायं जिससे स्थिति बदलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

अच्छे भाषण से मेरा मतलब यह है कि जनता का मनोबल बढ़े।

मान्यवर, जहां तक अधिक अन्न उपजाओं आन्दोलन का प्रश्न है हमारा प्रयास सफल हुआ है। यह बात दूसरी है कि अवर्षण के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कि हमारा पूरा कार्य दिखाई न देता हो।

हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने कुछ इधर के लोगों द्वारा कही हुई बातों का हवाला दिया और उन पर प्रसन्नता प्रकट की। यह बात उनको मालूम होनी चाहिये कि हर जगह कुछ असन्तुष्ट लोग होते हैं, आपमें भी हैं, वे अपनी आहें समय-समय पर निकालते हैं। उनसे आप कोई नतीजा कैसे निकाल सकते हैं ? वह दिल जलों की आहें है, वह उदाहरण कभी नहीं बन सकते। आप दिल में हमारे प्रयासों को महसूस करते हैं, बाहर कहते भी हैं, लेकिन फिर यहां क्यों नहीं कहते ?

अगर आपकी सरकार यहां बन जाय तो फिर आप किस प्रकार से इस देश को स्वर्ग बनायेंगे, यह आपने नहीं बताया। आप वहीं करेंगे जो हम कर रहे हैं। आपने नहीं बताया कि हमारी

नीतियों में क्या दोष है, उनमें क्या आमूल परिवर्तन आप चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे यहां कृषि के क्षेत्र में बहुत कार्य हुआ है और यह भी ठीक है कि बहुत काम अभी बाकी है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं कृषि मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। योजनाओं और उनकी सफलता में मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

आप किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दीजिये। उसके लिये आप बड़ी-बड़ी योजनायें चालू करना चाहें कीजिये, लेकिन कुओं के लिये किसानों को अधिक धन दीजिये और उसके लिये उनको हर प्रकार की सहूलियत दीजिये। यह बड़े दुख की बात है कि सरकार की ओर से जो रुपया इसके लिये दिया जाता है वह भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाता। इसमें कुछ कठिनाइयां भी हो सकती हैं, लेकिन किसानों को टीन, सीमेंट और तकावी का रुपया समय पर और पूरा पूरा नहीं मिल पाता। किसान को बी० डी० ओ० के पास बार-बार भागना पड़ता है। रहट के लिये भी जो रुपया दिया जाता है उसमें भी बहुत गोलमाल होता है। मेरा निवेदन है कि कुओं के लिये किसानों को रुपया देकर आप किसान के प्रत्येक खेत पर पानी पहुंचा दीजिये।

इसके अलावा प्रदेश में लाखों एकड़ भूमि जलमग्न रहती है, उसकी सर्वे कराकर आप उसमें से पानी निकलवाने का कष्ट करें। वह जमीन खेती के काबिल बन सकती है। अगर यह हो गया तो बड़ी भारी सेवा होगी। राज्यपाल महोदय ने यद्यपि बहुत सी अच्छी बातों का जिक्र किया है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में कुष्ट निवारण पर बल नहीं दिया।

इसी प्रकार शिक्षा संस्थाओं के बारे में भी एक बात खटकती है। आज हमारी शिक्षा संस्थाओं को जो अनुदान दिया जाता है, उसका ठीक-ठीक उपयोग नहीं होता। इस बात की जांच हमेशा होनी चाहिये कि हमने जिन संस्थाओं को जितना अनुदान दिया है उसका ठीक से प्रयोग हुआ या नहीं। चौथा सुझाव मेरा यह है कि सरकार की जो पालिसीज हैं उनके इम्पलीमेंटेशन में दिक्कत होती है, मकान, कुएं, बांध, पुल बनाने का सवाल आता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग उनको बनाता है या जो भी इन कामों के इम्पलीमेन्टेशन वाले विभाग हैं वह बहुत ही क्रियाहीन हो गये हैं और कार्यों को जल्दी एग्जिक्यूट नहीं करा पाते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी पालिसीज का इम्पलीमेंटेशन तेजी से हो और सही मनशा के अनुसार हो तभी हम सफल हो सकते हैं।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी पार्टी के रियासत भाई को इस ३ दिन की बहस के अन्दर बोलने का मौका नहीं दिया गया और अभी तक हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अन्दर एक भी सदस्य नहीं बोला है .....

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कल कोई खड़ा ही नहीं हुआ आज वह नाराज होकर चले गये इसका हमें अफसोस है। वह रहते तो मौका दिया जाता, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, इधर विरोधी दल में बैठने वाले बहुत से कांग्रेस के समर्थक हैं, आप कृपा करके उनको न बुलवायें।

श्री बलवानसिंह—

श्रीमन्, वह गाली देने में एक्सपर्ट हो सकते हैं मुझे तो वह भाषा नहीं आती। जो लोग ज्यादा तेजी से अपनी बात करते हैं उनकी भाषा मैं समझने की कोशिश करूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

आप अपनी भाषा बोलिये, उनकी न समझिये।

श्री बलवानसिंह---

श्रीमन्, एक साहब ने कहा कि विरोधी दल के लोग तो हर समय आलोचना करते हैं। यहां पर मुख्य मंत्री जी हैं, सन् ४७ के बाद प्रदेश की हालत कैसी है इस पर कुछ सोच लिया जाय। सन् ४७ में इस प्रदेश में इतना अनाज पैदा होता था कि हमें बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज यहां के जो ५ बड़े नगर हैं उन तक को आप अपने पास से अनाज नहीं दे सकते। अगर यही हालत रही तो सन् ७० तक इस देश की हालत ऐसी होगी कि मुझे डर है कि कम से कम २० प्रतिशत लोगों को देश में अनाज नहीं मिलेगा। एक करोड़ आदमी यहां हर साल पैदा होता है और अगर आप खेती की उपज को देखेंगे तो खेती की उपज पहले के मुकाबले में गिर रही है। अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि हमने यह यह काम किये हैं, हमारे पास नलकूप, सिंचाई के मीन्स हैं, लेकिन उनसे ऐसा आभास नहीं होता कि आने वाले दो चार सालों में कोई स्थिति सुधरेगी। माननीया मुख्य मंत्री उत्तर दें कि क्या वह इन सालों में यहां की कृषि उपज बढ़ाने में इस योग्य होंगी कि उन्हें बाहर से अनाज न मंगाना पड़े? हमारा गंगा जमुना का जो दुआबा है उससे अच्छी जमीन दुनिया में नहीं है। यहां से अच्छा पैदावार के लिये कोई मौसम कहीं नहीं होता, लेकिन गल्ले की उपज कम हो रही है। हमें यह देखने की जरूरत है कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे यहां की उपज नहीं बढ़ रही है। साढ़े चार करोड़ एकड़ से ज्यादा यहां खेती की जमीन है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो कुल क्षेत्रफल के अनुपात में अमरीका में ८ प्रतिशत, जापान में १२ प्रतिशत, रूस में ६ प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्रफल में खेती नहीं होती और हिन्दुस्तान में ४० फीसदी रकबे के ऊपर खेती होती है। जिस मुल्क में ८१ करोड़ एकड़ भूमि में से ३६ करोड़ एकड़ भूमि में खेती होती हो और हमारे सूबे में ४ १/२ करोड़ एकड़ भूमि में खेती होती है। हमें अनाज के लिये दूसरे के ऊपर आश्रित रहना पड़े, कितने अफसोस की बात है। आज खेती के काम को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। आज खेती की उन्नति के लिए सरकार के जो साधन होने चाहिये वे उसके पास नहीं हैं। अभी हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि ७५ हजर एकड़ भूमि पर आलू की बुआई हुयी। यहां पर ३ करोड़ मन आलू पैदा होता है, लेकिन सिर्फ ४० लाख मन आलू रखने के लिये कोल्ड स्टोरेज में रखने का प्रबन्ध है। नतीजा यह है कि आज बाजार में ६ १/२ रुपये से ७ रुपये प्रति मन के बीच आलू की कीमत हो गयी है। आज हमारे किसान जो नुक्सान उठा रहे हैं, वह कहां से आये? क्या सरकार के पास कोई मैशिनरी नहीं है कि वह इनकी प्राइस को फिक्स करे? प्रोफेसर दान्तवाले ने इस्तीफा दे दिया है और मैं तो यह कहूंगा कि अगर यह कांग्रेस सरकार आज किसान की प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स नहीं करती है, तो इस सरकार को एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। मेरा कहना है कि जहां पर अनाज की कीमत को बांधने के लिये सवाल है, आज इस सरकार को चैलेंज मन्जूर करना चाहिये। आज यह सरकार नहीं जानती कि ५० फीसदी दौलत हिन्दुस्तान की किसान पैदा करता है। तो जब यह दौलत किसान से आती है तो यह सरकार भी अपने एक्सपर्ट्स को बिठायें और अनाज के दाम फिक्स कराये। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह सरकार इस काम के लिये क्यों तैयार नहीं होती है? राज्यपाल के सम्बोधन में एक साल के लिए सरकार के कार्यों का नक्शा होता है परन्तु मुझे कहीं भी ऐसा संकेत नहीं मिला कि उनकी सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करने जा रही है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि काश्तकार के हितों को ध्यान में रखते हुए इस सरकार को अनाज के दाम मुकर्रर करने चाहिए।

आज हमारे दोस्त शिवराज सिंह जी ने जो खाद के लिये कहा। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने खाद का क्या प्रबन्ध किया? हमारी मुख्य मंत्री जी भी कहती हैं कि किसानों को अधिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। कहां है वह खाद? क्या आप यह चाहते हैं कि यह जो हरा चारा है या गोबर है, उससे खाद होगा? आज यहां पर एक एकड़ जमीन में हमारे लिए केवल २ पौंड प्रति एकड़ खाद भी नहीं है। नाइट्रोजन और सुपरफास्फेट कहां है? जापान जैसे देश में २०० पाउन्ड प्रति एकड़ खाद प्रयोग में लाया जाता है। पर जिस देश में २ पौंड भी खाद प्रति एकड़ के लिए न हो, तो कैसे आने वाले सालों में इस सूबे की पैदावार को

आप बढ़ा सकेंगे ? कानपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनते बनते ३ साल हो गये हैं परन्तु अभी तक वहां से फर्टिलाइजर प्राप्त नहीं हो सकता है, । अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क की पैदावार बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि हम पी० एल० ४८० के अन्तर्गत गेहूं लेना बन्द करें तो आप के पास इतनी भूमि है कि अगर आप केवल पानी की व्यवस्था कर दें तो यह देश और प्रदेश अपने पैरों पर एक साल में ही खड़ा हो सकता है। ४ फीसदी से ज्यादा वह पानी जो कि बह जाता है, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ९६ फीसदी पानी आप का बेकार जाता है। ८ फीसदी से ज्यादा पानी जमीन के अन्दर से इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम सब सौयल का पानी, बारिश का पानी इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं करते तथा नहरों में पूरा पानी नहीं आता तो कैसे आप सोचते हैं कि आने वाले सालों में, जिसमें कि ३०० करोड़ रुपये का गल्ला मंगाना पड़ेगा, अनाज की समस्या हल कर सकेंगे ? यू० पी० जो हिन्दुस्तान का दिल है जिसमें साढ़े पांच करोड़ एकड़ जमीन है उस सूबे को यह चैलेंज लेना चाहिये। इस सूरत में मैं यह चाहता हूं कि आज जो सवाल भुखमरी का है इसको मजबूती से हल किया जाय।

कहा जाता है कि जमीन को हम तोड़ेंगे। क्या मैं अपने ऐक्सपर्ट्स से पूछ सकता हूं कि जहां पर इतनी ज्यादा जमीन है वहां नई जमीन तोड़ने की क्या आवश्यकता है ? आवश्यकता इस बात की है कि जो जमीन है उस को पानी की कमी न रहे। अगर आप इसका प्रबन्ध कर सकेंगे तो नई जमीन तोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कुछ पार्टियां कहती हैं कि अन्न सेना बनायी जाय। मैं पूछता हूं कि अन्न सेना कहां जायगी ? क्या आप ऊसर जमीन को तोड़ना चाहते हैं ? अगर आप ३६ करोड़ एकड़ जमीन से अच्छी अच्छी फसल ले लें तो मुल्क की खाद्य समस्या हल हो सकती है। इंटेंसिव कल्टीवेशन की बात की जाती है। मैं जापान का उदाहरण देता हूं। वहां जाड़ों के अन्दर जब पानी जम जाता है तो उस पानी को गरमा कर खेतों के लिए पानी दिया जाता है। अगर सरकार प्लानिंग का पैसा पानी को मुहैया करने की तरफ खर्च करे तो हमारा काम बन सकता है।

*श्री रामायणराय—

मान्यवर, सब से पहले मैं नेता विरोधी दल से आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम उनका दायित्व क्या है इसके लिये तो वह मुझसे शायद नाराज हो जायंगे, इसलिये उस की चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन उन से आशा अवश्य रखता हूं कि वह अपने ही दल के माननीय सदस्यों के द्वारा जो विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं उन की असंगतियों की ओर भी वह दृष्टिपात करने का प्रयास करेंगे। आज वैसे तो मेरा बोलने का इरादा नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि एक माननीय सदस्य, जो नेता विरोधी दल की कुर्सी पर किसी दिन बैठ चुके हैं, ने फरमाया कि हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राज्य के मुख्य मंत्री अहिन्दी भाषा भाषी प्रान्त से हैं और उन्होंने यह भी फरमाया कि हमारे मुख्य सचिव हिन्दी विरोधी हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि उस दिन जब माननीय स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के आह्वान पर हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने दिल्ली में आहूत मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में हिन्दी की जोरदार सिफारिश की थी और उस समय उधर बैठे हुए माननीय कुंवर श्रीपालसिंह ने उनके इस कार्य के लिये इस सदन के समक्ष उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की थी। आज जिस सत्र में हम बैठे हैं उस समय के भीतर माननीय मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में हिन्दी की सेवा कितनी की गयी है यदि इसकी चर्चा मैं न करूं तो मैं समझता हूं कि श्रेयस्कर न होगा।. एक वर्ष के भीतर पुराने कानून की जितनी पोथियां थीं उनका रूपान्तर हिन्दी में किया गया। एक दो वर्षीय योजना बनाई गई मुख्य सचिव के निर्देश से जिसका यह आशय है कि जितने रूल्स हैं तथा फार्म्स हैं अथवा परिपत्र हैं उनको हिन्दी में पुनर्गठित किया जाय और साथ ही साथ उन्होंने यह भी व्यवस्था की है कि राजकीय सेवा में लगा हुआ कोई कर्मचारी यदि हिन्दी के क्षेत्र में उसकी कोई देन है तो उसे विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाय। इस तरह से अनेकानेक ऐसे कार्य है जिनका हवाला दे कर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि आज भी इमोशनल इंटेग्रिटी की बात कही जाती है। ऐसे समय में उस तरफ से इस तरह के संकीर्ण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायणराय]

दृष्टिकोण का प्रदर्शन माननीय नेता विरोधी दल की ओर से कदापि नहीं किया जाना चाहिये था।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

एक शुद्धि कर ली जाय कि उन्होंने अहिन्दी "भाषा" कहा था कि "प्रान्त" कहा था।

श्री रामायण राय—

इस प्रकार मैं अपने एक बुजुर्ग से आग्रह करना चाहता हूं जिनसे मैं इस सदन में कुछ सैद्धान्तिक पथ निर्देश की आशा रखता हूं उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले वर्ष के भीतर कुछ ऐसे कार्य किये हैं जिनसे जनतंत्र के मूलभूत सिद्धान्तों पर कुठाराघात हुआ है। चर्चा करते हुये उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था और उसके बावजूद भी सहकारिता मंत्री का ध्यान उधर नहीं गया और उन्होंने कुछ ऐसा कानून बनवा दिया। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह सहकारिता मंत्री का कानून नहीं है, वह समूचे सदन द्वारा पारित कानून है।

जनतंत्र की ठीक परिभाषा वह स्वयं जानते होंगे जिसको कि वह स्वयं अपने छात्रों को पढ़ाया करते होंगे "डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट फार दि पीपुल, बाई दि पोपुल, आफ दि पीपुल।" उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमारी सरकार को जिन किन्हीं गांव सभाओं को सुपरसीड करना पड़ा या जो भी ऐसे कदम उठाने पड़े उसके लिये उनकी मजबूरियां थीं जिनकी वजह से जनता के हितों का संरक्षण करने के लिये जिनका दायित्व इधर के बैठने वालों के कन्धों पर है, सरकार को विवश हो कर इस तरह के आदेश जारी करने पड़े। मैं और दूर नहीं जाता। इस नगरी के बारे में एक चित्र आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मान्यवर, यहां नगरमहापालिका के निर्माण के बाद जो हुआ उसका एक स्वरूप मैं माननीय सदस्यों के विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, ६० लाख रुपया घाटे का है, इस्टेबलिशमेंट पर। जो महापालिका की कुल आमदनी होती है वह केवल ७५ फीसदी रह गई है। ४०१७ कर्मचारी थे और जब इस थोड़ी सी अवधि में ५७५० कर्मचारी कर दिये गये। १९६०–६१ में एरियर का रुपया १,१२,०१९ रुपया था जो १९६५–६६ में बढ़कर ३८,८५,६७३ हो गया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह आंकड़े आप न जाने कहां से ले आये हैं।

श्री रामायणराय—

मुझे आशा थी कि आप लोगों की ओर से इस तरह का प्रयास किया जायेगा। आप शांतिपूर्वक हमारी बात सुनिये। एक ओर सरकार का यह दायित्व है कि जनतंत्र की यह संस्थायें सुचारु रूप से चलती रहें तो वहां पर दूसरी ओर सरकार का यह भी बड़ा दायित्व है कि इस प्रदेश में रहने वाली जनता के साथ जो अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है उसको रोकने के लिये जो सरकार प्रदत्त अधिकार हैं उनका सख्ती के साथ प्रयोग करे।

अन्त में मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के भाषण को किसी ने नीरस कहा, किसी ने छोटा कहा, किसी ने और संज्ञा दे दी, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह पहला अवसर है जब माननीय राज्यपाल महोदय के संबोधन में हमारे प्रदेश की जो सब से बड़ी समस्या है उसके ऊपर सब से ज्यादा जोर दिया गया। लगभग ४० करोड़ रुपया खेती की उपज के ऊपर खर्च करने का हमारा मनसूबा है। अगर हम समय की मांग के साथ चल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इधर के बैठने वाले लोग प्रगति की दिशा की ओर जा रहे हैं और उनके द्वारा इस प्रदेश की जो सेवा की जा रही है उसको देखकर कुछ लोग विचलित हो रहे हैं। शायद आगामी चुनाव उनके दिमाग में काम कर रहा है इसीलिये वे अवसर न मिलने पर भी ऐसी बात सदन में कहते हैं जो उनके लिये शोभा नहीं देती है।

आखिर में मुझे निवेदन करना है कि मेरे क्षेत्र के बारे में कहा गया। एक माननीय सदस्य देवरिया ने मुक्त कंठ से कहा कि एक महिला ने भूख से तड़प कर अपने बच्चों को मार डाला। मैं नहीं समझ पाया कि इस तरह की मिथ्या बात कहने से वे जनतंत्र का क्या कल्याण कर सकेंगे। इतना कह कर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं।

(माननीय उपाध्यक्ष के श्री नाथूराम शिक्षक का नाम पुकारे जाने पर)

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के संबोधन पर ३ दिन से बहस चल रही है। अभी हमारे दल के नेता के मिलने पर आपने कहा कि समय न होने के कारण आपको समय नहीं दिया जा सकता। मैं जानना चाहता हूं, यहां पर नेता सदन और नेता विरोधी दल भी मौजूद हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

नहीं सुनिये। मैं जानना चाहता हूं कि यह सदन संसदीय परम्परा पर चल रहा है या नहीं ? क्या यहां किसी दल को एक्सप्लौइट किया जायेगा....

श्री उपाध्यक्ष--

बस, अब आप बैठ जाइये। आपके दल का उस समय कोई आदमी नहीं था जब आपका टर्न था।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

जी नहीं, मौजूद थे।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

हम नहीं बैठेंगे। हम प्रदेश की पौने दो करोड़ जनता को रिप्रेजेन्ट करते हैं। आप लोग हंसते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। यह कोई वजह नहीं है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

मैं आपके रवैये के विरोध में सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री भगवानदास यादवेन्दु ने अपने दल सहित सदन का परित्याग किया।)

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल के भाषण से अपने को संबद्ध करते हुये महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में अपने विचार प्रकट करूंगा। मान्यवर, चरित्रहीन और पथभ्रष्ट सरकार के अगुवा राज्यपाल महोदय कैसे साफ बात कह सकते हैं ? यह उनके भाषण से साबित हो गया कि स्वयं विचलित हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिये ही उन्होंने गोलमाल भाषण दिया। किसानों को तत्काल राहत देने की कोई बात उन्होंने नहीं कही, इसलिये यह बड़ी कमी उनके अभिभाषण में रही। हरिजनों और भूमिहीनों को उचित और

[श्री नाथूराम शिक्षक]

निःशुल्क शिक्षा, तथा न्यायालयों द्वारा शीघ्र न्याय देने के विषय में भी राज्यपाल महोदय ने कुछ नहीं कहा। अल्प बचत की बात उन्होंने कही, लेकिन बड़ी बचत की ओर उनका ध्यान नहीं गया।

मैं राज्यपाल महोदय तथा सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वे ग्राम समाज की संपत्ति का ठीक से निर्णय करा लें और ब्लाकों को दी गयी रकम का आडिट ठीक से करा लें तो २५ फीसदी लगान जो किसानों पर बढ़ाया गया है उससे वह बच सकता है, उसके लगाने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ ही भविष्य में जो टैक्स लगाने की घोषणा की गयी है, उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

अब मैं अपने क्षेत्र की रामगंगा नहर की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे यहां मंझनपुर और सिराथू तहसील में सैकड़ों आदमी ऐसे हैं जिनको मुकदमें द्वारा परेशान किया गया है। इसकी शिकायत मैंने मुख्य मंत्री, माल मंत्री और कृषि मंत्री से की थी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। गवर्नर महोदय ने भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, सारी कमियों की एक ही जड़ है कि सरकारी कर्मचारी निष्क्रिय हैं। सदन द्वारा बनाये गये नियम जिस मजबूती के साथ लागू होने चाहिये वे वहां लागू नहीं किये जाते। उसमें भी गोलमाल किया जाता है। इसलिये हम यह कहना चाहते हैं कि चरित्र-हीन और पथभ्रष्ट सरकार की ओर से तरह-तरह के आश्वासन दिये जाते हैं और १८ साल से उनको बराबर अन्धकार में रखा जा रहा है इन झूठे आश्वासनों की बिना पर। इसलिये मैं इस सरकार को चरित्रहीन और पथ भ्रष्ट सरकार कहने में कोई भी संकोच नहीं करता।

कुम्भ के मेले में जहां गवर्नर महोदय ने भाषण दिया, बसों को रोक दिया गया, सैकड़ों की तादाद में बसें खड़ी रहीं और दूना किराया जनता से वसूल किया गया। जब तक देश के श्रम का सदुपयोग नहीं होगा तब तक देश में खाद्य उत्पादन की यह शिकायत सरकार के झूठे वादों से दूर होने वाली नहीं है। किसान की आदत को बिगाड़ा गया। उनसे कहा गया कि हम आपको इतनी रासायनिक खाद देंगे, पानी देंगे। लेकिन रासायनिक खाद न देकर फिर सरकार उसी जगह पर आ गयी कि अपने साधनों से उत्पादन बढ़ाओ। मैं कहूंगा कि अगर किसान को पानी दे दें खाद न भी दें तो किसान उत्पादन बढ़ा सकता है। आपकी नहरों में पानी नहीं है तो बरसात का पानी रोक दें तो सिंचाई का काम हो सकता है। इलाहाबाद जिले में अलवारा झील की बुनियाद में कम से कम ५० हजार रुपये का गल्ला इस समय मौजूद हैं। इन शब्दों के साथ मैं विरोधी दल के नेता के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

अध्यक्ष जी, मुझे खेद है कि मैं सारे समय बैठ कर बहस सुन न सकी, कुछ अस्वस्थता के कारण से, गोकि मैं पहले जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे उनके भाषण को सुन कर गयी थी। जो कुछ मुझे रिपोर्ट मिली और जो कुछ मैंने आज सुना, जो समालोचना सरकार की हुई, वह दो किस्म की हुई। एक कुछ राजनीतिक और कुछ राज्य परिचालन संबंधी। जो राजनीतिक समालोचना हुई है, कुछ विरोधी दल के लोगों की तरफ से हुई, कुछ अपने लोगों की तरफ से हुई है। नयी बात कुछ नहीं है। हर साल जो बात रटी जाती है, वही है। इस साल एक कंट्रेडिक्शन दिखायी पड़ा। माफ कीजिये अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करने के लिये। कहा गया कि सारी गवर्नमेंट ग्रुपिज्म से चल रही है। गवर्नमेंट इक्सटिंक्ट हो रही है। विरोधी दल के नेता ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आया कि मुख्य मंत्री का कोई दल भी है,

(इस समय ३ बजकर ५३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी मैजारिटी हाउस में है, या यह दोनों दलों की लियाजां आफिसर बन गयी है ? जो कोई भी दल ऊपरी स्थान में होता है उसका प्रयास यही होता है कि अगर दल बटा हुआ है, मनमुटाव है तो उसको मिटाया जाय। और यह भी कहना चाहती हूं कि प्रजातन्त्र का यह तरीका है कि जिसकी मैजारिटी नहीं है उसको न रखें। अगर मैजारिटी नहीं है, विरोधी दल चाहता है तो आज ही निकाल सकता है। अगर पार्टी में मैजारिटी नहीं है तो पार्टी के जो मेम्बरान समझते हैं कि मैं नाजायज तरीके से बैठी हूं वह भी हमें हटा सकते हैं। रास्ता प्रशस्त है। दोनों रास्तों से कोई कांस्टीट्युशनल तरीका अख्तियार करेंगे तो मैं बहुत सहर्ष जो फैसला होगा मान लूंगी क्योंकि मेरी बहुत पुरानी आदत है, जो फैसला हो उसको मान कर चलना। इसलिये यह बातें कह कर कोई खास हमारे डिबेट की मर्यादा बढ़ती नहीं। माधवप्रसाद जी थोड़े नम्र स्वभाव के हैं। इस दफा उनके भाषण में बहुत कटुता जाहिर हुई। मैं खुद हैरान हो रही थी। मैं समझी कि एलेक्शन के समय में हो सकता है ऐसा ही तरीका हो।

श्री काशीनाथ मिश्र--

नवलकिशोर जी ने जो कहा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वहां भी ऐसा हो सकता है। प्रजातंत्र का तरीका है कि पब्लिक के सामने सरकार की खराबियां रखी जाएं, इसलिये मैंने उसको कोई बुरा नहीं माना। इसके साथ-साथ मेरी यह भी सदैव इच्छा रही है कि सभी सदस्यों से, चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के, सबके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध अच्छे और मधुर रहें, इसलिये मैंने उनको कतई बुरा नहीं समझा। शारदा-भक्तसिंह का जो भाषण मैंने सुना, मैंने देखा कि उनका भाषण कटु रहा। जिन बातों की तरफ वह जिस तरह से अपने भाषण के दौरान गये, न जाते तो अच्छा होता।

दूसरी जो समालोचना हुई वह एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हुई। एसा यहां पर कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन कतई खराब है, उसमें ब्यूरोक्रेसी का बोलबाला है और मिसेज कृपालानी तो उसके नीचे बैठी हैं, आफिसर्स जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, उनकी चल नहीं पाती है। ब्यूरोक्रेसी की जो डिफनीशन है, उसे आप देखें, उसे मैंने पिछले साल भी सुनाया था, आपको याद होगा वह यह है कि इसमें वह सिस्टम है जिसमें आफिशियल अपने डिपार्टमेन्टल चीफ के प्रति रिस्पान्सबेल होते हैं। तो उस समय वह तरीका खत्म हो गया, उसमें यहां के सदस्य ही हाकिम और राजा हैं और उन्हीं के मातहत सब लोग काम करते हैं और आप लोगों के नुमाइन्दे होकर हम लोग शासन चलाते हैं। डेमोक्रेसी में प्रत्येक महत्वपूर्ण बात का अन्तिम निर्णय कैबिनेट के द्वारा होता है, वही अन्तिम निर्णय कर के हर बात का फैसला देती है। मेरे समय में आप देखें कि आजकल कैबिनेट की मीटिंग्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। हम इन्फार्मल मीटिंग्स भी कर लेते हैं जब कोई बड़ा मसला होता है तथा यह भी कह सकते हैं कि कहीं किसी फैसले में एक आध मिनिस्टर की अपनी व्यक्तिगत राय रही होगी, नहीं तो सभी मिनिस्टर्स एक साथ मेरे फैसले पर चलते हैं। फिर ब्योरोक्रेसी को कन्ट्रोल कौन करता है ? जो लीडरशिप है वह कन्ट्रोल करती है। लीडरशिप कामयाब है या नाकामयाब है उसकी जांच का तरीका यह है कि उसके निर्णयों के फैसलों का कहां तक पालन होता है। उनको माना जाता है या नहीं, यदि कन्ट्रोल नहीं होगा तो उनकी बात उनके द्वारा मानी नहीं जायगी। इसका अन्तिम तरीका यह है कि जो उसके द्वारा काम किया गया है, उसमें उसको कामयाबी हुई है या नहीं। मैं नेता विरोधी दल से आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि मैं भी पार्लियामेन्ट में विरोधीदल में बैठकर एक बड़े विरोधी दल का नेतृत्व कर चुकी हूं.....

श्री काशीनाथ मिश्र--

लेकिन उसके योग्य नहीं समझी गयीं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एफेक्टिव क्रिटीसिज्म होनी चाहिये और एफेक्टिव क्रीटीसिज्म तब होती है जब सही जितनी बात है उसको मानकर जो खराबी है उसी तरफ सरकार का ध्यान दिलाया जाए। लेकिन आपने सरकार की आलोचना करने में इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। आपने कहा, पूरी तरह से कहा कि गवर्नमेन्ट बिलकुल बेकार है उसमें स्टिक फैली है। यदि वास्तव में ऐसा होता तो आप यहां पर बैठ भी नहीं सकते थे। मैं कभी विरोधी दल में भी रहने के नाते आपको सलाह देना चाहती हूं कि जो कार्य अच्छा है उसको अच्छा मान कर खराब काम के लिये उसकी आलोचना करें।

अब मैं आ रही हूं उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के विषय पर। उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है, कमजोर है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वीक एकोनामी कैसे-कैसे होती है इसे देखें। पुवर इन्कम, पुवर सेविंग, पुवर इन्वेस्टमेन्ट--पुवर रिटर्न। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये आवश्यक है कि उसमें काफी अच्छा इन्वेस्टमेन्ट किया जाए। डयोरेबेल एसेट्स तैयार किये जाएं--जैसे पावर, सड़क, कम्यूनीकेशन, बिजली, इंडस्ट्रीज और इरीगेशन आदि। यह सब चीजें तैयार करने के बाद ही उसका रेजल्ट आता है। लेकिन एक चीज करने के बाद उसका रेजल्ट नहीं आता है, उसमें समय लगता है, इसमें कई साल लग जाते हैं। हमारी विषम परिस्थितियां रहीं। फर्स्ट और सेकन्ड प्लान में इन्वेस्टमेंट लीजिये, काम लीजिये जितना होना चाहिये था, नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट में हम काफी पीछे रहे। आउटले हमारा बहुत कम है और इन्वेस्टमेंट और आउट्ले की कमी ही नहीं जो इन्वेस्ट किया गया है उसका यूटिलाइजेशन कामयाबी से हुआ या नहीं यह देखना होता है। अगर वह नहीं हुआ तो उससे जो फायदा मिलना चाहिये था वह नहीं मिलेगा। अगर इस अनुपात से देखें तो पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुआ है। असली काम जो पहली पंचवर्षीय योजना के समय होना चाहिये था वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ। चाहे किन्हीं कारणों से हो, चाहे उधर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का ध्यान कम रहा हो चाहे कोई और बात हो, लेकिन मैं यह बताना चाहती हूं कि अब जितना काम हुआ है उसके कारण राज्य परिचालन में कितना अन्तर हुआ है। सन् १९६० के बाद सन् १९६४-६५ में जो पर कैपिटा इन्कम है उसमें १.६ परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई। हमारे स्टेट की जो इन्कम सन् १९६०-६१ में १८.२९ करोड़ थी वह सन् १९६४-६५ में २० करोड़ ५४ लाख ८५ हजार हुई। यानी करीब २ करोड़ २५ लाख की इन्कम में बढ़ोत्तरी हुई। पर कैपिटा इन्कम २२५ से २५७ हुई। यह सही है कि हमारी इकानामी कमजोर है, जो हमें १५ साल पहले करना चाहिये था वह हम नहीं कर पाये, अभी-अभी कर पाये हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ बेहतरी की तरफ कदम हमारा बढ़ा है। में ज्यादा क्लेम नहीं करना चाहती, लेकिन आगे हम लोग हैं चाहे कुछ हैं, यह कहने में मुझे रत्ती भर संकोच नहीं है।

डेवलपिंग इकोनामी को आंकने का एक तरीका और है। जो बैकवर्ड मुल्क हैं, उनमें ज्यादातर जो आमदनी होगी ऐग्रीकल्चर से होगी। हमारे स्टेट में एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो प्रोडक्शन होता था वह ६१ परसेंट है। और ६४-६५ के साल में हमारा सबसे ज्यादा कृषि का उत्पादन हुआ और जिसमें हमें सबसे ज्यादा प्रायरिटी मिली है उसमें ऐग्रीकल्चर से इन्कम ५७.६ परसेंट मिला है। इसका मतलब यह है कि डाइवर्सिफिकेशन जो होता है, जो ऐग्रीकल्चर से इंडस्ट्री के अन्दर जाय, दूसरी सरविसेज में जाय, वह और बातों पर जाने लगा है? जो पर कैपिटा आउटले फर्स्ट और सेकन्ड प्लान्स में २४ और ३४ था वह बढ़कर तीसरी पंचवर्षीय योजना में ६८ रुपया था।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, क्या केवल भूत की ही बात कही जायगी या भविष्य में वह क्या करेंगी, इसके बारे में भी कुछ कहना है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जो कमी है वह भी बता रही हूं लेकिन मैं तो आपका भाषण बड़ी शान्ति से सुनती रही हूं और आप लोग जब इर्रेलेवेंट बोलते हैं तब भी बरदाश्त कर लेती हूं। इसी तरह से आप लोगों को भी थोड़ा बरदाश्त कर लेना चाहिये ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मैं तो यह समझ रहा था कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगी, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आप कर रही हैं क्या वे आपके शान्त स्वाभाव की द्योतक हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैंने कोई ऐसा शब्द तो प्रयोग किया नहीं है, इर्रेलेवेंट शब्द पार्लियामेंटरी हैं । अपोजीशन पार्टीज के लोगों को रिलेवेंट बात कहनी चाहिये और अगर कोई शब्द ऐसा कहा है जिससे माधवप्रसाद जी को कष्ट होता है तो उसको हर समय वापस लिया जा सकता है। तो मैं यह कह रही थी कि फर्स्ट और सेकन्ड प्लान में जितना पैसा हमको मिला, उसको हम खर्च न कर पाये । इस दफा थर्ड प्लान में ५०२ करोड़ रुपये का प्लान था मगर खर्चा ५०७ करोड़ का हो गया, उससे कुछ ज्यादा ही हुआ है । मैं दो चार आंकड़े सरकार की ओर से इसलिये दे रही हूं जिससे जो होलसौल क्रिटिसिज्म हुआ है उसका समाधान हो, अगर वह न हुआ होता तो आपको आंकड़े देकर इतना बोर न करना पड़ता । मुझे मालूम है कि नेता विरोधी दल को बुरा लगा है, लेकिन मैं माफी मांगूंगी क्योंकि यह कहनेकी जरूरत इसीलिये पड़ी है ताकि चीजें साफ हो जायं। अभी पिछले दिनों अधिक परिश्रम करके बहुत सा काम किया गया है और एफिशियेन्सी लाने का प्रयास किया गया है । उस प्रयास का नतीजा यह निकला है कि जिन लोगों ने डिटेल में वर्किंग को देखा है उन्होंने उसकी सराहना की है । आप लोगों को मालूम है कि सेन्टर के फाइनेन्स मिनिस्टर यहां आये थे और दो दिन तक बैठकर एक-एक डिपार्टमेन्ट के साथ बैठकर उन्होंने सारे कागजों को देखा । ८०, ९० अफसरों के साथ बैठकर उन्होंने यहां के काम को देखा है । वे यहां से इस बात की तसल्ली लेकर गये हैं कि उत्तर प्रदेश में अब काम हो रहा है और यह थोड़ा ऊपर उठ रहा है और यह अब प्रगति करने लगा है । सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में उत्तर प्रदेश के खिलाफ जो एक वातावरण बना हुआ था वह कम हुआ है । पहले जब उनके पास जाकर पैसा मांगते थे तो कहते थे कि तुम लोग काम नहीं करते हो, खर्च नहीं करते हो तो तुमको पैसा देना बेकार है । प्लानिंग कमीशन के पास जाकर जब पैसा मांगते थे तो वह इन्कार कर देते थे । वह कह देते थे कि तुमको पैसा देने से कोई फायदा नहीं है । आज वह इस बात को मानते हैं कि यहां पर कुछ प्रगति होने लगी है । हालांकि अभी बहुत-सी कमजोरी है पर फिर भी वह मानते हैं कि हम थोड़ा कदम आगे बढ़ाये हैं । अब वह हमारी बातों को सुनते हैं । उन्होंने बहुत कुछ हमारे प्रान्त के लिये कहा है जिसको मैं यहां पर थोड़ा ही कहना चाहती हूं । प्लानिंग कमीशन में अशोक मेहता जी या और दूसरे जो मेम्बर हैं उनसे अलग-अलग हमने जब डिसकस किया तो उन लोगों ने माना है कि हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा काम किया है । आप लोग हमारी आलोचना करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने हमारे यहां डिटेल वर्किंग को देखा है वह मानते हैं कि हमारे यहां एफिशियेन्सी आई है । आप लोगों को इसके अन्दर जाना चाहिये और इसकी डिटेल को देखना चाहिये । यह सब ये आंकड़े बता रहे हैं । हमने तीसरे प्लान में क्या अचीव किया है, इसको मैं आपके सामने रखना चाहती हूं ।

तीसरे प्लान में आउट ले एग्रीकल्चर के लिये ८५.८३ करोड़ था और हमने जो खर्च किया है वह १०६.२२ करोड़ है । इसी तरह से इर्रीगेशन के लिये जो हमारा आउट ले था वह १६५.०७ करोड़ था और जो उसमें खर्च किया गया है वह है २२०.२२ करोड़ रुपया । इसी तरह से इंडस्ट्रियल माइनिंग के लिये आउट ले २०.१७ करोड़ था, जिसमें हमने खर्च किया है २१.९३ करोड़ । इस प्रकार से यदि इस अचीवमेन्ट का परसेन्टेज

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

देखा जाय तो वह एग्रीकल्चर का १२३ परसेन्ट है। इरीगेशन का परसेन्टेज १३३ है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल माइनिंग का १०८.७ परसेन्ट है। ट्रान्सपोर्ट कम्युनिकेशन का १०५ परसेन्ट है जो हमने अचीव किया है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह आंकड़े मुख्य मंत्री जी किस पुस्तक से पढ़ रहे हैं। हम तो तीसरी प्लान में पीछे हैं तो यह फिगर्स वे कहां से पढ़ रही हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आप चौथे प्लान का मैमोरेन्डम पढ़ लीजिये तो आपको मालूम हो जायगा और ये सारी बातें आपको उसमें मिल जायगी।

यह कहा गया कि सेक्रेटरियेट में काम नहीं होता है। मगर मैं यह कहना चाहती हूं 'क यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के काम में एफिशियेन्सी लाने का प्रयास किया गया है। यहां पर जो एरियर थे उनको बहुत कम किया गया है। यहां पर जो पुरानी फाइलें थीं वह ४५,००० के करीब जमा हो गई थीं। अब मेहनत करने के बाद वह घटकर १२,००० रह गई हैं। कोर्ट केसेज में भी बहुत कमी की गई है। जो तीन महीने से पुराने केसेज थ वह ८,८०० थे लेकिन अब वह ५,९०० रह गये हैं। रेविन्यू केसेज जिनमें मिसलेनियस केसेज भी थे वह १२ हजार थे, लेकिन अब वह घटकर १० हजार रह गये हैं। इसलिये हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि एरियर कम हो। इकानामिक मेजर के लिये आपको मालूम है कि बहुत से काम किये गये हैं। ४.५ करोड़ के आर्डर दिये जा चुके हैं। अब और देखा जा रहा है कि किस तरह से और कमी की जा सकती है। उसको भी हम जल्दी ही करने का प्रयास करेंगे।

नवलकिशोर जी और मेरे कुछ वरिष्ठ साथियों ने कुछ बातें कहीं। उनके बारे में कुछ कहने में बुरा लगता है क्योंकि आपस में फूट है। यह मानने में शर्म लगती है खास कर अपोजीशन के सामने, लेकिन जो बात खुली हुई है वह छिप नहीं सकती। क्रिटिसिज्म जो जायज है, चाहे वह अपनी पार्टी की तरफ से हो अथवा अपोजीशन की तरफ से हो, उसे मानना चाहिये। हम नहीं कहते कि एडमिनिस्ट्रेशन परफेक्ट है। मगर अगर इसीलिये क्रिटिसिज्म है कि अगर वह यहां आकर बैठ जाते तो सब सही होता और वहां बैठे हैं तो सब गलत है, यह बात गलत है।

एग्रीकल्चर के बारे में गेंदासिंह जी ने जबाब दे दिया और उससे मेरा काम हल्का हो गया है, लेकिन एक बात कहना चाहती हूं। बहुत जोर दिया गया इस बात पर कि एग्रीकल्चर के काम में कोआर्डिनेशन नहीं है और इसे खूब क्रिटिसाइज किया गया कि एग्रीकल्चर कमिश्नर के नीचे ही कोआर्डिनेशन होता है। मैं पूछना चाहती हूं कि भारतवर्ष में कौन सा ऐसा स्टेट है कि जहां एक मिनिस्ट्री में सारे डिपार्टमेन्ट हों। इसको केन्द्र में लाने का प्रयास किया गया है, लेकिन वहां एक कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं और उनके जिम्मे अलग-अलग डिपार्टमेन्ट होते हैं। तो एक कैबिनेट रैन्क का मिनिस्टर उनका कोआर्डिनेशन करता रहता है। उत्तर प्रदेश में इसी विषय में काफी छान बीन करके माननीय राव सुभग सिंह जी ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसके अनुसार हमने यहां एक एग्रीकल्चर कमिश्नर बनाया है और उसके नीचे कोआर्डिनेशन किया है और उसके ऊपर मिनिस्टीरियल लेविल पर कोआर्डिनेशन होता है वह कैबिनेट सब कमेटी में होता है जिसकी मैं प्रेसीडेन्ट हूं और वह हर छठें महीने मीट करती है और उसमें हम लोग आवश्यक फैसले लेते हैं। तो किन्हीं कारणों वश एक मिनिस्टर को ही सारे विभाग देना संभव नहीं है। मैं दूसरे स्टेट के मिनिस्टरों से बात कर के आयी हूं, ऐसा कहीं नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि यह एक बड़े सूखे का साल है। १९०१

के बाद ऐसा भयंकर सूखा आज तक नहीं पड़ा। जब इतना भारी सूखा है तो उसके कारण देश में चारों ओर हाहाकार मचना चाहिये था। वह नहीं मचा। उसका मतलब क्या? उसका मतलब यह है कि हम लोगों ने इस सूखे के लिये जितना संभव था, जितना मनुष्य के लिये प्रयास किया जाना संभव है, उतना प्रयास कर के हम इस सूखे का मुकाबला कर रहे हैं। सूखे का कारण बारिश का न होना ही नहीं, नदियों और नहरों में भी पानी की कमी है। आपको मालूम नहीं कि कितनी चिन्ता हम लोग कर रहे हैं कि पानी किस तरह से किसान तक पहुंचाया जाय, कहां ट्यूबवेल बनें, कहां गूलें ठीक की जायं और किस तरह से किसान की मदद की जाय। इस ड्राट के लिये किसानों की मदद करने के लिये अगस्त महीने से ही जो किसानों का लगान है, जो इरिगेशन या तकावी के बकाये हैं वह सब वसूलने बन्द कर दिये गये हैं। १.४ करोड़ रुपया हम लोगों ने डिस्ट्रिब्यूशन के लिये मुसीबतजदा लोगों की मदद के लिये रखा है, फिर सब्सीडाइज्ड फूड ग्रेन्स और फाडर जहां लोगों को जरूरी है, दिया गया है, फ्री ग्रेजिंग दी गयी है। इलाहाबाद, झांसी, बांदा और प्रतापगढ़ में टेस्ट रिलीफ का काम चालू किया गया है और पानी के बारे में मैं थोड़ा-सा हिसाब बतलाऊं कि कैनाल की इरिगेशन जो जनवरी के अन्त में २५ लाख एकड़ थी वह इस साल में २३ लाख एकड़ हो जायगी। कैनाल के अतिरिक्त जो दूसरे साधनों से जमीन सींची जाती थी वह ३० लाख एकड़ थी जो इस साल ३२ लाख एकड़ हो जायगी।

ट्यूबवेल के आंकड़े अभी गेंदासिंह जी ने सुना दिये। ट्यूबवेल की वर्किंग में हम इम्प्रूवमेन्ट कर रहे हैं और उनके वर्किंग आवर्स और एरिया बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त सूखे का मुकाबला करने के लिये कच्चे कुवें ३ लाख के लगभग बनाये गये और इस प्रकार सूखे का मुकाबला किया गया। ड्राट को रोकने के लिये हम आर्टिफिशियल रेन तो कर नहीं सकते, लेकिन जो भी साधन हैं, जितना भी ह्यूमनली पासिबिल है वह हम लोग कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में जैसा कि मुझसे पहले गेंदासिंह जी ने कहा है रबी कैम्पेन, आलू का क्षेत्रफल बढ़ाने और इंटेंसिव कल्टीवेशन के एरिया को बढ़ाने की कोशिश की गयी है। मैं आंकड़े नहीं दूंगी, पूरे दो सफे के हैं, क्योंकि बुरा लगता है।

ट्यूबवेल के बारे में कहा गया कि लोकेशन में गलती रहती है। यह सब कमेटी में बैठकर देखा गया कि बहुत जगह गलती हो गयी है। इसलिये अभी यह फैसला किया गया और इसका हुक्म निकाला गया कि हर डिस्ट्रिक्ट लेविल में ऐग्रिकल्चर आफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर, एग्जिक्युटिव आफिसर हाइडिल और एग्जिक्युटिव आफिसर इरिगेशन एक साथ बैठकर फैसला करेंगे कि कौन ट्यूबवेल कहां लोकेट किया जाय जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। फिर ट्यूबवेल का नया डायरेक्टोरेट बनाकर बड़े-बड़े अफसरों ने दौरा किया। हम भी ट्यूबवेल की जगह सरप्राइज चेक्स करते हैं। इसका नतीजा आपको मालूम होगा कि ७ आपरेटर्स को निकाल दिया गया। उनको बी० डी० ओ० के मातहत कर दिया गया है और गांव वाले भी देख रेख करते हैं। इस तरह से बहुत-सी शिकायतों को दूर करने का प्रयास हुआ। गूल ठीक नहीं है। उनके लिये बड़ी मुश्किल से २५ लाख रुपया निकाल कर के दिया है ठीक करने के लिये। फिर शिकायत है कि ट्यूबवेल की नाली ज्यादा हों। इतनी ज्यादा तो बन नहीं सकतीं। पहले ६ फरलांग किया था, उसको काट करके ४ फरलांग किया है। कहीं-कहीं २ फरलांग और कहीं ६ फरलांग है। टेक्निकल जो इंजीनियर्स हैं, उनसे कहा गया कि स्टडी करें और बतायें, इससे भी कम हो सके तो कम करने की कोशिश करें।

थोड़ी सी बात वर्किंग के बारे में भी बताना चाहती हूं। पिछले साल जहां २१ लाख घंटे ट्यूबवेल चले हैं उसकी जगह इस साल ५५ लाख घंटे चले हैं। जहां पिछले साल ४ लाख एकड़ एरिया उन्होंने इरिगेट किया था, इस साल उसकी जगह १० लाख एकड़ किया है। आखिर गवर्नमेन्ट चलाना यह कोई ऐसा काम नहीं है कि जादू की लकड़ी फेर कर

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

नक्शा बदल दिया जाय। जो कमजोर परिस्थिति है उससे उठने में समय लगता है। २ साल के बच्चे से कहा जाय कि वह २५साल की उम्र के पहलवान से कुश्ती लड़े तो वह नहीं लड़ सकता। उसको समय लगेगा। तो हमारी इकानामी २ साल के बच्चे के समान थी। उसमें पम्प करके ताकत डाली जा रही है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर पावर एक एसेंश्यल और बेसिक चीज है। यह पावर पर डिपेन्ड करता है कि हम कितना इरिगेशन लगा सकते हैं, कितने कुएं बना सकते हैं और कितनी इण्डस्ट्री बढ़ा सकते हैं। बहुत प्रयास इस संबंध में किया गया, सराहनीय काम भी हुआ। अगर काम रुका है तो पैसे की वजह से और पैसा दिलाने के लिये दूसरे डिपार्टमेन्ट से और जहां से भी हम घटा सकते हैं उसको डाइवर्ट किया गया। नतीजा यह हुआ कि यह अचीवमेन्ट हमारे सामने हैं। ये छोटे नहीं हैं, इनको ऐसे ही उड़ाया नहीं जा सकता। सेकेन्ड प्लान के अन्त में हमारे प्रदेश में ३७० मेगावाट पावर थी। थर्ड प्लान में ९१० मेगावाट पैदा हुई। चौथी प्लान में हम आशा करते हैं कि १,६०० मेगावाट हो जायगी। तो थर्ड प्लान में करीब तिगुनी हो गयी, उसके लिये हमें पैसे का प्रबन्ध और अथक परिश्रम करना पड़ा। आपको नहीं मालूम कि पैसे के लिये कितना दिल्ली का दरवाजा हमने टटोला, हमने कहा कि ग्रांट नहीं देते तो लोन दे दीजिये। हमारा मकसद था कि काम न रुकने पाये। आपको जानकर खुशी होगी कि नवम्बर से जनवरी के अन्दर अभी प्रयास करके पावर को थोड़ा सा बढ़ाया है। उसका नतीजा है कि दो ढाई हजार ट्यूबवेल्स को हम इन-रजाइज कर रहे हैं, पंपिंग सेट्स वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में १,६०० एनरजाइज हुए हैं। यह बिना परिश्रम के नहीं हुआ है।

इंडस्ट्री के बारे में डिबेट के वक्त बोलूंगी। मगर इंडस्ट्री में कुछ थोड़ा सा प्रयास किया है। डायरेक्टोरेट को काफी आर्गेनाइज किया गया है। पूरे इंडस्ट्रियल सर्वे की रिपोर्ट बनायी गयी है कि कितनी और किस तरह की इंडस्ट्री यहां बन सकती है। लड़ाई के दिन में एक सेल डायरेक्टोरेट में बनाया गया कि डिफेन्स इंडस्ट्री में हमारी इंडस्ट्री कैसे मदद कर सकती है। इंडस्ट्रियलिस्ट्स बुलाये गये, उनको प्रोटोटाइप दिये गये, कुछ चीज भी बना पाये है।

इंडस्ट्री की प्रगति में जो कुछ भी रुकावटें आयी हैं वह पैसे और कच्चे माल की वजह से आयी हैं। आपको मालूम ही है कि कच्चे माल की शार्टेज सब जगह है। फिर वह प्रांत ज्यादा फायदे में रहते हैं जो कि पहले से ही इंडस्ट्रियलाइज्ड होते हैं, बनिस्बत उन प्रान्तों के जहां उसकी शुरूआत हो रही है। फिर भी मैं दिल्ली जाकर जो कुछ भी संभव होता है, उसके लिये प्रयास करती हूं। इसके आंकड़े मुझे सब मिल नहीं सके, लेकिन काफी सफलता हमने इस ओर भी प्राप्त की है। आपको मैं बता दूं कि सेन्ट्रल सेक्टर का इनवेस्टमेंट इस तरफ बिलकुल नगण्य था, एक दो फर्टीलाइजर की फैक्टरी ही अपने यहां स्थापित हो पायी थीं, किन्तु अब जो प्रामिसेज हमको मिले हैं और जो काम शुरू होने वाला है उससे काफी तरक्की होगी। आगरा, कानपुर, इलाहाबाद आदि में जो और फैक्टरी लगने वाली हैं उससे काफी फायदा होगा। करीब ८० करोड़ के प्रोजेक्ट हम अपने प्रयास से ही यहां लाने में सफल हुये हैं। इसमें भी बड़ा कम्पटीशन चलता है। हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर अपने-अपने यहां के लिये प्रयास करता है। इस क्षेत्र में हमको काफी सफलता मिली है।

माधव प्रसाद जी ने असेम्बली न बुलाने की बात कही। आपको मालूम है कि यहां की गैलरीज बन रही थीं, फिर खाली असेम्बली हाल के ही ठीक होने से तो काम नहीं चल सकता था, स्पीकर साहब के तथा इस तरफ के जो कमरे थे, वे भी बन रहे थे। हमने कोशिश की कि हम जनवरी के पहले हफ्ते में ही असेम्बली को बुला लें, मगर नहीं बुला पाये, बेसिक काम जो खत्म होना था, नहीं हो पाया था। मिडिल आफ जनवरी में भी किस कारण से हम नहीं बुला पाये वह भी आपको मालूम ही है। कभी जनवरी में असेम्बली की बैठक नहीं होती, मगर हमने

बुलाने का प्रयास किया। कुछ मजबूरियां ही ऐसी सामने थीं कि हम नहीं बुला पाये। आप लोगों को सस्पेक्ट करने से ही कुछ फायदा नहीं होगा, ट्रस्ट भी हम पर करना चाहिये।

कहा गया है कि फोर्थ प्लान एक सांप है या बिच्छू है। फोर्थ प्लान का जो मेमोरेन्डम था वह माननीय सदस्यों को अगस्त महीने में ही दे दिया गया था। घर में आप जायेंगे तो वह किताबों में मिलेगा। यहां डिस्कशन कुछ कारणों से नहीं हो पाया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

वह तो अब चेन्ज हो गया है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

फोर्थ प्लान का जो मेमोरेन्डम था, उस पर काउन्सिल में डिस्कशन हुआ था, यहां भी होगा। आप चाहेंगे तो इसी सेशन में भी हो सकेगा। फोर्थ प्लान का जो मेमोरेन्डम बना था उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ा क्योंकि लड़ाई पाकिस्तान से छिड़ी हुई थी। फारेन एक्सचेन्ज की भी दिक्कत सामने थी। इसलिये उन्होंने कहा था कि अभी हम कुछ डेफिनेट नहीं बता सकते। अभी उसको अन्तिम रूप देने के लिये फिर हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। एक साल के लिये एडहाक प्लान बना लिया गया है। जब पूरा प्लान बनेगा तो अवश्य उस पर डिस्कशन करने का आपको मौका मिलेगा, चाहें आप इसी सेशन में कर लें। बिना आप लोगों की राय के तो हम प्लान को इम्लीमेंट ही नहीं कर सकते।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था और बाहर भी कहा था कि फोर्थ फाइव इयर प्लान वे डिस्कश नहीं करेंगी तथा विरोधी दल के काफी लोगों को बुलाकर एक ईयर के प्रारूप की स्वीकृति देंगी।

श्री अध्यक्ष—

अगर मुख्य मंत्री नहीं बैठती हैं तो आपको नहीं बोलना चाहिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

फोर्थ फाइव ईयर का प्लान का काम वित्तीय परेशानियों के कारण रुका हुआ है। जितने भी प्लान बने हैं वे उसी जगह फ्रोजन पड़े हुये हैं। उन पर दोबारा सोच विचार किया जायगा तभी आप डिस्कश कर सकेंगे। फिर मेडिकल डिपार्टमेंट की बातें बताई गई हैं। मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहती हूं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि मेडिकल डिपार्टमेंट के लिये जितना पैसा खर्च करना चाहिये, उतना हम नहीं कर पाये। पैसे की कमी के बगैर हाल ही में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हमने फर्स्ट प्लान में ४.७० लाख रुपया, सेकेन्ड प्लान में ९.८३ लाख रुपया और थर्ड प्लान में २,४०० लाख रुपया लगाया है। यह जरूर है कि डाक्टरों की कमी है। उसकी कमी के वास्ते नये-नये मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं।

मुझे महापालिकाओं के बारे में कुछ कहना नहीं है क्योंकि उस विषय पर अली जहीर साहब ने बोल दिया है हिन्दी के बारे में मैं कहना चाहती हूं। क्योंकि इसके विषय में मुझे सुनकर कुछ दुःख हुआ है। यह सही है कि मैं बंगाली हूं मैंने यह भी कभी नहीं छिपाया कि मेरी मातृभाषा बंगाली है। मुझे बहुत गर्व है इस पर। हरएक बंगाली अपनी मातृभाषा पर नाज रखता है और मैं भी रखती हूं। हिन्दी मैं अपनी राष्ट्रभाषा मानती हूं। उत्तर प्रदेश में आने के पहिले मैंने हिन्दी के लिये काफी लड़ाई की और हिन्दी को कान्स्टीटुएन्ट असेम्बली में ले आई और अब भी जितना संभव हो सकता है उतना मैं हिन्दी में काम करने का प्रयास करती हूं। मैं बंगाली हो कर भी हिन्दी में बोलने को तैयार हूं लेकिन आप लोग नहीं। मैंने खुद देखा कि बहुत हिन्दी नोइंग लोग हिन्दी में काम करने को तैयार नहीं। इस वक्त भानु प्रतापसिंह जी बैठे नहीं हैं। अभी-अभी जो कृषक समाज की मीटिंग हुई थी, आल इंडिया कन्वेन्शन, उसमें मैं जानकर

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

हिन्दी में बोली। मेरे हिन्दी में बोलने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी समझ में नहीं आता तो भी म हिन्दी में बोली गो कि अंग्रेजी में बोलना मुझे बड़ा आसान होता। मैं आपकी रिप्रेजेन्टेटिव हूं इसलिये मेरा धर्म है कि मैं हिन्दी में बोलूं। जब आप नाजायज तौर तरीके इस्तेमाल करते हो तो हमें दुःख होता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, हमारा कहना यह है कि जब से माननीय सुचेता जी मुख्य मंत्री बनी हैं तब से अंग्रेजी बढ़ी है उत्तर प्रदेश के अन्दर और जिलों में सारे सर्कुलर्स अंग्रेजी भाषा में जाते हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जो-जो काम हुये हैं हिन्दी में वह भी मैं बता देती हूं। सारे सरकार के जितने फार्म हैं, पर्चे हैं वे हिन्दी में बनते हैं। अंग्रेजी टाइप राइटर खरीदना बन्द हो गया है। यू० पी० का गजट हिन्दी में होता है। पुराने कानूनों को हिन्दी में करने के लिये स्पेशल आफिसर रक्खे गये हैं जो दफ्तरों को भी विजिट करते हैं। हिन्दी को बढ़ाने के लिये गवर्नमेंट इम्पलाइज जो हिन्दी में काम करते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। हाईकोर्ट को भी सरकार ने इजाजत दी है कि वह हिन्दी में काम करे। आप लोगों के दिल में हिन्दी के लिये प्रेम हो तो हिन्दी भाषा रुक नहीं सकती। मगर मुझे बुरा मत मानियेगा। बहुत जगह मैं जानती हूं .....

श्री काशीनाथ मिश्र—

कितने अंग्रेजी के टाइपराइटर्स खरीदे गये और कितने सरकारी कर्मचारी डिग्रेड किये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं बता दूंगी।

श्री अध्यक्ष—

अगर वे नहीं बैठतीं तो आप सवाल नहीं कर सकते हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसका मैं उदाहरण देना चाहती हूं। उदाहरण इसलिये देना चाहती हूं कि भाषा से जो प्रेम रखते हैं उनको खुद चाहिये कि वे ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे भाषा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो और भाषा की प्रगति हो। जब मैं जाती हूं यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में तब चूंकि मैं हिन्दी प्रान्त की मुख्य मंत्री होती हूं इसलिये मैं हिन्दी में बोलती हूं। चाहे मेरी ग्रामेटिकल गल्तियां होती हों। उनके होने के बावजूद भी मैं हिन्दी में बोलती हूं यद्यपि शिक्षित वर्ग के बीच गलत भाषा हिन्दी बोलने में अच्छा नहीं मालूम होता क्योंकि मैं उस समय शिक्षित वर्ग में ही बोलती हूं। मगर वहां लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, उन लोगों को हिन्दी मे बोलने में तकलीफ होती है जब कि वे बंगाली नहीं होते उनकी मातृभाषा हिन्दी होती है। पब्लिक स्कूलों की बड़ी चर्चा है। लेकिन हरएक आदमी जिसकी अवस्था अच्छी है वह अपने लड़के और लड़कियों को पब्लिक स्कूलों में भेजता है और घर पर बच्चों से डैडी, मम्मी कहलाता है और इसको अच्छा समझता है। क्या वह यह वातावरण है जिस से आप हिन्दी लायेंगे ? अकेले मुख्य मंत्री के प्रयास से हिन्दी नहीं हो जायगी उसके लिये आप सबको वातावरण पैदा करना होगा, हिन्दी के प्रति आपको चेष्टा करनी होगी, उसके लिये लोगों में श्रद्धा उत्पन्न करनी होगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि लोगों की ओर से ऐसा प्रयास नहीं किया गया है।

श्री बसंतसिंह (जिला बिजनौर)—

यह वृत्ति सरकार ही तो पैदा करती है। अगर सरकार की वृत्ति में, उसके रवैये में तब्दीली हो जाय तो जनता भी बदल जाय।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मेरे तो बाल-बच्चे हैं नहीं। उनको मैं अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ाती।

श्री काशीनाथ मिश्र—

फिर इन मम्मो, डैडी वाले स्कूलों को तुड़वा दीजिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

भूमि भवन कर का जिक्र किया गया कि उसको २५ प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है। यह आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो गयी है २५ प्रतिशत बढ़ाने की आप लोगों से इजाजत जरूर ली गयी है लेकिन एक्चुअल जो बढ़ा है उसको मैंने खुद अपने हाथ से काट दिया है। २० प्रतिशत बढ़ा है उन बिजनेस प्रेमिजेज पर जिन पर रेंट कंट्रोल ऐक्ट एप्लाई करता है और १० परसेन्ट बढ़ा है उन बिजनेस एकोमोडेशन्स पर जिन पर यह ऐक्ट एप्लाई नहीं करता। अब रही वह एकोमोडेशन्स जिन पर ४७ का रेंट कंट्रोल ऐक्ट एप्लाई करता है, उन पर बढ़ाया गया है साढ़े बारह परसेन्ट, बाकी पर जो ५ परसेन्ट भूमि भवन कर लगाया गया है, जो आज भी लागू है, वही रहेगा।

सरचार्ज के बारे में भी कहा गया कि इमर्जेन्सी खत्म हो गयी है इसलिये उसको उठा लिया जाय। लड़ाई बन्द जरूर हो गयी है, लेकिन क्या युद्ध के खर्चे में कुछ कमी आयी है। उसके कारण आप लोगों से छिपे नहीं हैं; क्या उनमें सुधार हुआ है? इस मुल्क को तैयार रहना है। उसकी तैयारी की निगाह से हम ढील नहीं कर सकते। मुल्क को हमें हर समय तैयार रखना है। अगर हम तैयार नहीं रखेंगे तो गलत बात होगी। क्या आप लोगों ने आज नहीं पढ़ा कि अयूब साहब ने क्या कहा है। और मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आपने आश्वासन दिया था कि जब पाकिस्तान की लड़ाई समाप्त हो जायगी तो इसको वापस ले लिया जायगा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आज ही आपने अयूब साहब का स्टेटमेंट पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर हमारा है। अब जो मौजदा स्थिति है, उसमें कितनी ड्यूरेबिलिटी है या कितनी अनड्यूरेबिलिटी है, इन सब बातों को हमें देखना होगा।

जो पुलिस का महकमा है उसको तो हमेशा ही पत्थरों के सिवाय और कुछ मिलता ही नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत कम लोग भलाई दे पाते हैं। यह ठीक है कि उसमें बहुत सी कमियां हैं, कुछ उसकी परम्परा चली आती है लेकिन उसके कुछ अचीवमेंट्स भी हैं, उन पर हमें ध्यान देना चाहिये। जैसे कुम्भ के मेले का इन्तजाम है। जो भी इन्तजाम वहां किया गया, उसकी प्रशंसा हमें करनी ही होगी। ७० लाख आदमियों ने नहान किया और न एक ऐक्सीडेन्ट हुआ, न एक बीमार हुआ, न एक आदमी भूखा रहा। बहुत सफल इन्तजाम रहा। कुम्भ के ही दिनों में माननीय लाल बहादुर जी की अस्थियां भी लाई गयीं तो और भी परेशानी बढ़ गयी लेकिन सारा काम सुचारुरूप से संपादित हो गया। यह सराहना की बात है।

इसके अलावा हमारे पी० ए० सी० के जवानों की भी कोई प्रशंसा नहीं की गयी। मिलिटरी के जवानों की तारीफ हुई, लेकिन इन लोगों की बात किसी ने नहीं कही। हमारी पी० ए० सी० के लोग अधिकतर सेकिंड लाइन आफ डिफेन्स में रहे लेकिन कहीं-कहीं फर्स्ट लाइन आफ डिफेन्स का भी काम इन्होंने किया। बहुत से लोग मारे भी गये और बहुत से लोगों को चोटें भी आयीं। इन लोगों को काफी कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन उन लोगों की तारीफ में

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

किसी न एक लफ्ज भी नहीं कहा । इसलिये यह नहीं होना चाहिये कि सारी गवर्नमेंट की इनएफीशियेन्सी को ही गिना दिया जाय, उसकी जो एफीशियेंसी हैं उसको भी स्वीकार करना चाहिये । तो साथ ही जो एफीशियेंसी है उसे नहीं भूलना चाहिये । दोनों ओर आलोचना करते समय दुरबीन लगाना चाहिये । इतना ही मुझे कहना था ज्यादा नहीं कहना है । फिर भी जो कुछ आलोचना आप लोगों ने की वह मुझे शिरोधार्य है । वैसे तो जो भी इस कुर्सी पर बैठता है उसको सुनना पड़ता है क्योंकि यह तो कांटों का ताज है, मान अपमान की सभी बातें यहां रह कर सुननी होती है और इस सबको सुनने के लिये जो यहां रहे उसको थिन स्किन होना चाहिये । मैंने कोशिश की है कि मेरी थिन स्किन रहे और मैंने बराबर कोशिश की है कि वह थिन रहे । लेकिन जो जिम्मेदारी मुझे दी गयी है वह बहुत ज्यादा है और मेरे कंधे उसके लिये कमजोर हैं लेकिन जो कुछ भी मैं कर सकती थी मैंने इन दो सालों में करने का प्रयास किया है । मैं यह जरूर कहूंगी कि हमारे प्रदेश पर यहां और बाहर काफी तिरस्कार और लांछन है । हमने उसको दूर करने की कोशिश की है और करेंगे । मैं भी चाहती हूं कि यहां समालोचना हो लेकिन जो जायज हो वह हो, नाजायज न हो, वह सेल्फ डिफीटिंग नहीं होनी चाहिये । आपको चाहिये कि जो स्टेट का काम करते हैं उनको दिलासा दिलायें, उनको इम्पीटस दें, उनको एनरजाइज करें, प्रोत्साहन दें न कि यह कहे जायं हर वक्त कि तुम तो निकम्मे हो, नालायक हो इससे काम नहीं चलता । आपका कोई कम दिमाग वाला बच्चा हो और उसे हर वक्त आप कहें जायं कि तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, सब काम जो तुम करते हो खराब ही करते हो तो जो थोड़ा बहुत होशियार बच्चा होगा वह भी खराब हो जाता है । जो कुछ मैंने कहा और बताया उसको देखते हुये यह कहना उचित नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टिन्किन्ग, ऐसी बात नहीं हो सकती ।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि वह सदैव अपने विचारों में नम्रता रखती हैं, लेकिन वह आज कुछ कड़े शब्द कह गईं और कड़ी क्यों हुईं । वही जैसे—

"अतिशय रगड़ करें जो कोई, अनल प्रकट चन्दन ते होई ।"

कहा है, प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन वह एक महिला हैं और उनको मुख्य मंत्री बनाया गया है यह बहुत अच्छी बात है। मैं उनको भी पुरुषों के बराबर ही मानता हूं, न हमें इसमें कोई एतराज है । मैं उनका बड़ा आदर करता हूं और कुछ कहने से पहले मेरा मस्तक उनके सामने नत हो जाता है । लेकिन वह नाराज हो जाती हैं तो हमें भी बहुत डर के बोलना पड़ता है कि कहीं कोई ऐसी भाषा न निकल जाय जो उचित न हो और उसमें सोचने में भी समय लग जाता है । एक बात मुझे उनकी याद आती है, उन्होंने कहा कि माधो ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टिन्किन्ग । मुझे एक बात याद आ गई एक शहर में मैं जा रहा था और वहां पर दिन में जलूस निकल रहा था और लोग मशाल लिये जा रहे थे । लोगों ने पूछा कि दिन में मशाल लिये क्यों जा रहे हो ? मैंने कहा कि सरकार को दिन में भी दिखाई नहीं देता और अगर सरकार को दिन में भी दिखाई नहीं देता तो और कौन-सा तरीका है उसे रास्ता दिखाने का । उन्होंने कहा कि मैं भी विरोधी दल में थीं और अब यहां चली आयी हूं । मैं जानता हूं कि यह बड़ा मुश्किल काम है कोई स्वार्थ साधन इस में नहीं होता, हजारों लोग नाराज रहते हैं, किसी भाई-भतीजे का भला यहां रह कर नहीं किया जा सकता और न आपके पास ही जाने की इधर से किसी की हिम्मत होती है क्योंकि आपके यहां इधर के सदस्यों का कोई मूल्य नहीं है । आप विरोधी दल के प्रति अपने कर्तव्य को अभी तक नहीं निभा सकी हैं जो कर्तव्य एक मुख्य मंत्री का होता है । मैं यह आपके मुख्य मंत्री पद की हैसियत से ही कर कह रहा हूं मेरी कोई शिकायत आपके व्यक्तित्व या सुचेता जी से नहीं है, न आप पर कोई लांछन है । आपके आगे तो मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नतमस्तक हूं और आपका बहुत आदर मेरे हृदय में है। लेकिन ७ करोड़ जनता का जो जनजीवन आपके हाथ में है, उस हैसियत से जो मेरा विचार है वह मैंने रखा। जो आपके बीच में ग्रुपिज्म है वह सब बातें मैं अब दोहराऊंगा नहीं, जो कुछ हम इधर से कहते हैं वह आप मानने को तैयार नहीं, आपके घर के उधर के लोग जो कहते हैं वह भी आप करने को तैयार नहीं। हमारा तो वही हाल है कि—

"रहिमन अंसुआ नयन ढरि, जिय दुख प्रगट करेई,
जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कहि देई।"

हम किस तरह से आप से कहें और आपको समझायें कि आज प्रदेश की क्या हालत है, आज गली-गली में, जनता में शिक्षक वर्ग की हालत क्या है, किस हृदय से आपको उनके दुख को समझायें। ज्यादा कहते हैं तो डर लगता है कि मुख्य मंत्री जी नाराज न हो जायं, लेकिन फिर भी हमें आशा है कि जिस समय आप ठंडे दिल से सोचेंगी हमारी बातों पर तो आप स्वयं कहेंगी कि विरोधी दल के नेता ने सही ही कहा था और फिर आपका जो क्रोध हमारे प्रति है वह हृदय से स्वयं निकल जायगा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मुझे कोई क्रोध नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्री एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टिन्किन्ग के विषय में आपने कहा कि.... श्रीमन्, हमें दस या पंद्रह मिनट देंगे या कितना समय देंगे हमें नहीं मालूम है...

श्री अध्यक्ष—

आपको मैं १० और १५ मिनट के बीच में ही समय दे सकूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता को माननीय मुख्य मंत्री की बातों का उत्तर देना है और जो माननीय सदस्यों ने कहा है, उसके सम्बन्ध में भी कुछ कहना है। अतः मैं समझता हूं कि १० मिनट का समय बहुत कम है। कुछ और समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मुझे विश्वास है कि माननीय माधवप्रसाद जी अपना भाषण १० मिनट में ही समाप्त कर देंगे। सदन का समय १५ मिनट बढ़ाया जाता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैंने डाक्टर कैलाश नाथ काटजू जी का आर्टिकल पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोग करप्शन-करप्शन चिल्लाते हैं। वास्तव में इतना करप्शन है नहीं। उस बात पर मैं गौर न करके खुद मान लेता हूं कि यह रोग असाध्य है। श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि मैं जिनका रिप्रेजेन्टेटिव हूं वे हैं किसान, मजदूर, व्यापारी, अध्यापक और अस्पताल के कर्मचारी। हर एक के मैं सम्पर्क में आता हूं। आप तो इतनी ऊंची जगह पहुंच गयी हैं कि आप कैसे उनके दुःख और दर्द को जान सकती हैं और कैसे डाक्टर कैलाश नाथ काटजू जान सकते हैं। पर अगर आप प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहती हैं तो आपको बड़ा ही स्वच्छ, एफिशियेन्ट और निर्मल एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आज हम क्या देखते हैं? महोदया, समझ जाइये कि डेमोक्रेसी कब्र इस भारत में खुद रही है। आज सबका विश्वास हिल रहा है। क्या यह प्रजातंत्र है? गोविन्द सहाय जी ने कहा कि हमारे ग्रुप की रक्षा कीजिये। विरोधी दल तो जहन्नुम में जायें। पुलिस विभाग में अगर हम जाव तो वहां का हाल अत्यन्त निराला है। सीतापुर में कोई आदमी जिन्दा था, लेकिन मर्डर का मुकदमा चला दिया। इस सम्बन्ध में एक जुमला कह देना काफी

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

है कि हमारे पुलिस मंत्री इस्तीफा दें। अगर मैंने कह दिया कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन इज स्टिंकिंग तो बहुत बुरा माना गया। हास्पिटल में जाते हैं, वहां क्या देखते हैं कि इस से भी बुरा हाल है। एक आदमी एक दिन वहां जा रहा था उसके पैर में एक फोड़ा था। डाक्टर के नाम मैंने चिट्ठी भी लिख दी थी परन्तु जब वह डाक्टर के पास गया तो डाक्टर साहब ने उससे १० पैसे मांगे। दुर्भाग्य से उसके पास १० पैसे भी नहीं थे। वह वैसे ही लौट आया और जब वह रास्ते में मुझे मिला तो मैंने उसे १० पैसे दिये। यह हालत है आपके शासन की और जब मैं कह देता हूं कि आपका ऐडमिनिस्ट्रेशन इज स्टिंकिंग तो उसे बहुत बुरा कहा जाता है। अगर मैं स्वेडिया को स्वेड कह देता हूं तो माननीया मुख्य मंत्री जी को बुरा लगता है। मुझे जो कुछ कहना होता है वह इस प्रदेश की जनता के हित में कहना होता है। मैं अपने स्वार्थ के लिये अगर माननीया मुख्य मंत्री जी के पास जाऊं तो वे आउट राइट इसको रिजेक्ट कर दें। लेकिन मैं अपने कर्तव्य पथ से कैसे अलग जाऊं? हम लोग जब कचहरियों में जाते हैं तो पैसा लौटकर नहीं ला पाते। सरकार के सचिवालय में भी चपरासी तक ६-६ महीने फाइल दबा देते हैं। क्या पूछिये कि दर्द कहां है एक जगह अगर दर्द हो तो बतायें। आपको चाहिये कि आप इस प्रदेश का शासन निर्मल, स्वच्छ और एफिशियेन्ट बनाने का प्रयास करें। आप मुख्य मंत्री हैं, आपके हाथ में शासन है, आपको गरीबों का ध्यान रखना होगा।

आज हमारे काश्तकार कहते हैं कि हमें एजूकेशन नहीं मिलती है, शिक्षा नहीं मिलती, हमारे जान माल की रक्षा नहीं है। आज का गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर और अमीर हो रहा है। जो वहां पर सुनते हैं उसे आपके सामने कहेंगे, यही मुख्य ध्येय ले कर आपके सामने आये हैं। क्या आज मंत्रि मण्डल में मेल है? कोई हृदय से कह दे कि प्रेम से मिलते हैं। किसी ने कहा कि ग्रुपों में मेल हो गया है तो मैंने उस समय यह कहा कि यह तो खीरे का सा प्रेम है। बड़ा बुरा किया उस मंत्रि मंडल ने किसी ने सच कह दिया तो फिर क्या करना चाहिये। वही पुराना किस्सा याद आया। किसी बच्चे ने कहा है कि इस पार प्रिये तुम हो, मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। जब तक हमारे हाथ में शासन है तब तक शासन कर लो। दूसरे समय कौन मुख्य मंत्री हो या कौन मंत्री होने वाला है पता नहीं। आज जितने मंत्री हैं उनके ऊपर लांछन लगे हुए हैं। वह कहां गई भावना कि अगर पब्लिक का एक आदमी भी कहता है कि हमारा राजनीतिक जीवन कलंकित है, मैं व्यक्तिगत जीवन पर नहीं जाता, लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेटिव जीवन के बारे में अगर जनता कहती है तो बहुमत के बल पर मत नाचिये। अगर ईश्वर में विश्वास करने वाला है तो कोई चीज है जो ऐसी फूट कर निकलेगी जिसको आप रोक नहीं सकते। सारे देश में क्रान्ति हो जायगी। मैं कहता हूं कि ऐसे मौके पर मैं पीछे नहीं रहूंगा। आज जनता की कराह को ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले और लम्बी चौड़ी कारों में चलने वाले यह कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि श्री जे० के० टंडन को किसी जांच के लिए मुकर्रर किया गया, जो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और दूसरे ही दिन उनको फिएट गाड़ी दी गई। किस से कहूं, कितने करप्शन की बातें हैं। तो जब मैं कहता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन इज स्टिंकिंग, मैंने उपयुक्त शब्द नहीं पाया, मैंने ज्यादा जोरदार शब्द नहीं पाया, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी मानिये, मेरा आप के प्रति कोई अनादर नहीं है, मगर अगर जनता आपके या मंत्रियों के सार्वजनिक जीवन के बारे में कुछ कहती है तो आप को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिये। अगर आपने ऐसा किया तो आपका व्यक्तित्व चमकेगा और इतना चमकेगा जितना कभी नहीं चमकेगा। किसी प्रान्त में इतना रद्दी ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा जितना इस प्रदेश में है। मुख्य मंत्री की विवशता है कह दिया डीजोरे, डीफैक्टो। अगर उसी आधार पर मैंने कह दिया तो कौन सी बेजा बात कही। न ही मैंने कोई ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो अनादर सूचक है। क्या है, कामराज जी, शास्त्री जी और न मालूम कितने चले गये, न मालूम कितने चले जायंगे। पर यहां का मसला हल नहीं होगा। जब मैं कहता हूं कि भाई घर में लड़ो तो माननीय नवलकिशोर जी कहते हैं तुम घर में झांकते हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, अगर उसमें कहीं भी कमी देखूंगा तो अवश्य कहूंगा, कहे बगैर नहीं चूकूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हां, जवान मेरी खींच लीजिये अगर मैं आपके व्यक्तिगत

जीवन या बातों पर हमला करूं। अब तो श्रीमन्, यहां तक आ गई, अबव दी हैड नहीं रहा जाता, और अगर मैं नहीं कहूंगा तो मैं समझता हूं कि मैं अपने कर्तव्य से पीछे जाता हूं।

दूसरी बात है डेमोक्रेसी खतरे में पड़ गई है। यह भी एक कड़ी है उस स्टिंकिंग ऐडमिनिस्ट्रेशन की। मुझे एक बात याद आयी कि मैं तो नहीं पीता हूं, मैंने नहीं पी थी, साकी ने पिला दी। माननीय मुख्य मंत्री पहले विरोधी दल में थी, लेकिन जब से वह उधर चली गई हैं तो दिल की बात नहीं कहतीं। आज उधर हैं उसका यही एक अर्थ निकला कि साकी ने पिला दी थी, मैं तो नहीं पीता हूं, मैंने नहीं पी थी। आप किस लिए हैं? आप का फर्स्ट प्रोग्राम है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना।

अब यह कहते हैं कि बदनीयती नहीं थी। मैं कहता हूं कि अगर भगवान की तरह से आप लोगों के ऊपर भी कोई होता तो दो काम करता। अगर उसने कारपोरेशन को डिसमिस किया तो इस मिनिस्ट्री को पहले डिसमिस करता। वहां १०, २० या ५० लाख की बात होगी तो यहां २०० करोड़ की होगी। हमारे यहां लंगड़ी पढ़ायी जाती है, तो इनको पहले डिजाल्व करना चाहिए। माननीय अली जहीर जी चले गए, वह जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, उनके जमाने में ऐडमिनिस्ट्रेटर ने ३० लाख रु० का कर्जा किया, ३० लाख रु० का मिसयूज किया, लेकिन फिर भी चुनाव जीत नहीं पाये। आर्डिनेंस के सम्बन्ध में क्या बतायें, लीगल बातों को छोड़िये, अगर जनसंघ का वहां बहुमत रहा, मेरा मतलब कारपोरेशन से है, और जनता हमसे नाराज थी तो उस का यह तरीका तो नहीं था जो सरकार ने अपनाया। अगर जनता हमको बेईमान समझती है तो दुबारा चुनाव आप कराते जनता अच्छे प्रतिनिधि चुन कर भेजती लेकिन वैसा करने की सरकार की हिम्मत नहीं है। और दो वर्ष तक इंतजार करेंगे इसलिये कि हम जीत जायं। आपने दफा ८४ पढ़ी है कि खाली १ साल तक ऐक्सटेंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उसी वक्त आपको क्यों ज्ञान नहीं हुआ या इसमें आप संशोधन करते। तीन रोज बाकी थे, कोई जरूरी नहीं था कि ऐड्रेस पहले होता। खाली इतना अमेंडमेंट करते कि दो महीने मुकर्रर किये। लेकिन इसका कोई ख्याल नहीं। काम बड़ा महान् है, मुख्य मंत्री जी वहां चली गईं। विरोधी ही खाली चिल्लायेगा, दूसरा कोई नहीं चिल्लायेगा। और उसको सुना नहीं जायगा। दो वर्ष कर दीजिये, चार वर्ष कर दीजिये। डेमोक्रेसी जाना है और इसीलिये मैंने कहा कि "उस पार न जाने क्या होगा"। तो हमारे अली जहीर साहब आकर चले गये। ५७ में कारपोरेशन सरप्लस में था आप तशरीफ ले गये तो कर्ज छोड़ गये।

एक बात और कह दूं प्लान के बारे में। एक बात मैंने बड़ी चतुराई की देखी मुख्य मंत्री में। जब देखा कि हमारा मामला लड़खड़ा रहा है आर्ग्युमेंट में तो बड़ी सेंटीमेंटल हो जाती हैं और हमारे भाई बिकल हो जाते हैं जिससे असलियत छिप जाती है। प्लानिंग का जहां तक सवाल है आपके अपने आदमी श्रीमन्नारायण ही कहते हैं कि आंकड़ों में विश्वास मत करो, सब गलत हैं। एक देहाती को लाकर अगर खड़ा कर दूं, उससे ही जानकारी हो जायगी १८ वर्ष का प्लान क्या है? एक देहाती ने कहा कि गेहूं नहीं मिलता है, ब्राह्मणों को खिलाना है। मैंने कहा "जय कांग्रेस" का जाप करो। जैसा बैजनाथ सिंह जी ने कहा, मैं आपको कह नहीं सकता कि आप यू० पी० की नहीं हैं और दूसरे इलाके की हैं। मैं वहां का विद्यार्थी रह चुका हूं। मैं तो इसे मानता हूं कि यहां का कण और बंगाल का कण दोनों एक हैं। यदि किसी विषय पर अत्यन्त प्रेम होने से आपसे कोई उलझ जाय तो इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि आप मुझ से अच्छी हिन्दी जानती हैं और कभी-कभी संस्कृताइज्ड हिन्दी बोलने लगती हैं, लेकिन आपने दो मिनट इस बात का प्रयास नहीं किया कि अपना नाम शुद्ध हिन्दी में लिखें और अगर हम कह दें तो क्या गलत कहते हैं कि हिन्दी के ऊपर आपकी अकृपा है। मैंने हिन्दी के बारे में आप को बधाई दी थी, लेकिन सेक्रेटेरियट के बारे में मैं अपनी ओपीनियन चेंज करने के लिये तैयार नहीं हूं। चीफ मिनिस्टर साहब विश्वास मानें, दो तीन दफा मैंने चीफ सेक्रेटरी को टेलीफोन किया, लेकिन उनको दर्शन देने का मौका नहीं मिला। उनके यहां से कहा गया कि नहीं हैं, लेकिन जब हमारे सेक्रेटरी ने कहा कि नेता विरोधी दल बोलना चाहते हैं तो कहा, हां हैं। तो चीफ सेक्रेटरी से यहां नेता विरोधी दल नहीं मिल सकता, यह क्या तरीका है? मैं छोटी बात

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

नहीं कहना चाहता। घंटे भर इन्तजार कीजिये तो मिलें। मैं उनको इस जुर्म से बरी नहीं कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

सवा पांच बजे तक इसे खत्म होना है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, ताशकंद के लिये मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीया मुख्य मंत्री ने स्वयं कहा है कि यह बड़ा हाइली एक्सप्लोजिव है। जो सच्चाई है वह बाहर निकल आई। भूमि भवन कर और सरचार्ज लगाने के अनेक तरीके हो सकते हैं। इन गरीबों पर लगाने की क्या जरूरत है जिनकी यह दुर्गति है कि उनको ठीक से भोजन भी नहीं मिल पाता है। सिवाय दम्भ के और कोई कारण नहीं मालूम होता है। इन कारणों से जो कटु शब्द मैंने इस्तेमाल किये वह इसलिये किये कि जिससे वे नाराज भले ही हो जायं, लेकिन अपने प्रशासन को सुधारने का प्रयास अवश्य करेंगी। एक बात मैं भूल गया वह यह कि मैं अपनी मिलिटरी और पी० ए० सी० को धन्यवाद देना चाहता हूं।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था, उसके ऊपर तीन रोज तक बहस चलती रही है। उसमें माननीय सदस्यों ने भाग लिया और भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से उस पर चर्चा की गई। सब को सुनने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिन विषयों की चर्चा की गई, उसके औचित्य को सभी ने स्वीकार किया और सभी मानते हैं कि जितनी बातें कही गई हैं वे सभी ठीक हैं। लेकिन शिकायत इस बात की की गई है कि बहुत से विषय ऐसे थे, जिनकी चर्चा होनी चाहिये थी और नहीं हुई। इसलिये करीब १५० संशोधन प्रस्तुत किये गये, इनमें से बहुत से तो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे और कुछ ऐसे थे जिनका संबंध स्थानीय शिकायतों से था। जहां तक स्थानीय शिकायतों का संबंध है वे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में नहीं कहे जा सकते हैं। उनको बजट के समय कहा जा सकता है। इसलिये इनको छोड़ने तथा दुहराई हुई बातों को छोड़ कर यदि देखा जाये तो केवल १५--१६ विषय रह जाते हैं। जैसे खाद्यान्न का संकट, कृषि नीति, महंगाई, वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट का अमल न होना, अपव्यय, भ्रष्टाचार, ट्यूबवेल्स का प्रबन्ध और पानी तथा बिजली का प्रबन्ध। इसके अलावा डाक्टरों की कमी, भूमि भवन कर और कांग्रेस की दलबन्दी आदि। इनमें सभी संशोधनों का समावेश हो जाता है। माननीया मुख्य मंत्री, कृषि मंत्री, न्याय मंत्री और रामायणराय जी ने बहुत कुछ मेरे काम को हल्का कर दिया है। उदाहरण के तौर पर जहां तक अध्यादेश का संबंध था, माननीय अली जहीर साहब ने भवन के सामने विस्तृत रूप से रख दिया कि किन परिस्थितियों में इसको जारी करना पड़ा और आपने भी अपनी व्यवस्था देकर उसके औचित्य को स्थापित किया है। कांग्रेस की दलबन्दी के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हमारे यहां कोई दलबन्दी नहीं है और न हमारे यहां २-३ ग्रुप हैं और न उनका कोई प्रभाव शासन पर है और चैलेंज दिया कि अगर आपको यह हो कि उनको बहुमत प्राप्त नहीं है तो उसकी परीक्षा कर सकते हैं। परीक्षा करने पर पायेंगे कि कांग्रेस के सब लोग उनके पीछे हैं। यह बात दूसरी है कि विचारों के मतभेद आपसी हो सकते हैं जो आपके अन्दर भी हैं, हमारे अन्दर भी हैं। मैंने देखा है कि आपके जनसंघ के अन्दर भी मुजफ्फरनगर और देहरादून में आपसी मतभेद हैं। यह तो मैंने आज ही अखबारों में पढ़ा है। लेकिन इतना आप जान लें कि जितने भी कांग्रेसी सदस्य हैं उधर बैठे हुए हैं उन सबकी सहानुभूति और सब का सहयोग माननीया मुख्य मंत्री को प्राप्त है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, सरकार की ओर से बतलाया गया कि उस पर बहुत शीघ्र कार्य होने जा रहा है। जहां तक मितव्ययिता की बात है, माननीया मुख्य मंत्री ने बतलाया कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में साढ़े ४ करोड़ रु० कम व्यय होने जा रहा है, और ३ करोड़ और इकोनामी करने की बात सरकार सोच रही है। आज जो ब्लाक्स हैं, उनमें से बहुत कुछ कम हो रहे हैं और बहुत से व्यय जिनको हम व्यर्थ समझते हैं उनमें कमी की जा रही है। इस तरह से काफी कमी की जा रही है और वह चीज बजट के मौके पर आपके सामने आयेगी।

एक बात डाक्टरों की कमी की कही गयी। इस बीच में मेरठ कालेज खुल गया है तथा आगे चल कर झांसी और गोरखपुर में भी मेडिकल कालेज खुलने जा रहे हैं और इस तरह से शासन अपनी तरफ से काफी सतर्क है कि जल्दी से जल्दी हम डाक्टरों की कमी को पूरा कर सकें।

भूमि-भवन कर और २५ प्रतिशत अधिभार के सम्बन्ध में भी माननीया मुख्य मंत्री ने बहुत स्पष्ट बतला दिया कि क्या कारण है, जिनकी वजह से उनका बने रहना बहुत ही जरूरी है।

सुरक्षा कोष के सम्बन्ध में एक बात यह कही गयी कि उसकी वसूली जबरिया की गयी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस तरह का एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जहां किसी से बगैर उसकी इच्छा के सुरक्षा कोष में पैसा लिया गया हो। अब की बार तो लोगों ने बहुत सहूलियत के साथ और प्रेमपूर्वक स्वेच्छा से सुरक्षा कोष में पैसा दिया। अबकी बार किसी तरह की सख्ती सुरक्षा कोष की वसूली में नहीं हुई, यही कारण है कि सुरक्षा कोष में पहले से बहुत कम पैसा मिला। अगर जबरिया वसूली का एक भी उदाहरण आप माननीया मुख्य मंत्री को देंगे तो उस पर कार्यवाही हो सकती है और सम्बन्धित व्यक्ति को दण्ड भी दिया जा सकता है।

खाद्यान्न संकट का जहां तक प्रश्न है, मैं भी मानता हूं कि अनावृष्टि की वजह से खाद्य संकट है और आगे रबी की फसल सफल होने की बहुत कम सम्भावना है लेकिन इसके बावजूद इस साल महंगाई उस हद तक नहीं पहुंची है जैसी पारसाल थी। महंगाई कम करने के लिये नेगी जी ने काफी प्रयास किया है और उसके लिये मैं उनको तथा सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं भी गांव का रहने वाला हूं और कुछ खेती भी करता हूं। मैं कह सकता हूं कि इस साल खाद्य संकट ऐसा नहीं है, जिसके लिये गांव वाले विशेष परवाह करें। भविष्य में अगले साल जो कुछ हो उसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन मौजूदा साल में खाद्य संकट जैसी कोई चीज नहीं है। जहां तक खाद्यान्न के महंगा होने की बात है, काश्तकार तो उसका स्वागत करते हैं क्योंकि किसान को फसल जितनी महंगी होगी, उतनी ही ज्यादा उसको कीमत मिलेगी। खाद्यान्न की महंगाई से कुछ लोगों को नाखुशी हो, लेकिन मुझे तो बहैसियत काश्तकार के खुशी ही होती है क्योंकि अगर गेहूं ३० रु० मन से नीचा न हो, चना २५ रु० मन से नीचा न हो तो काश्तकारों को खुशी ही होगी और इससे उनको लाभ ही होगा। हां, शहर के रहने वाले कुछ लोगों को इसकी परवाह हो सकती है, लेकिन उनमें भी काफी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके ऊपर इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए दोनों बातें नहीं निभतीं। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि अगर काश्तकार को अच्छी कीमतें मिलती हैं तो उससे बेकारी भी दूर होगी और उससे उसकी भी समस्या हल होगी। महंगाई का हमारे ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जहां तक ट्यूबवेल्स का सम्बन्ध है, मुझे खुशी है कि जब से एक निर्देशक को कायम किया गया है ट्यूबवेल में बहुत सी सहूलियतें पैदा हुई हैं। मैं कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि यदि वह एक खेत के अन्दर दो तीन फसलें चाहते हैं तो जो आज पानी की व्यवस्था है वह २० प्रतिशत कम से कम बढ़ानी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—

आप जवाब दे रहे हैं, न कि सुझाव।

श्री केशव गुप्त—

आप को ट्यूबवेल जरूर बढ़ाने पड़ेंगे। कहा गया कि वसूली जबरन की गयी। एक तरफ आप कहते हैं कि सर चार्ज कम कीजिये, दूसरी तरफ कहते हैं कि भूमि भवन कर कम कीजिये, तीसरी तरफ कहते हैं कि बकाया वसूली न वसूल की जाय। हालांकि बजट के समय कहा गया कि बकाया वसूली वसूल करके काम चलाइये। आज कहते हैं कि वसूली न कीजिये। अगर लगान की वसूली न करें तो इससे काम चलने वाला नहीं है। यह बात रीजनेबिल नहीं है। झारखण्डे राय जी जैसे विद्वान के मुंह से सुन कर आश्चर्य हुआ कि ऐसी स्थिति पैदा कर दें जिससे काम ही न चले। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रस्ताव को एकमत से पास करें।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं आदरणीय सदन के समक्ष जो प्रस्ताव माननीय केशव गुप्त जी ने रखा है, उसको रखता हूं। उसके स्वीकृत होने पर जितने संशोधन हैं गिर गये समझे जायंगे।

प्रश्न यह है कि यह सदन महामान्य राज्यपाल को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद देता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२ फरवरी १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६० पर)

मुरादाबाद जिले की सहकारी कृषि समितियों के वेतन भोगी पदाधिकारियों की सूची

क्रम-संख्या	नाम समिति	नाम नय पद	मासिक-वेतन
			रु०
१	पीपली लगा ..	.. दिनेशचन्द्र, सेक्रेटरी ..	६०—००
२	कमेलपुर ..	.. मु० राजस सेक्रेटरी ..	६०—००
३	बछराऊ ..	.. अलीनकी सेक्रेटरी ..	५०—००
४	टन्डेरा ..	.. छतरसिंह सेक्रेटरी ..	८०—००
५	बीचड़ा खुर्द	.. लेखराजसिंह मैनेजर ..	६०—००
६	जनेटा ..	.. साबत अली खां सेक्रेटरी ..	१५०—००
७	नरोली ..	.. प्रेमचन्द मैनेजर ..	१००—००
८	यूसफपुर नगलिया	.. इफतेखार हुसैन सेक्रेटरी ..	१५०—००
९	होशांगपुर ..	.. शिवराजसिंह मैनेजर ..	६०—००
१०	खादगूजर	.. राजेन्द्रसिंह मैनेजर ..	६५—००
११	सलेमपुर	.. होरामसिंह मैनेजर ..	५०—००
१२	सिगरी ..	.. अतरसिंह मैनेजर ..	५०—००
१३	सिहाली जागीर	.. मुहम्मद इलयास सेक्रेटरी ..	५०—००
१४	दाउदपुर सिहाली	.. रामप्रसाद सेक्रेटरी ..	५०—००
१५	बहादुरपुर ..	.. मुख्तयार अहमद सेक्रेटरी ..	५०—००
१६	सेमला ..	.. जलसिंह सेक्रेटरी ..	५०—००
१७	कुम्हराला ..	.. होरामसिंह मैनेजर ..	५०—००
१८	नगलिया बहादुरपुर	.. ओमकारसिंह मैनेजर ..	५०—००
१९	नगलामाफी ..	.. इमरतसिंह मैनेजर ..	६०—००
२०	खाई खेड़ा	.. जगतसिंह मैनेजर ..	५०—००

बिजनौर जिले की सहकारी कृषि समितियों के वेतन भोगी पदाधिकारियों की सूची

क्रम-संख्या	नाम सहकारी कृषि समिति	कार्यकारिणी के पदाधिकारी का नाम	पद	मासिक-वेतन	कार्य का विवरण
१	२	३	४	५	६
		सर्व श्री			
१	माधोवाला ..	हुलसन सिंह	मंत्री	५०—००	एकाउन्ट कार्य
२	उदयपुर ..	ओम प्रकाश ..	,,	५०—००	जनरल सुपरवीजन
३	जामनवाला ..	सूबेसिंह .	,,	५०—००	एकाउन्ट कार्य सुपरवीजन
४	हिदायतपुर ..	गिरवरसिंह	,,	५०—००	एकाउन्ट कार्य
५	मोहम्मदपुर सादा	शेर सिंह	खजांची	५०—००	एकाउन्ट कार्य
६	शेरकोट ..	बलवीर सिंह	,,	५०—००	पूरे समय एकाउन्ट का कार्य करते हैं
७	सुल्तानपुर ..	दिग्विजय सिंह	मंत्री	६०—००	एकाउन्ट कार्य व सुपरवीजन
८	मुरलीवाला ..	सखावत हुसैन	,,	६०—००	एकाउन्ट कार्य व सुपरवीजन
९	आदर्श अल्हैपुर..	नरेन्द्र कुमार ..	,,	५०—००	जनरल सुपरवीजन
१०	चाऊवाला ताजपुर	सुरेन्द्रजीत सिंह	,,	६०—००	जनरल सुपरवीजन
११	किरतपुर ..	अब्दुल समी	,,	५०—००	एकाउन्ट कार्य व जनरल सुपरवीजन
१२	बीरखेड़ा ..	बिनोद कुमार ..	अध्यक्ष	५०—००	मैनेजर एकाउन्ट्स जनरल सुपरवीजन
१३	जय नगर ..	चन्द्र मोहन	,,	५०—००	एकाउन्ट्स मैनेजर जनरल सुपरवीजन
१४	भगौडा ..	लाल सिंह	मंत्री	५०—००	एकाउन्टेन्ट मैनेजर
१५	राजपूत ..	भीम सिंह ..	,,	५०—००	एकाउन्टेंट व मैनेजर
१६	ईसमाईलपुर..	रनवीर सिंह	,,	५०—००	फार्म मैनेजर एकाउन्ट कार्य
१७	फीना ..	बलवीर सिंह	अध्यक्ष	६०—००	एकाउन्टेंट व मैनेजर
१८	खानपुर बिल्लौच	दिग्विजय सिंह	मंत्री	५०—००	एकाउन्टेंट व मैनेजर
१९	एकता ..	इशाक खां ..	अध्यक्ष	५०—००	एकाउन्टेंट व जनरल सुपरवीजन

१	२	३	४	५	६
२०	मझौल्ला बिल्लोच	ताहुर अली ..	अध्यक्ष	५०—००	एकाउन्टेंट व मैनेजर
२१	कुमार ..	विरेन्द्र कुमार ..	मंत्री	५० ०	एकाउन्टेंट व मैनेजर
२२	रहटा बिल्लौच	अफजुल्ला खां	,,	५०—००	जनरल सुपरवीजन एकाउन्टेन्ट
२३	रोशन नगर ..	जसवन्त सिंह ..	,,	६०—००	एकाउन्टेंट व मैनेजर
२४	अमर ..	हुकम चन्द ..	,,	५०—००	एकाउन्टेंट व मैनेजर
२५	गोहावर ..	मुक्तेन्द्र कुमार	,,	५०—००	एकाउन्टेंट व मैनेजर
२६	फैजपुर ..	नौबहार सिंह	,,	५०—००	एकाउन्टेन्ट व मैनेजर
२७	बितरौला ..	तिरदुल सिंह	,,	९० ००	एकाउन्टेंट व फार्म्स सुपरवीजन
		घसीटा सिंह	खजान्ची	७५—००	फार्म के जानवरों पर सुपरवीजन
		राम किशन	सदस्य	५०—००	सुपरवाइजर
२८	पृथ्वीपुर ..	धनेश्वर त्यागी	मंत्री	१००—००	एकाउन्ट व फार्म सुपरवीजन
२९	धर्मनगरी ..	किशन दत्त शर्मा	खजांची	८०—००	मैकिनकल सुपरवाइजर फार्म मवेशी
		तेज प्रकाश ..	उपाध्यक्ष	८०—००	जनरल फार्म सुपरवीजन
		बिमल स्वरूप..	सेक्रेटरी	१००—००	एकाउन्टेंट व फार्म सुपरवीजन
		प्रेम सिंह ..	सदस्य	६०—००	ट्रैक्टर ड्राइवर
३०	नत्थावली ..	बाबू राम ..	सेक्रेटरी	८०—००	फोर्म मैनेजर व सुपरवीजन
		बल्देव सिंह ..	खजान्ची	६०—००	ट्रैक्टर ड्राइवर
		लाल बहादुर ..	सदस्य	६०—००	ट्रैक्टर ड्राइवर
३१	खुशहालपुर ..	महेन्द्र प्रताप सिंह	मंत्री	३५०—००	जरवल सुपरवीजन फार्म कंट्रोलर
		शीशराम ..	खजान्ची	१००—००	एकाउन्ट कार्य व कैश
३२	गंगा इच्छावाला	ओम प्रकाश ..	सेक्रेटरी	१००—००	एकाउन्टेंट व फार्म सुपरवीजन

१	२	३	४	५	६
३३	मीरमपुर ..	ओम प्रकाश ..	मंत्री	१००—००	एकाउन्टेंट व फार्म सुपरवीजन
३४	डैलपुर कन्ना ..	गोपाल दास ..	सदस्य	६५—००	ट्रेक्टर ड्राइवरी का कार्य करते हैं।
		के० सी० थापन	अध्यक्ष	१५०—००	मैनेजर तथा एकाउन्टेन्ट।
३५	गंगाराम वाला ..	क्रान्ति कुमार ..	अध्यक्ष	१,०००—००	जनरल सुपरवीजन
		सैदुल्ला खां ..	मंत्री	१५०—००	पैदावार की बिक्री तथा लेबर का प्रबन्ध करना।
		बलजीत सिंह ..	खजान्ची	२५०—००	हिसाब किताब रखना।
		श्रीमति पुष्पा देवी	सदस्य	२००—००	गन्ने का प्रबन्ध बिल्डिंग का प्रबंध
३६	हिमालय ..	सर्वश्री प्रमोद कुमार	अध्यक्ष	२५०—००	जनरल सुपरवीजन
		विनोद कुमार ..	मंत्री	२००—००	ट्रैक्टर बैंकिंग तथा फील्ड सुपरवीजन
३७	कोलियां ..	महेन्द्र कुमार ..	सदस्य	१५०—००	मैनेजर तथा एकाउन्टेंट
३८	मालिनी ..	ओम प्रकाश ..	सदस्य	२१०—००	मैक्निकल सुपर-वाइजर।
३९	तलीपाड़ा ..	बाबूराम गुप्ता	अध्यक्ष	५००—००	फार्म कंट्रोलर व जनरल सुपरवीजन
		श्रीमती सावित्री देवी	उपाध्यक्ष	४००—००	डिप्टी फार्म कंट्रोलर।
		श्री कश्मीरी लाल	खजान्ची	१७०—००	पूरे समय एकाउ-न्टेन्ट का कार्य करते हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६३ पर)

ऐसी निम्नलिखित ३ महिला हेल्थ विजिटर हैं जिनकी मेटरनिटी छट्टी का वेतन अब तक नहीं दिया जा सका है और देर होने का कारण इस प्रकार है :

(१) श्रीमती आर० पी० यादव की मेटरनिटी लीव दिनांक १०-१-६५ से १०-३-६६ तक की है जिसकी स्वीकृति २४-१२-६५ को दे दी गई है। और उनका वतन समयानुसार दिया जायगा

(२) श्रीमती शारदा सिंह को दिनांक १७-१२-६४ से ६-३-६५ तक की मेटरनिटी लीव का की मन्जूरी १०-१६-६५ को दें दी गई और अवकाश वेतन सेलरी का बिल ट्रेजरी में दिसम्बर, सन् १९६५ में भेज दिया गया था। पेमेन्ट स्थिति की जांच की जा रही है।

(३) श्रीमती समपत देवी की मैटरनिटी लीव दिनांक ९-४-६१ से ५-७-६१ तक की थी अवकाश वतन का बिल अब प्रीआडिट के लिये भेजा जा रहा है। जो कि एकाउन्टेन्ट जनरल उ० प्र० द्वारा पास होते ही यथा शीघ्र भुगतान किया जायगा।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६८ पर)

राज्य के विभिन्न नगरों में दुकान अधिनियम का प्रसार किये जाने हेतु प्राप्त उन पत्रों का विवरण जो ३० अक्तूबर, १९६५ को विचाराधीन थे

नगर व जिला जहां से अधिनियम के प्रसार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ	पत्र प्राप्ति की तिथि	स्थिति
१	२	३
गोलागोकर्णनाथ (खेरी) में अधिनियम के पूर्णरूपेण प्रसार हेतु।	२८-१०-१९६४	यहां अधिनियम का आंशिक प्रसार है प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण अधिनियम का पूर्ण प्रसार करना संभव नहीं है।
सन्डीला (हरदोई) ..	७-४-१९६५	इस पर विचार हो रहा है और शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।
कोटद्वार (गढ़वाल) में अधिनियम का पूर्णरूपेण प्रसार के संबंध में।	८-९-१९६५	कोटद्वार में अधिनियम का आंशिक प्रसार है। पूर्ण प्रसार के संबंध में आवश्यक जाच कर ली गई है और निर्णय लिया जा रहा है।
सहसवान (बदायूं) ..	३-४-१९६५	यहां अधिनियम का प्रसार करना फिलहाल संभव नहीं है।
चुनार (मिर्जापुर) ..	३१-१०-१९६५	इस पर विचार किया जा रहा है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६८ पर)

जिला परिषद् एटा की बैठक दिनांक ३०-९-६५ के प्रस्ताव क्रमांक ४७ की यथार्थ प्रतिलिपि

प्रस्ताव	निर्णय
१	२
प्रस्ताव श्री राजेन्द्र सिंह एवं समर्थक श्री मुहम्मद सद्दीक, श्री शंकर सिंह, श्री सत्यपाल सिंह, श्री बेदराम शास्त्री की जिला परिषद् एटा का सर्व सम्मति से यह निश्चित मत है कि विकास क्षेत्र पटियाली एवं गंज डुडवारा के बुढ़ गंगा एवं गंगा नदी के बीच एक टापू के समान स्थित अगम्य अत्यन्त पिछड़े हुये गंगा नदी के सैलाब क्षेत्र से लगातार १५, २० वर्षों से पीड़ित तराई क्षेत्र परगना निधपुर में ऐसी स्थित है कि वहां की आबादी का साल में से अत्यधिक समय बेकार ही जाता है, तथा प्राकृतिक आपदाओं से जनजीवन आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त दयनीय दशा को पहुंच गया है। अतः अनुरोध उत्तर प्रदेश सरकार से किया जावे कि दोनों विकास खंडों को ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना में अविलम्ब सम्मिलित करके : (१) नरबौली शहवाजपुर गंगा का बांध। (२) पटियाली से लघौली–रमेठी–बढौल सड़क। (३) बढौल से थाना दरियागंज रेलवे स्टेशन सड़क। (४) गंज डुडवारा से कादरगंज सड़क। (५) लधौली बहोरा नदीली सड़क। (६) सहावर से शहवाजपुर सड़क का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ कराया जावे।	सर्व सम्मत से इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया कि रूरल मैनपावर (देहाती) (जन-शक्ति) द्वारा वह सभी कार्य-कराये जावे जो बुढगंगा नदी के मध्य में आते हैं।

ह० मुशीर अहमद खां,
अध्यक्ष,
जिला परिषद्, एटा,
३०-९-६५

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७० पर)

श्री रवीन्द्र किशोर शाही की मुख्य शिकायतें तथा उन पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

शिकायतें	कार्यवाही
१	२
१—टीम लीडर खराब ईटें सोलिंग में लगा रहा है।	अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता ने ईटों का निरीक्षण मौके पर किया। कुछ ईटें खराब पाई गईं। अतः औसतन सारी ईटों का रेट दो रुपया प्रति हजार अधीक्षण अभियन्ता के आदेशानुसार कम कर दिया गया। १०.७० लाख ईटों पर दो रुपये प्रति हजार से २,१४० रुपया टीमलीडर से निम्नलिखित रूप में काट लिये गये। रु० श्री मोती शाही—बाउचर नं० ३-बी, दि० २८-१२-६५ ७६० श्री सत्य नारायण—बाउचर नं० ४०-बी, दि० १५-१-६६ ८८० श्री सत्यनारायण—बाउचर नं० ४१-बी, दि० १५-१-६६ ५०० योग .. २,१४०
२—सोलिंग के ईट चार-चार छह-छह इंच फासले पर बिछायी जा रही है।	सोलिंग के निरीक्षण के बाद मालूम हुआ कि उसमें कहीं-कहीं पर ईट दूर दूर बिछाई गई हैं। इसलिये पहले बिछाई गई सोलिंग उखड़वा दी गई और सोलिंग दुबारा कराई गई। दुबारा काम होने के बाद सोलिंग का निरीक्षण अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है।
३—ईटों की २० मील की दूरी तक लाकर एक लम्बी रकम ढुलाई के के नाम पर दिया गया। इसकी व्यापक जांच हो कि बर्वीच घाट से कुल पांच से बारह मील के अन्तर पर पत्थर देवा खुटहा, तरकुलवा में ईटों के भट्टे रहते हुये भी बर्वीच	ईटों की अधिकतम ढुलाई २७ मील और न्यूनतम २३ मील है। ईटों की अधिकतम दर ८८ रु० ९४ पैसा और न्यूनतम ८० रु० ३७ पैसे हैं। जिस समय ईटों की ढुलाई की गई, पत्थर देवा के किसी भी भट्टे पर ईट उपलब्ध नहीं थी, और न भविष्य में शीघ्र ही मिलने की आशा थी। पथरदेवा ब्लाक में जनवरी के तीसरे सप्ताह में भी किसी भट्टे पर ईट नहीं मिल रही है।

१	२
से २२ मील दूर मोखमपुरा से २० मील देवरिया से २५, २६ मील सोनाघाट से ३०, ३१ मील और गौरी बाजार से ईटें मंगानें की जल्दी क्यों की गई ?	केवल डी० सी० एफ० का भट्टा पथरदेवा में इस सीजन में चला है उसमें भी अभी ईटें तैयार नहीं हुई है गौरीबाजार से कोई ईट नहीं आई। बरसात के पहले इन सड़कों को ऊंचा कराने के लिये मिट्टी का काम कर दिया गया था, जिससे कि मिट्टी भली प्रकार कन्सोलीडेट हो जाय, इसके बाद ईटें बिछाने और कंकड़ बिछाने का कार्यक्रम था।
४—टीम लीडरों को काम देने में पक्षपात किया गया है। एक ही टीम लीडरों को १०–१२ लाख ईंटों की सप्लाई का काम साथ में दो मील बघइच, कोइलसवा, सर्विस रोड पर मिट्टी पटाई का काम खड़ंजा बिछाई को काम मोदी पट्टी मलसाल सर्विस रोड पर मिट्टी पटाई का खड़जा बिछाई का काम रामनगर, कोइलसवा, मलवाबारू, सुन्दरपुर के गांव भराई का काम जिसमें ७, ७ कुयें प्रत्येक गांव ऊंचे करने का काम भी शामिल है और जो लगभग तीन गांवों में पूर्ण हो चुका है सौंप दिया गया है।	एक ही टीम लीडर को १०–१२ लाख ईंटों की सप्लाई का काम नहीं दिया गया। १०–७ लाख ईंटों की सप्लाई का काम दो टीमलीडरों सर्वश्री मोतीशाही और सत्यनारायण द्वारा किया गया। बघौच को इलसवा रोड पर मिट्टी पटाई का काम एक मील श्री कामता राय टीम लीडर को दिया गया और दो मील श्री मोती शाही को। इसी रोड पर खड़ंजा बिछाई का काम ४ टीम लीडरों सर्वश्री कामताराय, सत्य नारायन, दिलराम भगत और मोतीशाही को दिया गया। मोदी पट्टी भलसीरोड पर मिट्टी पटाई का काम मोतीशाही और पटेश्वरी शाही को दिया गया। रामनगर की गांव पटाई श्री पटेश्वर शाही को दी गई। कोइरसवा की ग्राम पटाई मोती शाही और सत्यनारायन को दी गई। मलवार की ग्राम पटाई श्री कामताराय ने की। सुन्दरपुर की गांव भराई भी श्री विशेश्वर नाथ तिवारी ने की। कुयें ऊंचा करने का काम श्री मोती शाही, दिलराम भगत और एम० आई० सिद्दीकी ने किया इन तीनों गावों में कुयें ऊंचे करने का काम श्री मोतीशाही ने किया।
५—टीमलीडरों के चुनाव में पक्षपात किया गया और ब्लाक के बाहर के लोगों को काम दिया गया।	पथरदेवा ब्लाक के ४० टीम लीडरों की सूची भेजी गई। इनमें से केवल १४ आदमियों ने जमानत जमा की बाकी लोगो को ओवरसियर ने स्वयं मिलकर जमानत जमा करने और काम करने के लिये कहा लेकिन वे नहीं आये। न आने वालों को सहायक अभियन्ता द्वारा १८–५–६५ और १०–६–६५ को सूचना दी गई। ब्लाक के बाहर के सर्वश्री घनश्याम पांडे और सत्यनारायण का नाम जिला नियोजन अधिकारी द्वारा उनकी पत्र सं० १९६०, दिनांक २२–७–६५ द्वारा भेजा गया, जिसकी सूचना ब्लाक को भी भेजी गई। इस ब्लाक में श्री मोतीशाही के अतिरिक्त सर्वश्री सत्यनारायन, रामनरेश मिश्र, दिलराम भगत, मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, कामताराय और राधाकृष्ण ने भी काम किया है।

१	२
६—कुओं की जुड़ाई मिट्टी से की गई है और जुड़ाई के ऊपर पलस्तर की जगह टीपकारी की गई है। प्रत्येक कुयें को ऊचा करने के लिये कितना सीमेन्ट दिया गया है।	नौ कुओं की चुनाई तुड़वा कर अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया गया। चार कुओं में नीचे की पर्त में गारे की चुनाई पाई गई और मसाले की शक्ति (स्ट्रेन्थ) में कमी पाई गई। सीमेन्ट मसाले की दर में आधी कमी कर दी जायेगी और मिट्टी में की गई जुड़ाई का कोई पेमेन्ट नहीं किया जायगा। बाकी कुओं के पेमेन्ट भी इसी आधार पर कम कर दिये जायेंगे। अभी तक कुओं को कोई भी पेमेन्ट नहीं किया गया है। प्रत्येक कुयें पर औसतन ६ बोरी सीमेन्ट प्रति कुआ दिया गया है। जितना सीमेन्ट लगा है उसका हिसाब लगा कर बाकी सीमेन्ट का दाम काट कर काम का पेमेन्ट किया जायेगा।
७—गांव पटाई के काम में कोइलसवा गांव जहां ८० परिवार के लगभग लोग रहते हैं वह छोड़कर ८ व १० घर के टोले और ५–७ घर के दूसरे टोले ही क्यों घेरे भरे गये।	कोइलसवा गांव में ग्राम पटाई का काम समाप्त हो चुका है। पहले टोले भरे गये जहां कि मिट्टी पहले मिल गई थी। मुख्य गांव बाद में भरा गया जब फसल कटने पर मिट्टी उपलब्ध हो सकी।
८—बलेही सेमरी ड्रेन से मिट्टी कटाई को दिखा कर कुछ फाइले पेमेन्ट ५ जुलाई के आस पास कर दिया गया है।	बलेही ताल ड्रेन पर चार वर्क आर्डर क्रमशः ४–५–६५ २५–५–६५, २५–५–६५ और २६–५–६५ म किय गये। इनका फाइनल पेमेन्ट क्रमशः २–७–६५ १४–७–६५, २४–८–६५ और २२–७–६५ को कर दिया गया। सब वर्क आर्डरों का मूल्य १९,९६४ रु० का किया गया। जमीन का रिक्वीजीशन हो गया है और उसका कब्जा ले लिया गया। काम पूरे वेग से चल रहा है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३–७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७१ पर)

जिला बस्ती की नौगढ़ तथा बांसी तहसील में जनवरी, १९६५ से २० नवम्बर, १९६५ को समाप्त होने वाले सप्ताह तक चेचक तथा हैजे से ग्रस्त होने वाले ग्रामों तथा मृतकों की विवरण तालिका

तहसील का नाम	ब्लाक का नाम	ग्राम का नाम	मृतकों की संख्या	
			चेचक	हैजा
१	२	३	४	५
नवगढ़ ..	नवगढ़ ..	सोहरतगढ़ ..	..	९
		पिपरापान्डे ..	..	२
		गोठनिया ..	..	४
		खजुइया खालसा ..	..	५
		भीमपुर ..	..	१
		जगदीशपुर ..	..	१
		बेलवा ..	..	७
उसका बाजार..		सनउवा ..	..	२
		मुसउला अर्डइ ..	..	६
		नौखनिया ..	..	२
		चमरहिया ..	..	८
		दूलदूलहा ..	..	१०
		रोहडोला ..	..	७
		भुलउला माफी ..	..	१
		बलावा ..	..	१
		इभौलिहा ..	..	२
		मोजलहा ..	..	२
		सेमरहना ..	..	२
		अरन ..	..	४
जोगिया ..		मिश्रवनिया ..	..	११
		पिपरा ..	..	..
		करहजवा ..	..	२१
		सेबुवा ..	..	९
		ताल कौरर ..	..	४
		मुसहिना ..	..	२
		सोनउरा ..	..	२
		नन्दीपार ..	..	४
		नगौरा ..	..	१५

तहसील का नाम	ब्लाक का नाम	ग्राम का नाम	मृतकों की संख्या	
			चेचक	हैजा
१	२	३	४	५
बरहुई ..	लेदुवा	.. ..		६
	निवीसुरुवा	.. ..		७
	बिशुनपुरा टोला निबीहुआ	..		९
	नरोवा	.. ..		५
बिरदपुर ..	बिरदपुर टोला भटनिया	.. ..		१
	बघेली	.. ..		४
	खईराती	.. ..		४
	लकरी	.. ..		९
	करमईनी	.. ..		२
	पचगांव	.. ..		..
	कोरी डीहा	..	१	..
	योग ..		१	१८६
बांसी ..	साथा .. मुशहरा	..	३	..
	पुरनिया	.. ..		९
	करमकला	.. ..		४
	अल्टीडोइया	.. ..		..
	लोहरोलिया	.. ..		९
	बांसी .. भरवटिया चाईपुर	..	४	..
	दउदवा शुकुल	.. ..		..
	नरकाथा	.. ..		२
	मरवाकला	.. ..		४
	गुलरियाराजा	.. ..		४
	पटकौली	.. ..		७
	नबईला	.. ..		१
	ताल डिहवा	.. ..		४
	खेसराहा .. भगतपुरा	.. ..		९
	सेमूरहुवा	.. ..		३
	गईराखोर	.. ..		२
	मिथावल .. दन्दवापुर	.. ..		६
	रामनगर	.. ..		१
	सिसई खुई	.. ..		३
	मिथावल अहटमोली	.. ..		५
	बनजावन टोला	.. ..		१
	योग ..		७	७४

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६–७७ के उत्तर पीछे पृष्ठ ३७२ पर)

आजमगढ़ जिले में सन् १९४९ में नियुक्त किये गये उन लिपिकों की योग्यता आदि सम्बन्धी सूची जो स्थायी किये जा चुके हैं।

क्रम-संख्या	लिपिक का नाम	शिक्षा संबंधी योग्यता	स्थायीकरण की तिथि
१	२	३	४
१	श्री गिरजा प्रसाद	नवीं कक्षा उत्तीर्ण	१–४–१९५५
२	श्री राम नारायण लाल	,,	१–४–१९५५
३	श्री गंगा सिंह	इन्टरमीडिएट	१–४–१९५५
४	श्री चिथरू सिंह	,,	१–८–१९५२
५	श्री कृष्ण मुरारी लाल (१)	,,	१–८–१९५२
६	श्री भगवती प्रसाद	हाई स्कूल	१–४–१९५६
७	श्री विनय कुमार पांडेय ..	,,	१–८–१९५२
८	श्री देव नारायण दुबे	,,	१–४–१९५४
९	श्री सूबेदार सिंह	इन्टरमीडिएट	१–४–१९५६
१०	श्री महातम राय	हाई स्कूल	१–८–१९५२
११	श्री सुरेश राय	,,	१–४–१९५६
१२	श्री बैजनाथराय	,,	१–४–१९५६
१३	श्री कृष्ण मुरारी लाल (२) ..	,,	१–८–१९५२
१४	श्री लालता सिंह	,,	१–४–१९५६
१५	श्री बृज भूषण लाल	,,	१–४–१९५६
१६	श्री भोला नाथ सिन्हा	,,	१–४–१९५६
१७	श्री शिव मूर्त्ति त्रिपाठी	,,	१–४–१९५६
१८	श्री रामधारी मिश्र	हाई स्कूल विशारद	१–८–१९५२ से मुख्य लिपिक के पद पर।

१ श्री गिरजा प्रसाद
२ श्री राम नारायण लाल
३ श्री गंगा सिंह
४ श्री चिथरू सिंह
५ श्री भगवान प्रसाद
६ श्री राम इच्छा लाल
७ श्री कृष्ण मुरारी लाल (१)
८ श्री भगवती प्रसाद
९ श्री विजय कुमार पांडेय
१० श्री देव नारायण दुबे
११ श्री सूबेदार सिंह
१२ श्री महातम राय
१३ श्री सुरेश राय
१४ श्री बैजनाथ नायक
१५ श्री कृष्ण मुरारी लाल (२)
१६ श्री लालता सिंह
१७ श्री बृज भूषण लाल
१८ श्री भोला नाथ सिंहा
१९ श्री शिव मूर्त्ति त्रिपाठी
२० श्री खलीलुल रहमान खां
२१ श्री भीम सेन सिंह

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३७६ पर)

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (चालू रहने का) विधेयक, १९६६

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम, १९५४ के चालू रहने के लिये

उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या २४, १९५५

हस्तिनापुर नगर विकास मन्डल अधिनियम, १९६४ के चालू रहने के लिये भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है——

संक्षिप्त शीर्षनाम

१——यह अधिनियम हस्तिनापुर नगरविकास मण्डल (चालू रहने का) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४, १९५५ की धारा १ का संशोधन

२——हस्तिनापुर नगर विकास मन्डल अधिनियम, १९५४ की धारा १ की उपधारा (३) में अंक "१९६५" के स्थान पर अंक "१९६८" रख दिये जायें।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १०, १९६५

निरसन तथा अपवाद

३——(१) हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (चालू रहने का) अध्यादेश, १९६५ को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम २९ दिसम्बर १९६५ को प्रारम्भ हुआ था।

उद्देश्य और कारण

हस्तिनापुर नगर विकास मन्डल अधिनियम, १९५४ की अवधि जो ३१ दिसम्बर, १९६५को समाप्त होने वाली थी, २९ दिसम्बर, १९६५ को हस्तिनापुर नगर विकास मन्डल (चालू रहने का) अध्यादेश, १९६५ द्वारा दिसम्बर, १९६८ तक बढा दी गयी थी। चूंकि नगर विकास मण्डल अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसे, किसी अन्य प्रकार के स्थानीय निकाय में परिवर्तित किया जा सके, इसलिये उसका चालू रहना आवश्यक समझा गया है।

तदनुसार, अध्यादेश प्रतिस्थापित करने के लिये यह विधेयक, पुरःस्थापित किया जाता है।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मंत्री।

विधान सभा

मूल अधिनियम की उस धारा का उद्धरण जिसका संशोधन होना है

१—(१) यह अधिनियम हस्तिनापुर नगर विकास मन्डल अधिनियम, १९५४ कहलायेगा ।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार इस संबंध में सरकारी गजट में विज्ञापित करे ।

(३) यह दिनांक ११ दिसम्बर, १९६५, को समाप्ति पर उक्त दिनांक से पूर्वकृत अथवा विषयों (thing done or ommitted to be done) को छोड़कर प्रचलित न रहेगा, तथा इस अधिनियम की समाप्ति पर यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट की धारा ६ इस पर इस प्रकार प्रवृत्त होगी, मानो यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम (U.P. Act) द्वारा निरस्त (repeal) हुआ हो ।

उत्तर प्रदेश सरकार

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (चालू रहने का) विधेयक, १९६६ के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन पत्र

हस्तिनापुर नगर विकास मन्डल (चालू रहने का) विधेयक, १९६६ से राज्य की संहत निधि पर विशेष रूप से कोई व्यय भार नहीं पड़ता है।

२—राज्य की अन्य स्थानीय निकायों की भांति नगर विकास मन्डल हस्तिनापुर को भी राज्य सरकार द्वारा सड़क अनुदान दिया जाता है। सर्वप्रथम बोर्ड को यह अनुदान १९६२-६३ में दिया गया था। उस वर्ष राज्य सरकार ने बोर्ड को ६,००० रु० की धनराशि इस मद में स्वीकार की थी। १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में बोर्ड को स्वीकार की गयी सड़क अनुदान की राशि क्रमशः ५,००० रु० तथा १०,००० रु० थी। इसी प्रकार बोर्ड के कर्मचारियों को स्वीकृत महंगाई भत्ते में अस्थायी बढ़ोत्तरी के कारण समस्त अतिरिक्त व्यय को राज्य सरकार अन्य स्थानीय निकायों की भांति, नगर विकास मन्डल हस्तिनापुर को अनुदान (grant in aid) के रूप में देती है। इस अनुदान की वास्तविक धनराशि का जिसे बोर्ड प्रत्येक वर्ष पाता है उल्लेख नहीं किया जा सकता किन्तु बोर्ड से प्राप्त बजट के आंकड़ों को देने से प्रतीत होता है कि यह धनराशि प्रत्येक वर्ष २,००० रु० तथा ३,००० रु० के बीच में होती है।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २०१ एल० ए०—१९६६-८६२।